राजभाषा भारती

अंक : 105 वर्ष : 27 अप्रैल-जून, 2004

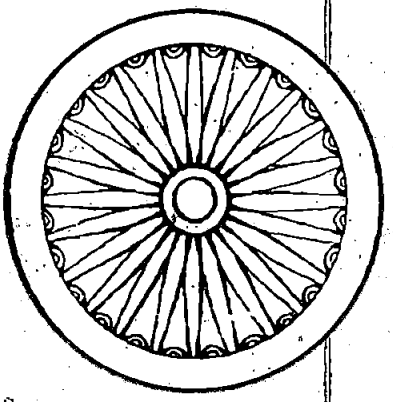

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

श्री के०के० बागाती, सदस्य, कार्मिक राजभाषा दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए, साथ में श्री के० चंद्रन, महाप्रबंधक एवं श्री सी०पी० गुप्ता, अपर महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, इटारसी।

मध्य क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन की बैठक में दृष्टिगोचर हैं श्रीमती मीनाक्षी सेठ, उपमहानिदेशक, माननीय सदस्य श्री के०के० बागाती, श्री के० चंद्रन, महाप्रबंधक, आ०नि०, इटारसी एवं श्री सी०पी० गुप्ता, अ०म०प्र०/ए एवं ई० आयुध निर्माणी, इटारसी।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

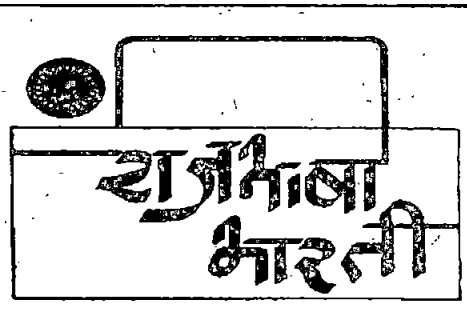

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 27

अंक : 105

अप्रैल—जून, 2004

❑ संपादक
ओम प्रकाश सेठी
संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेन्द्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

विषय-सूची | पृष्ठ

➢ संपादकीय (i)

➢ चिंतन
(1) ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी यूज़ेजिज —डॉ० सुरेश चंद्र पाण्डेय 1
(2) उत्तर-पूर्व में हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं —डॉ० रुस्तम राय 6
(3) अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि —डॉ० राम प्रवेश शर्मा 10

➢ साहित्यिकी
(4) राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि : मैथिलीशरण गुप्त —कुलदीप कुमार 12
(5) हिंदी की सरस्वती : महादेवी वर्मा —निशा सहगल 14

➢ पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य
(6) गांधी की प्रासंगिकता —डॉ० मृत्युंजय उपाध्याय 17

➢ विज्ञान
(7) कैसे बना हमारा ब्रह्मांड —डॉ० विजय कुमार उपाध्याय 20

➢ सामाजिक
(8) महिला सशक्तिकरण तथा पंचवर्षीय योजनाएं —डॉ० ओमराज सिंह 23

➢ आर्थिक
(9) भारतीय अर्थव्यवस्था —हरि कृष्ण निगम 27
(10) आउट सोर्सिंग : प्रबल विकास की संभावनाओं के बीच विरोधाभास —एम०पी०सैनी 31

➢ पर्यावरण
(11) पर्यावरण प्रदूषण : इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती —प्रसून कुमार सिंह, पूरण किशोर सिंह 35

ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी यूज़ेजिज़
A Dictionary of Hindi Usages

—डॉ० सुरेश चंद्र पाण्डेय*

भूमिका

सामाजिकों में संवादहीनता का गहराता संकट और प्राय: हर भाषाई समुदाय में अंग्रेज़ी के वर्चस्व के चलते हिंदी एवं अन्यान्य भारतीय भाषाओं को सीखने के प्रति उदासीन भाव—आज ये दो कटु सत्य हैं। मीडिया के बढ़ते वर्चस्व की सदी में भाषाई समुदायों में परस्पर संवादहीनता का आसन्न संकट आज सार्वजनीन हो चला है। भाषा का जीवन उसके कंठ प्रयोग में है। कंप्यूटर और दूरदर्शन आदि के प्रति सामाजिकों का रुझान आज सीमातिरेक पार कर चला है और आदमी नामक जंतु इनका आवाक् प्रयोक्ता और मूर्त श्रोता-दर्शक बना जा रहा है। इस तथ्य की अनदेखी न करना और इसके सजीव व प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय खोजना-रचना हर हिंदी प्रेमी का 'मिशन' होना चाहिए।

भारत एक ऐसा भाषाई क्षेत्र है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएँ अपनी-अपनी सुसमृद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रची-पची हैं। आमफहमियत की दृष्टि से ये परंपराएँ सामासिक प्रकृति की हैं, जिनमें एक-दूसरे से चिरकाल से मुक्त आदान-प्रदान होता आ रहा है। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया की संवाहक और सेतु भाषा होने का श्रेय हिंदी को है, जिसे भारतीय गणराज्य की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का अपना संवैधानिक दायित्व विनम्रतापूर्वक निभाना है। राष्ट्र की भावानात्मक एकता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरिमा-गौरव की एक बोलती भाषा के रूप में हिंदी को प्रभावपूर्ण और सुव्यापी बनाने की आज महती आवश्यकता है।

ध्यान देने योग्य है कि देश-विदेशों के हिंदीतर परिवेश में हिंदी भाषा सीखने-सिखाने की लालसा रखनेवाले अन्य भाषा-भाषी शिक्षार्थी प्राय: शब्दकोशों का सहारा लेते हैं। भाषा प्रयोग में भौतिक सत्यों के तथ्यपरक निरूपण और भावनाशून्य निर्वचन की बढ़ती मनोवृत्ति के चलते सपाटबयानी और समीकरण-भाषा के प्रयोग पर बल होने से शिक्षार्थियों में भाषा के सृजनशील और लक्षणायुक्त किंवा मुहावरेदार प्रयोगों का व्यवहार करने की क्षमता दिनोंदिन क्षीण होती जा रही है। उल्लेखनीय है कि आज हिंदी जगत में ऐसा एक भी शिक्षार्थी-मित्रवत् द्विभाषी शब्द कोश उपलब्ध नहीं है जो हिंदी शब्दों/अभिव्यक्तियों को उनके 'प्रयोग-प्रासंगिक संदर्भों (Pragmatics) में वास्तविक उदाहरणों सहित समझाते हुए अपने शिक्षार्थियों को सद्यप्रचलित, जीवंत और संपर्कधर्मा हिंदी भाषा सीखने-सिखाने में सुरुचिपूर्ण सहूलियत प्रदान करता हो एवं प्रयोग-विशेष की विभिन्न व्यवहार-संदर्भों में प्रस्फुटित होनेवाली अर्थच्छटाओं का कुछ इस तरह बोधन कराता हो कि शिक्षार्थी अपने जीवन की विभिन्न दैनंदिन परिस्थितियों में सीखे गए प्रयोगों का अवसरानुकूल व्यवहार करने की सामर्थ्य (Competence for Performance) भी अर्जित कर सकें। इस कमी को पूरा करने के लिए ही संलग्न प्रयोगकोश का निर्माण प्रस्तावित है।

The Dictionary (A Resarch cum Developmental Project)

भाषा अधिगम के संदर्भ में नॉम चॉम्स्की की यह स्थापना आज सर्वमान्य है कि मानव मस्तिष्क को भाषार्जन की जो पहली इकाई उद्बुद्ध करती है वह न्यूनतम इकाई है एक वाक्यमूलक समस्त पदबंध जो दो पदबंधों से संयोजित होता है—संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। मानव मन में रचा-बसा भाषा

*एन-11-ए, साकेत, नई दिल्ली-110017

2374 HA/2004—2

का यह सार्वभौम व्याकरण भाषा विशेष के रूपांतरण के प्रजननात्मक नियमों और सृजनशीलता के चलते भाषा-विशिष्ट व्याकरण बनाता है। हिंदी के संदर्भ में देखें :

वाक्य (समस्त पदबंध)

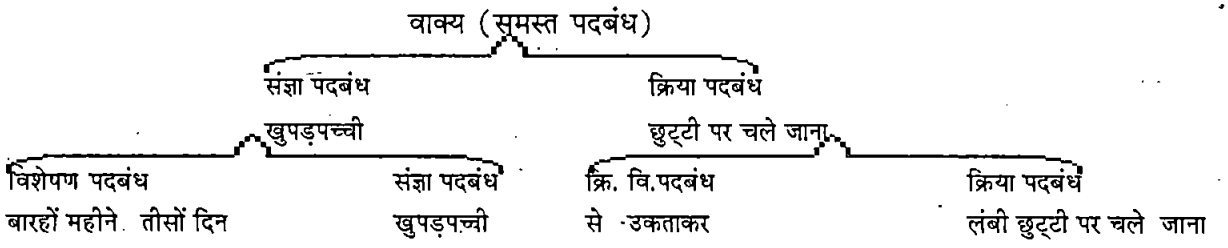

संज्ञा पदबंध — खुपड़पच्ची
- विशेषण पदबंध — बारहों महीने तीसों दिन
- संज्ञा पदबंध — खुपड़पच्ची

क्रिया पदबंध — छुट्टी पर चले जाना
- क्रि. वि.पदबंध — से उकताकर
- क्रिया पदबंध — लंबी छुट्टी पर चले जाना

हिंदी के लाक्षणिक तथा अन्यान्य जीवंत प्रयोगों को उक्त मॉडल के साँचे पर बिठाते हुए एक प्रभावशाली हिंदी-अंग्रेज़ी प्रयोगकोश का निर्माण प्रस्तावित है। कुछ नमूने लें :

वाक्यांश स्तर

अजीबोगरीब, बैठे-ठाले, देखा-देखी, चलते-फिरते, अपने बूते, शोर-शराबे के चलते, अपने बोरिए में खुश रहना, इस बात को लेकर, फन्ने खाँ/तीस मार खाँ/धन्ना सेठ बनना/समझना, उधेड़-बुन में रहना, बिस्तर गोल करना, धमा-चौकड़ी मचाना, जुम्मा-जुम्मा आठ दिन, खुदा ना खास्ता, अल्लाह-अल्लाह : खैरसल्लाह,··· घिग्घी बँध जाना, गोरख धंधा आदि।

वाक्य स्तर

(क) **धोखा देना** (to deceive) : तुमने बेवजह मुझे क्यों धोखा दिया?

धोखा दे जाना (to expire untimely) : बुढ़ापे की इस उम्र में उसका जवान बेटा धोखा दे गया।

(ख) **रातोंरात** (within one single night only) : रातोंरात अमीर बनने की इच्छा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

(ग) **जवाब देना** (to answer, to reply) : अब बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ।

जवाब दे देना (to declare incurable) : रोगी की हालत गंभीर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है।

जवाब दे जाना (to exhaust completely) : अब और नहीं चला जाता। सुबह से चलते-चलते टाँगे जबाब दे गई हैं।

(घ) **खारिज होना** (gaspassing) रात को चूरनें खाया तब कहीं जाकर हवा खारिज हुई।

खारिज होना (to dismiss, to reject) : तीन साल चलने के बाद अब कहीं जाकर मुकदमा खारिज हुआ है।

2. ये लाक्षणिक प्रयोग वाचिक परंपरा से पुष्ट होते हुए मातृभाषा-भाषियों के कंठ/मन में सदैव सजीव रहते हैं और परिस्थितियों की माँग, अवसर/मनस्थिति का दबाव, वक्ता/लेखक तथा श्रोता/पाठक के शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर और अभिव्यक्ति की विवक्षा के अनुसार भाषाई समुदाय में उपलब्ध प्रयोगसम्मत भाषिक प्रचलन की उपलब्धि आदि ऐसे अनेक तत्व हैं जो मातृभाषी की सहज अभिव्यक्ति में गुँथे-बुने चले आते हैं और एक ही वाक्य में अनेक प्रयोगों का घालमेल हो जाता है। फलतः निम्न प्रकार की रचनाएँ जन्म लेती हैं :

मुहावरा : डूबते को तिनके का सहारा।

भाषा प्रयोग :

उनका इस्तीफ़ा तो महज़ दिखावा था, क्योंकि वे जानती हैं कि कांग्रेस इस तिनके रूपी सहारे को छोड़ नहीं सकती। बिना मुहावरे की लाक्षणिकता और भाषा-प्रयोग के संदर्भ को समझे-समझाए अन्य भाषा-भाषी उक्त प्रयोग का अर्थ नहीं समझ सकते, उनमें इसका प्रयोग कर सकने की क्षमता होना तो दूर की बात है। एक हिंदी प्रयोग लें : 'काम आना'। इस प्रयोग के चार संदर्भ हो सकते हैं :

काम आना
- ->लकड़ी फ़र्नीचर बनाने के काम आती है। (used for)
- ->युद्ध के मैदान में चार जवान काम आए। (lost lives/killed in warfield)
- ->सुरेश मेरे आड़े वक्त पर काम आया। (to be helpful to someone who is in dire need)
- ->क्या तुम्हें सिलाई का काम आता है? (possessing skill of sewing clothes)

प्रयोग कोश में 'काम आना' प्रयुक्ति के चारों प्रयोग अपने-अपने अर्थों में उदाहरण सहित देने होंगे।

3. सहवर्ती प्रयोग (कन्नोटेशंस) :

चरणामृत पान करना (न कि पीना)	कदम चूमना (न कि चाटना)
श्रद्धांजलि अर्पित करना (न कि देना)	तलवे चाटना (न कि चूमना)

4. आधार-सामग्री (डाटा कॉर्पस) का चयन : आधार सामग्री का चयन भाषा-प्रयोग के अनेक रजिस्टर्स से किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए :

(क) लोकजगत से :	चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। बासी रोटी में खुदा का क्या साझा?
(ख) पुराण साहित्य से :	रामराज्य (अब व्यंग्यात्मक प्रयोग), ब्रह्मवाक्य, रामबाण, भागीरथ प्रयत्न, लक्ष्मण-रेखा, भीष्म-प्रतिज्ञा, ध्रुव-सत्य, ब्रह्मलीन आदि।
(ग) कर्मकांड से: (रस्म अदायगी संबंधी)	सिरमौर, हाथ-कंगन, छठी का दूध, घुट्टी में, तिलांजलि देना, प्राणों की आहुति देना, आरती उतारना, बली का बकरा बनना/बनाना, गंगा नहाना, दूध का धुला, श्रीगणेश करना आदि।
(घ) रिश्ते-नाते की शब्दावली से :	गंगा मैया, भारत माता, बाप का माल, चंदा मामा, सबका चचा, चोर-चोर मौसेरे भाई, बिल्ली मौसी, बछिया का ताऊ, साला, खाला का घर, मुँहबोली बहन, दादागीरी आदि।
(ङ) रंगो की शब्दावली से :	काली करतूत, सफेद झूठ, गुलाबी ठंड, गेरुआ वस्त्र, क्रोध से लाला-पीला होना, हाथ पीले करना, घाव हरा होना, चेहरा ज़र्द/स्याह पड़ जाना, मुँह काला करना, सुर्खियों में होना, भगवाकरण, नील/नीला पड़ जाना आदि।

5. भौतिक यथार्थ की दृष्टि से भारतीय समाज में आना, पाई, कौड़ी, टका, कोस, तोला-माशा-रत्ती, अधेला और गज का प्रचलन अब बंद हो गया है, लेकिन भाषिक यथार्थ इतनी जल्दी नहीं बदलते :

सोलह आने सच होना, पाई-पाई वसूल कर लेना, कानी कौड़ी तक न देना, दो टके का आदमी, सच्चाई से कोसों दूर होना, पल में तोला पल में माशा होना, रत्ती भर परवाह न होना, धेले की अक्ल न होना, गज भर की जबान होना।

6. सामग्री चयन के स्रोत :

(क) **जनसंपर्की साहित्य :** समाचार पत्र एवं लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएँ, साहित्य : कहानियाँ, घटनावर्णन, टीका-टिप्पणी, संस्मरण, उपन्यास, हास्य-गल्प, व्यंग्य-विनोद, नाटक-संवाद आदि।

(ख) **जन संचार प्रसार माध्यमों द्वारा जन-सामान्य को संप्रेषित की जा रही हिंदी :** रेडियो, टेलिविज़न द्वारा प्रसारित विविध रोचक तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तथा फीचर-फिल्मों में प्रयुक्त भाषाई प्रयोग तथा अन्यान्य उपयोगी एवं प्रासंगिक सामग्री।

(ग) प्रतिष्ठित प्रवचनकारों और साहित्यकारों आदि के भाषा प्रयोग।

(घ) राज-प्रशासन, विधि-कानून, राजनीति, रहन-सहन, वाणिज्य-व्यवसाय, खेल-कूद, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा ज्ञान-विज्ञान संबंधी अन्यान्य भाषा प्रयोग क्षेत्र।

उत्तर-पूर्व में हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएँ

—डॉ० रुस्तम राय*

उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदी भाषा एवं साहित्य शिक्षण की दशा एवं दिशा ठीक वैसी ही नहीं है, जैसी स्थिति देश के अन्य भागों में है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी बोलचाल की आम भाषा है। कई अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषी छात्र हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में पढ़ता है, जबकि अहिंदी भाषी छात्र को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। कई क्षेत्रीय भाषाओं की हिंदी से समतुल्यता के कारण हिंदी भाषा शिक्षण में अपेक्षाकृत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्तर-पूर्व में असमिया, बंगला एवं नेपाली एक ही परिवार की भाषाएं हैं तथा ये हिंदी से कुछ-कुछ मिलती हैं, जिसके कारण इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को हिंदी सीखने में थोड़ी कम कठिनाई होती है। दूसरी ओर जनजातीय भाषाएँ बोलने वालों को हिंदी सीखने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक जनजातीय छात्र के लिए हिंदी लिखने एवं पढ़ने की क्रिया तीसरी एवं चौथी प्रक्रिया होती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यहां के अधिकांश स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यहां तक कि मेघालय के हिंदी विद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है और हिंदी मात्र एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। कई विद्यालयों में हिंदी पांचवीं से सातवीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है और कहीं-कहीं पांचवीं से आठवीं कक्षा तक हिंदी सिखाई जाती है। फलस्वरूप यहां का छात्र न तो हिंदी बोल पाता है और न अच्छी तरह समझ पाता है, लिखना-पढ़ना तो उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। छात्रों की बात छोड़ भी दें तो इस क्षेत्र में हिंदी शिक्षकों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। जनजातीय, अहिंदी भाषी शिक्षकों को हिंदी पढ़ाने में कठिनाई पेश आना स्वाभाविक है किन्तु हिंदी भाषी शिक्षक भी इस क्षेत्र में बखूबी हिंदी नहीं सिखा पाते हैं। इसका कारण यह भी है कि हिंदी सिखाने के लिए अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर जो शिक्षक जनजातीय समुदाय के होते हैं, वे अपनी भाषा में हिंदी सिखा तो सकते हैं, परन्तु एक कक्षा में हिंदी सीखने वाले छात्र एक ही जनजातीय समुदाय अथवा एक ही मातृभाषा बोलने वाले नहीं होते। ऐसी स्थिति में हिंदी शिक्षकों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों में सर्वप्रथम वर्णमाला और उच्चारण संबंधी त्रुटियों पर विचार करना समीचीन होगा।

1. वर्णमाला : उच्चारण संबंधी अशुद्धि : प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक का कार्य छात्रों को बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना सिखाना होता है। मानक वर्णमाला एवं उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दिए बिना हिंदी भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जा सकता। भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कारणों से भी छात्रों एवं शिक्षकों को वर्णमाला के उच्चारण में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असमिया, बांगला और पूर्वोत्तर की सभी जनजातीय भाषाओं के उच्चारण हिंदी भाषा के उच्चारण से प्राय: भिन्न होते हैं। इस तरह उच्चारण की भिन्नता के कारण हिंदी वर्णमाला के उच्चारण में स्वभावत: त्रुटि हो जाती है। असमिया, बांगला और खासी भाषा के कई शब्द इसी उच्चारण की भिन्नता के कारण गलत लिखे और बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के 'च' का उच्चारण असमिया और खासी भाषा में 'स' के रूप में किया जाता है तथा 'स' का 'च' के रूप में। कहीं-कहीं 'स' का उच्चारण 'ह' के रूप में होता है। यही कारण है कि निरंतर अभ्यास के बाद भी छात्र 'सिटी बस' को 'चिटी बास' तथा 'चाय' को 'साय' तथा खासी में 'शा' बोलते हैं। इसी तरह 'कचहरी' को 'कसारी', बांगला में कछारि के रूप उच्चारण करते हैं। खासी भाषा में भी 'चिट्ठी' को 'शिटि', 'चीनी' को 'शिनि' आदि बोलते हैं। उत्तर-पूर्व में शिक्षकों को हिंदी वर्णमाला सिखाते हुए 'ट' 'ठ' 'ड' 'ढ' तथा 'त' 'थ' 'द' 'ध' के उच्चारण के भेद को समझाने में काफी कठिनाई होती है। कभी-कभी शिक्षक और छात्र दोनों 'ट' को 'त' बोलते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान

*केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मोरली भवन परिसर, पुराना पीक होटल, शिलांग-793001

की भिन्नता के बारे में छात्रों को बताए और स्वयं भी सजग रहे। यही कारण है कि असमिया के 'बातोरी' शब्द को कई लोग 'बाटोरी', 'पिस्तौल' को 'पिस्टल' बोलते हैं। खासी भाषा में भी 'दर्जी' को 'डर्जी' 'दरबार' को 'डरबार' 'दवाई' को 'डवाई' और 'तुम' को 'टुम' बोलते हैं। इस क्षेत्र के शिक्षक एवं छात्रों को हिंदी पंचमाक्षरों यथा-ङ, 'ञ' ण, न एवं म के उच्चारण में भी प्राय: अशुद्धि होती है। सभी पंचमाक्षरों का उच्चारण प्राय: 'न' की तरह किया जाता है-यथा-किरण-किरन, हिरण-हिरन, सम्मान-सन्मान अञ्चल-अन्चल अदि। 'व' एवं 'ब' के उच्चारण में अशुद्धि होती है। चूंकि बांगला में 'व' होता ही नहीं, इस लिए 'व का उच्चारण 'ब' और कभी-कभी 'भ' की तरह होता है जैसे-देवता-'देबता' अवकाश-अबकाश, ओवरकोट-ओभर कोट ओवरटाइम-ओभरटाइम आदि। बांगला भाषा में 'य' का उच्चारण 'ज' की तरह किया जाता है, यथा-यमना-जमुना, यात्रा-जात्रा आदि। इसी तरह 'श' 'स' तथा 'स' को 'श' 'ष' के रूप में उच्चारण होता है। उदाहरण के रूप में विकास-बिकाश, शीशा-सीसा, अफसोस-आफसोष, सलामत-शालामत आदि शब्दों को देखा जा सकता है।

2. मानक हिंदी वर्तनी एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ : भाषा शिक्षण में लिपि एवं व्याकरण का विशेष महत्व होता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इस लिपि की वैज्ञानिकता सिद्ध हो चुकी है। भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों एवं शिक्षकों को व्याकरण संबंधी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। एक ही ध्वनि को जब भिन्न-भिन्न वर्णों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वर्तनी संबंधी त्रुटियों का होना अवश्यम्भावी होता है। इन्हीं त्रुटियों से बचने के लिए मानक वर्तनी की आवश्यकता होती है। मानक हिंदी वर्तनी के होने के बावजूद इस क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं की प्रकृति के कारण हिंदी में वर्तनी संबंधी त्रुटियों की प्रचुरता है। अध्यापकों के निरंतर अभ्यास एवं मार्ग-दर्शन के फलस्वरूप वर्तनी संबंधी भूलों पर काबू पाया जा सकता है। बांगला, असमिया, खासी, गारो आदि भाषाएँ 'आकार' एवं 'ओकार' बहुला हैं। दीर्घ 'ई' की जगह ह्रस्व 'ई' दीर्घ 'ऊ' की जगह ह्रस्व 'उ', 'औ' के बंदले 'ओ' का प्रयोग एवं 'ए' का 'ऐ' रूप में उच्चारण करने से वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ होती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि के नमूने नीचे दिए जा रहे है:-

अच्छा-आच्छा

तगड़ा-तागड़ा

तमाशा-तामाशा

झमेला-झामेला

सर-सार

खड़ा—खाड़ा

कमरा-कामरा

कलम-खुलोम

हल्का-हाल्का

हमेशा-हामेशा

जहाज-जाहाज

पहलवान-पालोवान

जानवर-जानोवर

हँसी-हाँसि

नली-नालि

खाली-खालि

माली-मालि

नतीजा-नतिजा

दीवान-देवान

तारीख-तारिख/तरिक

ठीक-ठिक

किताब-किताप

हाथी-हाति

रसीद-रसिद

जीत-जित

मीत-मित

मीठा-मिठा

दुकान- दोकान

नमूना-नमुना

रवाना-रवोना

बेकसूर-बेकसुर

मुकदमा-मोकदमा

मुलायम-मोलायम

पुलिस-पुलिच

रोटी-रूटि

अफसर-आफिचर

नुकसान-लोकसान

गाँव-गाऊँ

जूता-जूटि

हथियार-हतियार

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी एक बहुभाषी समाज की विकसनशील भाषा है तथा इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। भाषा-विकास की इस अवस्था में उच्चारण संबंधी अनेकरूपताओं का होना कोई अचरज की बात नहीं। फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाषा का मानक रूप निरंतर विकसित होता रहे। शिक्षक को चाहिए कि वह भाषाशिक्षण के दौरान छात्रों को भाषा के मानक रूपों का सम्यक् ज्ञान कराए। यहाँ कुछ शब्दों के प्रचलित एवं मानक रूप दिए जा रहे हैं:—

प्रचलित रूप		मानक रूप
चाहिये	-	चाहिए
कवितायें	-	कविताएँ
डाक्टर	-	डॉक्टर
कालेज	-	कॉलेज
ऐकता	-	एकता
हुवा	-	हुआ
कव्वा	-	कौआ

उपर्युक्त रूपों के अलावा संस्कृत भाषा के तत्सम् शब्दों को हिंदी में यथावत स्वीकार किया गया है। शिक्षक को चाहिए कि वह संस्कृत के ब्रह्म, चिह्न और उऋण आदि शब्दों को मूल रूप में छात्रों को लिखना सिखाए। इनके साथ छेड-छाड न करें। इसी प्रकार 'ग्रहीत', 'द्रष्टव्य','अत्याधिक' और 'अनाधिकार' जैसे शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

उत्तरपूर्व क्षेत्र में हिंदी भाषा शिक्षण में एक कठिनाई संयुक्त वर्णो को लेकर है। अहिंदी भाषी छात्रों को संयुक्ताक्षर बनाने में कठिनाई होती है। शिक्षक द्वारा बार-बार अभ्यास कराए जाने से ही इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाता है यथा:ख्याति, लग्न, विघ्न, व्यास, प्यास, नगण्य, कच्चा, कुत्ता, डिब्बा, सभ्य, रम्य, शय्या, उल्लेख, श्लोक, यक्ष्मा आदि। 'क' एवं 'फ' का संयुक्ताक्षर धक्का पक्का, मुफ्त, दफ्तर आदि की तरह बनाया जाना चाहिए। ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, और ह के संयुक्ताक्षर बनाते समय हल का प्रयोग किया जाता है। 'र' के संयुक्ताक्षर में तीन प्रचलित रूपों का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे-प्रकार, वर्ष और ट्रंक।

संयुक्त वर्णो की तरह ही कभी-कभी अनुस्वार एवं अनुनासिक को लेकर विभ्रम की स्थिति बन जाती है। फलत: इनके उच्चारण में त्रुटियाँ हो जाती हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते हुए साँस नाक से बाहर निकलती है अनुनासिक के उच्चारण में साँस नाक एवं मुख दोनों से निकलती है जैसे हंस-हँस, पंख-पाँख, अंग-आँख आदि। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में मानक हिंदी वर्तनी के रूप में अनुस्वार एवं अनुनासिक दोनों के लिए केवल अनुस्वार का प्रयोग प्रचलित करना उचित नहीं है। इससे अहिंदी भाषी बच्चों में भ्रम की गुंजाइश बनी रहेगी।

3. मानक व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ : भाषा शिक्षा में व्याकरण ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। व्याकरण के सम्यक् ज्ञान के बिना व्यक्ति भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। व्याकरणिक नियमों की अज्ञानता के कारण बच्चे प्राय: भाषा संबंधी भूलें करते हैं। इन गलतियों में काल, वचन, परसर्ग, उपसर्ग-प्रत्यय, संधि, समास, लिंग आदि से संबंधित त्रुटियाँ ही प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में काल, वचन, विभक्ति एवं लिंग संबंधी त्रुटियाँ अत्याधिक देखने को मिलती हैं। उत्तरपूर्व की भाषाओं में अप्राणीवाचक शब्दों को नपुंसक (क्लीवलिंग) लिंग के अंतर्गत रखते हैं जबकि हिंदी में

अप्राणीवाय शब्द भी स्त्रीलिंग अथवा पुलिंग ही होते हैं। एक अहिंदी भाषी जब सुनता है कि 'बस आती है' लेकिन 'ट्रक आता है' तो वह बहुत घबडा जाता है। 'आती- जाती' की समस्या से वह परेशान हो उठता है। इसलिए जरूरी है कि छात्रों को प्रांरभ से ही लिंग, वचन, विभक्ति आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाए । हिंदी भाषा की प्रकृति से परिचित हुए बिना इस समस्या का समुचित समाधान संभव नहीं होगा। इसी तरह 'यह मेरी घड़ी है', 'यह मेरी छडी है' आदि वाक्य उसे विचलित करते हैं क्योकि वह 'मेरा घडी' बोलना चाहता है। विभक्ति के सम्यक् ज्ञान के बिना इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं होगा।

4. हिंदी शब्दावली और अनुवाद : उत्तरपूर्व में हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार करते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हिंदी शब्दावली के स्वरूप और अनुवाद की आवश्यकता पर भी विचार किया जाए। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में हिंदी शिक्षण के दौरान हिंदी के कठिन शब्दों एवं पदबंधों का शब्दार्थ अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भी दिया जाना चाहिए। जैसे-जैसे छात्र उच्चतर कक्षाओं में जाए उनके पाठ्यक्रम में अनुवाद भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, तभी छात्रों को सहजतापूर्वक तीनों भाषाओं का ज्ञान कराया जा सकेगा। ऐसा किए बिना यहाँ के छात्र को हिंदी भाषा शिक्षण के द्वारा राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा ज्ञान प्रदान करना तथा उसमें दक्षता विकसित करना संभव नहीं होगा।

कहना न होगा कि भाषा संबंधी त्रुटियाँ इस क्षेत्र के साहित्य के विद्यार्थी को साहित्य अध्ययन के दौरान प्रभावित करती हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में पढे हुए हिंदी के छात्र उच्च कक्षाओं में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित नहीं कर पाते । कई शोधछात्रों को तो वर्तनी की अशुद्धियों का ज्ञान तक नहीं होता। आज यह केवल उत्तर पूर्व की विडंबना नहीं है बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों में भी कमोबेश यही प्रकृति दिखाई पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि मानक वर्णमाला, मानक वर्तनी एवं मानक हिंदी के साथ-साथ व्याकरण के नियमों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त एवं प्रदान किया जाए। तभी निरंतर भाषा सतर्कता एवं सम्यक् मार्ग दर्शन और अभ्यास के द्वारा भाषा शिक्षण संबंधी कठिनाइयों पर हम विजय पा सकते हैं। ■

देश की सबसे बड़ी संख्या में बोली जानेवाली हिंदी ही राजभाषा की अधिकारिणी है।

—सुभाषचंद्र बोस

2374 HA/2004—4

अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

—राम प्रवेश शर्मा *

आजादी के पूर्व संपूर्ण भारत में हिंदी को सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त था। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना अनिवार्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवाज दक्षिण भारत से उठी थी और महात्मा गांधी, केशव चन्द्र सेन, दयानन्द सरस्वती, सुनीति कुमार चटर्जी एवं राजगोपालाचारी आदि ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए आन्दोलन किए। इतना ही नहीं वे राष्ट्रभाषा को राष्ट्रीय सम्मान के साथ जोड़ कर देखते थे। अहिंदी भाषी लोगों में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति यह प्रेम अनायास ही नहीं उपजा था और न ही इसके पीछे कोई तात्कालिक भाषाई राजनीति थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि में अहिंदी भाषी प्रदेशों की प्रांतीय भाषाओं के साथ ही हिंदी के अन्तर्संबंध की एक सुदृढ़ एवं सुदीर्घ परम्परा को स्वीकार किया गया जिसका विस्तृत विवेचन इस लेख में किया गया है।

हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थान और पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार तक तथा उत्तरांचल से लेकर मध्यप्रदेश तक के प्रदेश को हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय गणराज्य अहिंदी-भाषी प्रदेश कहलाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि ऐतिहासिक रूप से अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की जड़ें अधिक गहरी प्रतीत होती हैं और मुख्य रूप से उन प्रदेशों में जहां हिंदी विरोधी आन्दोलन चले वहां हिंदी प्राचीन काल में व्यापक रूप से प्रचलित थी। अहिंदी भाषी प्रदेशों में विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में डॉ० बाबूराम सक्सेना ने लिखा है—"अचरज की बात यह है कि जहां उत्तर भारत में खड़ी बोली की इस परंपरा की रचना कई सदियों तक लुप्त रही, दक्खिन में इन्हीं सदियों में यह खूब फूली-फली। ...हिंदी ने जो कदम दक्खिन में जमाये, फारसी उसे हिला न सकी। बहुधा सुल्तानों ने फारसी के साहित्यकारों को मान और पुरुस्कार दिया पर हिंदी को मिटा कर नहीं।"[1]

अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की व्यापकता के ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रचीनकाल में हिंदी का प्रयोग एवं व्यवहार अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी होता था। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सन् 1297 एवं 1308 के बीच गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, जिससे दिल्ली साम्राज्य के विस्तार के कारण हिंदी भाषियों का एक बड़ा समुदाय उत्तर से दक्षिण में आया। इससे दक्षिण भारत में हिंदी को विकसित होने का अवसर मिला। सन् 1347 में मुगलों के विद्रोहस्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक आदि से सम्मिलित संयुक्त क्षेत्र में हुई। उत्तर से आये हुए सैनिक दक्षिण भारत की भाषाओं से परिचित नहीं थे इसलिए बहमनी वंश के शासकों ने हिंदी (दक्खिनी) को राजभाषा बनाया। "बहमनी राज्य के दफ्तरों में हिंदी ज़बान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी ज़बान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर हिंदी का यह पद उत्तराधिकारी रियासतों ने कायम रखा।"[2]

गुजरात में चौहदवीं एवं सत्रहवीं सदी के वैष्णव, संत एवं जैन कवियों ने धार्मिक रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य की समृद्धि में विशेष योगदान दिया। यहां के संत कवियों ने खड़ी बोली हिंदी की परंपरा को जीवित रखा है। इन संतों की भाषा 'सुधकक्कड़ी हिंदी' थी, जिस पर गुजराती का स्पष्ट प्रभाव है। जैन कवियों ने मुख्यत: अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी तथा प्रचीन गुजराती में रचनाएं लिखकर हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया। इसी प्रकार गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ के राजाओं ने भी हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में योग दान दिया। "गुजरात के राजाओं के हृदय में हिंदी के प्रति सम्मान था। उनके दरबारों में हिंदी कवियों का आदर होता था। गुजरात के राजा महाराजाओं के हिंदी प्रेम का इससे बढ़कर ज्वलंत उदाहरण और क्या होगा कि हिंदी कवियों को आश्रय देने एवं हिंदी सीखने की सुविधाएं प्रदान करने के साथ वह स्वयं भी हिंदी में कविता करते थे।"[3]

*226, आदर्श कालोनी, सिविल लाइन्स, रामपुर-244901

रामानुजाचार्य ने तेरहवीं सदी में भक्ति आंदोलन का प्रचार उड़ीसा में किया, जिससे उत्तर भारत के अनेक साधु संत यहां के धार्मिक स्थल 'पुरी' में आने लगे थे। इस प्रकार उनकी बोली का उड़ीसा में प्रचलित होना एक स्वाभाविक बात थी। उस समय भक्तिभाव की मुख्य भाषा ब्रजभाषा थी। इसलिए उड़ीसा के कुछ भक्त कवियों ने ब्रजभाषा में भक्ति रचनाएं लिखीं। रामानन्द द्वारा ब्रजभाषा में लिखित गीत आज भी उड़ीसा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मुगलों के शासनकाल में श्री वंशी वल्लभ मिश्र ने हिंदी के अनेक पद लिखे थे। इनके संबंध में डॉ० हरे कृष्ण महताब ने लिखा है--"इनके द्वारा रचित शुद्ध हिंदी गान और दोहे आज भी 'मोगल तमासा' के नाम से प्रचलित हैं। परंतु इनका कोई ओड़िया लेख आज तक नहीं मिला है। तथापि हिंदी साहित्य में वह एक उच्चकोटि के लेखक थे।"[4] सत्रहवीं-अट्ठारहवीं सदी में उड़िया के अनेक कवियों ने हिंदी में रचनाएं की हैं, उनमें रामदास, हरिचंदन तथा ब्रजनाथ बड़जेना प्रमुख हैं।

तेरहवीं से पंद्रहवीं सदी के मध्य महाराष्ट्र को जिन दो संप्रदायों ने सर्वाधिक प्रभावित किया, वे हैं महानुभाव तथा वारकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र में हिंदी की परंपरा 'महानुभाव संप्रदाय' से प्रारंम्भ हुई। इस संप्रदाय के संस्थापक चक्रधर स्वामी की शिष्या 'महदम्बा' परिष्कृत हिंदी में पद गाती थीं तथा इसी संप्रदाय के दामोदर पंडित हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम और उनके छोटे भाई 'कान्होबा' ने भी हिंदी में कविता की थी। अत: यह नि:संदेह रूप से कहा जा सकता है कि एक ओर उन्होंने मराठी को अपनाया वहीं हिंदी के महत्व को अनुभव किया। "वहां के संत जब हाथ में करताल लेकर भजन कीर्तन करने लगते, तब बीच-बीच में एक-दो पद हिंदी के गाकर श्रोताओं में अभिनव हिलोर पैदा कर देते थे।"[5] महाराष्ट्र में मराठा शासकों ने भी हिंदी को प्रोत्साहन दिया। शिवाजी की सभा में अनेक हिंदी कवि थे तथा शिवाजी के पुत्र संभाजी भी हिंदी में कविता करते थे। शिवाजी के राजनैतिक गुरु समर्थ रामदास ने हिंदी में अनेक पद लिखे।

हिंदी की व्यापकता के प्रभाव से बंगाल भी अछूता नहीं रहा। बंगाल के गौड़ीय धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को अपनाया तथा उसे अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तत्कालीन बांगला साहित्य पर हिंदी की शब्दावली का प्रभाव इसका प्रमाण है। बंगाल के वैष्णव कवि अपने कीर्तन आदि में बांगला के पदों के साथ-साथ हिंदी के पद भी गाते थे। मैथिली कवि विद्यापति ने बांगला साहित्य तथा हिंदी को निकट लाने में सेतु का काम किया। चौदहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में सूफियों के प्रभाव से बंगाल में अवधी भाषा का प्रचार-प्रसार हुआ। बंगाल में इस भाषा का नाम 'गोहारी' था। मुगलकालीन शासन में मुर्शिदाबाद, ढाका, चटगांव, हुगली, कलकत्ता आदि नगरों में उत्तर भारतीय व्यापारियों द्वारा खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता था।

भारत के सुदूर दक्षिण प्रांतों के अंतर्गत केरल प्रदेश में भी प्राचीन काल में हिंदी-हिंदुस्तानी का प्रयोग होता था। केरल के तीर्थस्थानों एवं मंदिरों की यात्रा के लिए उत्तर भारत से जो लोग जाते थे वह वहां की धर्मशालाओं तथा मंदिरों के संचालकों से हिंदी में बात करते थे। उस समय वहां के लोग हिंदी को 'गुसांई' भाषा कहते थे। केरल के तिरुवांकुर के राजा बड़े विद्या प्रेमी थे। वे उत्तर भारत से आने वाले साधु-संतों का सत्संग पाने के लिए हिंदी का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक समझते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने दरबार में हिंदी विद्वान नियुक्त किये थे। केरल के राजाओं ने राजवर्मा (उन्नीसवीं सदी) हिंदी के विद्वान एवं कवि थे। उनके पद भक्त कवि सूरदास एवं मीराबाई के समान लोकप्रिय हुए। तेरहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में असम के कवि माधव देव ने भी ब्रजभाषा को अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति काम माध्यम बनाया। सारांशत: जिन अहिंदी भाषी प्रदेशों में भाषाई राजनीति के परिणामस्वरूप हिंदी का विरोध बताया जाता है, उन प्रदेशों में हिंदी की विभिन्न भाषा शैलियों का साहित्य एवं विचार विनिमय के लिए प्रयोग होता था।

संदर्भ :

1. दक्खिनी हिंदी—डॉ० बाबूराम सक्सेना।
2. वही—पृष्ठ 34
3. गुजरात के हिंदी गौरव ग्रन्थ—डॉ० अंबाशंकर नागर।
4. रजत जयंती ग्रंथ—ओड़िसा की हिंदी को देन।
5. हिंदी को मराठी संतों की देन—विनयमोहन शर्मा।

साहित्यिकी

राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि—मैथिलीशरण गुप्त

*—कुलदीप कुमार**

**"केवल मनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिये।
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिये॥"**

मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक काल के कवियों में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। गुप्त जी केवल सृष्टा ही नहीं द्रष्टा भी थे। गुप्त जी का काव्य सोद्देश्य है। उन्होंने युग चेतना को सार्थक अभिव्यक्ति दी। उनकी महत्ता इस बात में है कि उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक कथानकों, घटनाओं और पात्रों के माध्यम से सामयिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर रचना धर्म की प्रासंगिकता और सार्थकता प्रतिपादित की। उन्होंने कविताओं से युग-मानस को झंकृत कर उसे नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का मंत्र सुनाया, जिस पर जगत ने उन्हें **"राष्ट्रीय कवि"** की संज्ञा दी। आपने **"भारत-भारती"** में उस समय की दीन दशा को दूर करने के लिए प्राचीन गौरव की ओर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु चेतना उत्पन्न की है। देखिए—

**"हे ब्रह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो,
भूलो न अनुपम आत्म गौरव धैर्य के ध्यानी बनो।
क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो,
निज देश को जीवन सहित, तन-मन, भेंट दो।"**

गुलामी गुलामी है, वह व्यक्ति के लिए कभी भी वरेण्य नहीं हो सकती। विदेशी शासन का मतलब है उत्पीड़न, शोषण, अनाचार और दुराचार। गुप्त जी ने स्वाधीन भारत को भी देखा था और पराधीन को भी। वे दोनों का अंतर समझते थे। उन्होंने दासता का भरसक विरोध किया। स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। उन्होंने विदेशियों के शोषण को देखा और अनुभव किया था। वे कहते हैं —

**"घूम रहा है कैसा चक्र
वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता तक्र
पिसे पड़े हो इसमें जब तक
क्या अन्तर आया है अब तक ?
सहे, अन्ततोगत्वा कब तक हम इसकी गति वक्र।।"**

गुप्त जी ने राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा तथा भारती सस्तुति आदि विविध विषयों को लेकर लगभग पचास काव्य-ग्रन्थों की रचना की है। भारत-भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज, विष्णु प्रिया, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। गुप्त जी की **"भारत-भारती"** तो मुक्त आन्दोलन की गीता रही है। वही सही अर्थों में भारत-भारती है। उसने विदेशी शासन से मुक्ति पाने की हमें अपूर्व प्रेरणा प्रदान की है—

**"मानस-भवन में आर्य्यजन जिसकी उतारें आरती
भगवान! भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती।
हो भ्रदभावोद् याविनी वह भारती हे भगवते
सीतापते ! सीतापते !! गीतामते ! गीतामते !!"**

गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के युवकों को स्वतंत्रता का संदेश दिया। देश-प्रेम और प्राणों को बलिदान करने की महती प्रेरणा दी। राष्ट्र के मानस को उसके पुरातन अतीत का गौरवगान सुनाकर सजग और सक्षम बनाया। अपने पतन के कारणों पर विचार-विमर्श करने के लिए आह्वान किया—

**"हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी॥"**

गुप्त जी का काव्य प्रचीन संस्कृति के भव्य आदर्शों को लेकर चला है और फिर हमारी वर्तमान समस्याओं का निरूपण किया है। अछूतोदधार, स्त्रीशिक्षा, विधवा-विवाह, ग्राम सुधार योजना, हिंदू-मुस्लिम एकता आदि अनेक नए विषयों को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। विधवाओं

* एम-128, प्लाट नं. 29, रामा कृष्ण विहार, पटपड़गंज, दिल्ली-92

के संबंध में गुप्त जी के विचार कितने मर्मस्पर्शी हैं—

"तुम बूढ़े भी विषयासक्त, बनी रहें वे किंतु विरक्त।
वे तो निरी बालिका मात्र, अस्पर्शित जिनका गात्र।
आप बनो विषयो के दास, वे अभागिनी रहें उदास।"

इसी प्रकार हिन्दू-मुस्लिम एकता पर उन्होंने लिखा—

"हिंदू-मुसलमान दोनों अब छोड़े यह विग्रह की नीति।"

आधुनिक युग में, नारी को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की गई। गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी-जागरण को अंकित किया। समाज में नारी की करुण अवस्था के उन्होंने कई सुंदर चित्र प्रदान किए। नारी जीवन पर लिखी गई उनकी यह पक्तियां विश्व-साहित्य के किसी भी महाकाव्य से कम नहीं है—

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आंखों में पानी॥"

गुप्त जी के अनुसार भारत के पतन का कारण है कि हम नारी को समुचित सम्मान नहीं देते—

"ऐसी उपेक्षा नारी की, जब हम स्वयं कर रहे।
अपना किया अपराध, उनके शील पर हैं धर रहे॥
भागें न फिर हमसे, भला क्यों दूर सारी सिद्धियां।
पाती स्त्रियां आदर जहां, रहती वहीं सब ऋद्धियां॥"

भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय आदर्शों के पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीन भावनाओं के वाहक कवि थे। युग के अनुकूल आदर्शों को परिवर्तित करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। उनका कथन था—

"जावेंगें अवश्य हम अपने,
प्रिय पितरों के पथ से।
किन्तु चक्र तो नहीं फसेंगे,
पूछेंगे निज रथ से॥"

आपने उत्साह, साहस और धैर्य बनाये रखने के लिए भारतीयों से कहा है, कि तुम राम कृष्ण, राणा प्रताप और शिवाजी की सन्तान हो। यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो कष्ट सहने पड़ेंगे—

"जितने कष्ट कंटकों में जिनका सुमन खिला।
गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र-तत्र सर्वत्र मिला॥"

गुप्त जी ने देश वासियों को उत्साहित करने के लिए खूब प्रयत्न किए हैं। देखिए—

"नर हो न निराश करो मन को।
कुछ काम करो कुछ काम करो।
जग में रहकर कुछ नाम करो।
यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो।
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो॥"

"वसुधैव कुटुंबकम्" की महती भावना गुप्त जी के काव्य का प्राण है। वे संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करते हैं—

"किसी एक सीमा में बंधकर रह सकते हैं प्राण?
एक देश का, अखिल विश्व का तात
चाहता हूं कल्याण।"

उनकी प्रसिद्ध कविता "वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे" में मानवतावादी भावनाओं के सजीव दर्शन होते हैं—

"अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे॥"

राष्ट्र कवि के रूप में गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के पोषक हैं। वे कर्म और मन से गांधी जी के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले हैं। गांधी-वाद से प्रभावित होकर गुप्त जी ने लोक-कल्याण के लिए जन-सेवा की घोषणा की—

"न तन सेवा, न मन सेवा
न जीवन और धन सेवा,
मुझे है इष्ट जन सेवा
सदा सच्ची भुवन सेवा॥"

मैथिलीशरण गुप्त जी सच्चे अर्थों में "राष्ट्रकवि" थे। आपके काव्य में "राष्ट्र वाणी" को प्रमुख रूप से अभिव्यक्ति मिली है। **"भारत-भारती"** तो राष्ट्रप्रेम का ज्वलंत ग्रंथ है, जिस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। ■

2374 HA/2004—5

हिन्दी की सरस्वती : महादेवी वर्मा

*—निशा सहगल**

आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरीं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला। विरह को दीपशिखा का गौरव दिया। व्यष्टि मूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन को प्रतिष्ठापित किया। उनके गीतों का नाद-सौंदर्य, पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है।

महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 26 मार्च, 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 22 सितम्बर, 1987, प्रयाग में। हिन्दुस्तानी स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता उनके व्यक्तित्व में समाविष्ट थी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की विलक्षणता से अभिभूत रचनाकारों ने उन्हें "साहित्य साम्राज्ञी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणि", 'शारदा की प्रतिमा' आदि विशेषणों से अभिहित करके उनकी असाधारणता को लक्षित किया। महादेवी जी ने एक निश्चित दायित्व के साथ भाषा, साहित्य, समाज , शिक्षा और संस्कृति को संस्कारित किया। कविता में रहस्यवाद, छायावाद की भूमि ग्रहण करने के बावजूद सामयिक समस्याओं के निवारण में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई।

महादेवी जी में काव्य प्रतिभा सात वर्ष की उम्र में ही मुखर हो उठी थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी कविताएं देश की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में स्थान पाने लगीं थीं। प्रयाग में अध्यापन कार्य से जुड़ने के बाद हिंदी के प्रति गहरा अनुराग रखने के कारण वे दिनों-दिन साहित्यिक क्रियाकलापों से जुड़ती चली गई। उन्होंने न केवल 'चांद' का सम्पादन किया वरन् हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयाग में 'साहित्यकार संसद' की स्थापना की। उन्होंने 'साहित्यकार' मासिक का संपादन किया और 'रंगवाणी' नाट्य संस्था की भी स्थापना की।

महादेवी जी कवयित्री होने के साथ-साथ एक विशिष्ट गद्यकार थीं। उनकी कृतियां इस प्रकार हैं : काव्य—'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सांध्यगीत', 'यामा', 'दीपशिखा', 'सप्तपर्णा', 'सांधिनी'। गद्य—रेखाचित्र: 'अतीत के चलचित्र', 'समृति की रेखाएं', 'पथ के साथी', 'मेरा परिवार'। निबंध-आलोचना: 'श्रृंखला की कड़ियां', 'विवेचनात्मक गद्य', 'क्षणदा', 'साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध', 'संकल्पिता'। विविध संकलन—'स्मारिका', 'स्मृति चित्र', 'संभाषण', 'संचयन', 'दृष्टिबोध'। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाल के अकाल के समय 'बंग दर्शन' तथा चीन के आक्रमण के समय 'हिमालय' का संपादन भी किया।

महादेवी वर्मा का काव्य अनुभूतियों का काव्य है। उसमें देश, समाज या युग का चित्रांकन नहीं है, बल्कि उसमें कवयित्री की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी अनुभूतियां प्रायः अज्ञात प्रिय के प्रति मौन समर्पण के रूप में हैं। उनका काव्य उनके जीवन काल में आने वाले विविध पड़ावों के समान है। उनमें प्रेम एक प्रमुख तत्व है जिस पर अलौकिकता का आवरण पड़ा हुआ है। इनमें प्रायः सहज मानवीय भावनाओं और आकर्षण के स्थूल संकेत नहीं दिए गए हैं, बल्कि प्रतीकों के द्वारा भावनाओं को व्यक्त किया गया है। कहीं-कहीं स्थूल संकेत दिए गए हैं—

मेरी आहें सोती हैं इन ओठों की ओटों में,
मेरा सर्वस्व छिपा है इन दीवानी चोटों में।

कवियत्री ने सर्वत्र अपनी प्रणय-भावना का उन्नयन और परिष्कार किया है। इनके प्रेम का आलंबन विराट् एवं विशाल है, जो अलौकिक है—

बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं।
नींद भी मेरी अचल निस्पंद कण-कण में,
प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में,
प्रलय में मेरा पता पद-चिन्ह जीवन में।

*डी-1209, डबुआ कालोनी, फरीदाबाद-121001

इन्होंने अन्य छायावादी कवियों की तरह प्रकृति पर सर्वत्र चेतना का आरोप किया है और उसके साथ विविध मधुर संबंधों की कल्पनाएं की हैं—

रजनी ओढ़े जाती थी!
झिलमिल तारों की जाली,
उसके बिखरे वैभव पर,
जब रोती थी उजियाली।

दु:ख-पीड़ा और विषाद इनके काव्य का मूल स्वर है और इन्हें सुख की अपेक्षा दु:ख अधिक प्रिय है। परन्तु इनमें विषाद का वह भाव नहीं है जो कर्म शक्ति को कुंठित कर देता हो। इनमें संयम और त्याग है तथा दूसरों का हित करने की प्रबल आकांक्षा है—

मैं नीर भरी दु:ख की बदली!
विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा कभी न अपना होना,
परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी थी कल मिट आज चली।

रहस्य भावना छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनकी कविता में भी यह भावना सर्वप्रमुख है। रहस्य भावना की अभिव्यक्ति में आत्मा और परमात्मा के संबंधों का इन्होंने विवेचन किया है—

ओ चिर नीरव!
मैं सरित विकल,
तेरी समाधि की सिद्धि अकल।

महादेवी वर्मा का काव्य भव्य और उदात्त है। भावों का साकार चित्रण करने में ये सिद्धहस्त हैं। थोड़े से शब्दों से इन्होंने सुंदर चित्रों का अंकन किया है। इनका अप्रस्तुत विधान भी इनकी कला को उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। इनका काव्य गीत-काव्य है, जिसमें अनुभूति की प्रधानता है। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के सरल और क्लिष्ट शब्दों के साथ-साथ तद्भव शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा अत्यंत मधुर एवं कोमल है। लाक्षणिकता की दृष्टि से इनका काव्य भव्य है—

देखकर कोमल व्यथा को!
आंसुओं के सजल रथ में,
मोम सी साधें बिछा दीं थी,
इसी अंगार पथ में।

छायावादी कवियों में महादेवी जी की कविता का अपना अलग रंग-ढंग है। उनकी कविता ने वेदना में जन्म लिया और करुणा में आवास पाया। 'नीहार' से लेकर 'दीपशिखा' तक वेदना की अनेक स्थितियां और अनुभूतियां अंकित हैं। मगर उन्होंने दु:ख के उसी रूप को वांछित माना, जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार के एक अविछिन्न बंधन में बांध देता है। मानवीय रागात्मकता को काव्य करुणा में ढाला। लेकिन कविता की अंतश्चेतना तक पहुंचे बिना उनकी कविता में निहित दु:खवाद पर तरह-तरह के आरोप लगे। उस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा गया 'इतनी सी मटकी उसमें मनों आंसू'। उन्हें मात्र 'नीर भरी दु:ख की बदरी' और 'एकाकिनी बरसात' समझकर घोर निराशावादी घोषित कर दिया गया। उनके काव्य में आत्मरतिवाद, प्रतीकवाद, आत्मपीड़नवाद और पलायनवाद को ही ढूंढकर उसे जीवन के अस्वीकार का काव्य मान लिया गया। लेकिन यह दृष्टिकोण एकांगी है। यह सही है कि उनकी कविता में सामयिकता का आग्रह और दबाव नहीं है, यथार्थ की खंडित दृष्टि नहीं है और उसमें पीड़ा, निराशा और पलायन के तत्व भी मौजूद हैं। लेकिन यह भी सच है कि दु:ख को कविता की अनुभव वस्तु में ढालकर महादेवी जी ने सुखवाद से मुंह नहीं मोड़ा है। उनका काव्य जीवन, सौंदर्य और आनन्द का भी आकांक्षी है। अन्यथा पीड़ा और निराशा में डूबी महादेवी जी जीवन और आनंद के सपने यों न संजोती—

कंटकों की सेज जिसकी!
आंसुओं का ताज सुभग,
हंस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज।

अत: पीड़ा और वेदना का यह संसार नकारात्मक नहीं है। महादेवी जी ने दु:ख और करुणा के लौकिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यों को स्पष्ट कर उसे व्यापक अर्थ प्रदान किया। उनकी दार्शनिक विवृत्तियों में कल्पना के माध्यम से जो व्यापक समाहार परिलक्षित हुआ, उसमें मनुष्य और समूची सृष्टि के परिवेश का संबंध योग बना रहा। आत्मा और परमात्मा के संबंधों की अवतारणा मनुष्य और प्रकृति के विविध रूपों में हुई। वह सर्वात्मवादी है। महादेवी जी ने इन रूपों को मानवीय व्यवहार में रूपांतरित किया।

काव्य की तरह महादेवीजी का गद्य भी विशिष्ट है। भावावेग के तीव्र क्षणों में महादेवी जी की कलम पद्य की ओर मुड़ी तो वैचारिक उत्तेजना और सामयिक दबाव के क्षणों में सामयिक विश्लेषण और विवेचन के लिए उन्होंने गद्य का आंचल थामा। एक कवि के रूप में उनके कोमल, करुण और व्यथित मन से साक्षात्कार होता है तो गद्यकार के रूप में उनका प्रखर, ओजस्वी और दृढ़ रूप सामने आता है। महादेवी जी का गद्य संस्कृति, भाषा, नारी समस्या आदि पर उनकी बेबाक और निर्भीक अभिव्यक्ति है। गद्य में बौद्धिक और वैचारिक विवेचन और निष्कर्ष के साथ-साथ एक कवयित्री के संवेदनशील हृदय का स्पंदन भी मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने एकांतिक जीवन की संपूर्णता के उत्प्रेरक चित्र ही नहीं खींचे वरन् सामयिक संघर्ष, उथल-पुथल, विकृतियों और विसंगतियों पर भी विद्रोहात्मक प्रहार किया है।

महादेवी वर्मा ने आज के रचनाकारों की तरह न तो बुद्धि-वैभव से पाठकों को आश्चर्य में डाला और न ही उन सिद्धांतों को मांज-धोकर, चमका-चमकाकर कविता में जोड़ने की कोशिश की। उनका प्रयास तो केवल जीवन के स्पंदन और गहरे मर्म को उद्घाटित करने का रहा। अंधेरे से उजाले की तरफ जाती उनकी कविता अपने अनुपम संवेग जगत के कारण चिरंतन है। सचमुच हिंदी की इस जाग्रत सरस्वती ने शून्य को, अंधकार को और अभाव को गौरव प्रदान किया। ■

हिंदी वह धागा है, जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारतमाता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा।

—डॉ. ज़ाकिर हुसैन

पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य

गांधी की प्रासंगिकता

—*डॉ. मृत्युंजय उपाध्याय**

महात्मा गाँधी जैसे महापुरुष शताब्दियों में कभी-कभार अवतरित होते हैं और ऐसे ही वीर पुत्रों से धरा अपने को धन्य मानती है। उसी पर गर्व करती है जो मानवता का पथ आलोकित करता है। जरा कल्पना कीजिए 1933 ई. का वह दौर, जब अवर्णों की छाया में चलना भी सवर्ण पाप मानते थे। ठाकुर के कुएं पर मजाल है कि अछूत जल पी ले, कि मंदिर में प्रवेश कर ले। इसी के कारण लिखी गई होंगी कहानियां, "ठाकुर का कुआं" : प्रेमचंद, "विराम चिह्न" : प्रसाद। उस समय यह क्रांतिदूत प्राण हथेली पर लेकर हरिजनों को संगठित कर वैधनाथ देवघर (बिहार) मंदिर में प्रवेश के लिए आगे बढ़ा। पंडों ने स्वप्न में भी हरिजन के मंदिर-प्रवेश की बात नहीं सोची थी। दरवाजे पर ही रोक कर उन्हें लाठियाँ मारकर पाट दिया, पर गाँधी जी डटे रहे। आज जाति-पांति का बंधन कट गया है, पर राजनीतिज्ञों ने जातिवाद को स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए इतना बढ़ावा दिया है कि देश के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई है। सवर्ण-अवर्ण दोनों के प्राण संकट में हैं। तब गाँधी जी याद आते हैं।

कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा कलेजा था उस महामानव का कि उसने अछूत, अस्पृश्य, नीची जाति को "हरिजन" की संज्ञा दी। सदियों से अपमानित, लांछित, प्रताड़ित, "हरिजन" (ईश्वर का आदमी) बन गया। बच्चन ठीक फरमाते हैं :

"हिंदू करते थे सदियों से,
जिनकी क्रूर अवज्ञा।
उन्हीं अछूतों को दी उसने,
हरिजन की शुभ संज्ञा"।

करुणा-जल से बढ़कर पवित्र कौन-सा जल हो सकता है। उसी जल से नहलाकर उन्होंने अछूतों को पावन बना दिया :

"किया अपावन उसने पावन
दृग जल से नहला के।"

मंदिर-प्रवेश के प्रसंग से आंदोलित होकर दिनकर ने "बोधिसत्व" कविता लिखी। गांधी जी को "आधुनिक युग का बुद्धदेव" स्वीकार किया। इसलिए कि उनमें बुद्ध के समान अशेष करुणा थी। दिनकर कविता के समाधान में लिखते हैं :

"अनाचार की तीव्र आंच से अपमानित अकुलाते हैं,
जागो बोधिसत्व भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं।
जागो गांधी पर किए गए मानव —पशुओं के वारों से,
जागो मैत्री निधीषि आज, व्यापक युगधर्म पुकारों से।"

आज हमारे जीवन में जहर इसलिए घुल गया है कि हम आत्मकेंद्रित बन गए हैं। हमने लोक, समाज से आंखें मूंद ली हैं। किसी की हत्या हमारे लिए एक खबर भर है। इसलिए कि हमारी करुणा मर गई है। हम मनुष्यता का दंभ भरते हैं, पर पशु से भी बदतर हो गए हैं। आज गाँधी ईसामसीह के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं—पूछते हैं सबसे :

"मैंने बांसुरी बजाई तुम नाचे नहीं,
मैं फूट-फूट कर रोया तुम्हारी आंखें नम नहीं हुई।"

आज इसी पर-दुःखकातरता की जरूरत है। "पराई पीर की पहचान" और हमदम बनने की जरूरत है। गाँधी जी इसी के लिए प्रयत्नशील रहे।

शारीरिक शक्ति की सीमा है। उसका अंत है, परंतु आत्मिक बल नित्य है। नैतिक साहस असंभव को संभव

*वृन्दावन, राजेन्द्र पथ, धनबाद-826001

2374 HA/2004—6

कर दिखा सकता है। गाँधी जी इसी बल पर सत्य-अहिंसा का दामन थामे रहते थे। अंग्रेजों को विश्वास नहीं था कि एक निहत्था लड़ाई कैसे लड़ सकता है, परंतु उन्होंने बता दिया :

''आंतक से पाया हुआ क्या मान कोई मान है
झुक जाए जिस पर दिल स्वयं सच्चा वही बलवान है।''

अशांति एवं तनाव का कारण है - शरीर के इशारे पर चलना-खाना, पीना, सोना, मौज-मस्ती। इसकी सीमा नहीं है। जो पा लिया, उससे जी उब गया। जो भोग लिया, वह बेकार लगने लगा। इसलिए ऐसी चीज की खोज हो, जिससे विकर्षण न हो, विरक्ति न हो। यह आत्मान्वेषण से मिल सकती है। आत्म-साक्षात्कार की ज्योति जलाकर पाई जा सकती है। गाँधी जी इसी पर जोर देते थे। सी.ई.एम जोड़ ने गाँधी पर केंद्रित एक लेख लिखा है—''गाँधियन वे'' जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि वे ''अलगाव का सिद्धांत'', (थ्योरी ऑफ डिटेचमेंट)'' जानते थे। शरीर और आत्मा को अलग-अलग देख सकते थे। दोनों की पुकार सुन सकते थे। बड़ी बात यह थी कि वह देह को आत्मा के हित में लगा सकते थे। देह उनके लिए उनकी आत्मा की दासी भर थी। आत्मा की पुकार, उसका हित ही सर्वोपरि था। यही कारण था कि वे एक-एक महीने तक उपवास कर सकते थे। पश्चिमी देशों की भोगवादी संस्कृति ने शरीर को ही प्रधान बताया है और आज हम उसी के पीछे पागल हैं। हमारी दौड़ तभी रुकेगी, हम श्रेय तभी पाएंगे, मानव-मानव के मध्य रागात्मक संबंध तभी बनेगा, जब हम देह के पालन-पोषण से ऊपर उठेंगे। आत्मा के कल्याण के लिए जागरूक होंगे। सी.ई.एम. जोड ने ''गांधियन वे'' में इसी पर बल दिया है।

भारत कहलाता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है अपने धर्म के साथ अन्य धर्म का आदर। दूसरे धर्म के प्रति पूरी सहिष्णुता, पर यहाँ उल्टे राग अलापे जाते हैं। दूसरे धर्म के प्रति घोर असहिष्णुता सारे अनर्थ का कारण बनती है। महाभारतकार, कहते हैं-''धर्मः यो बाधते धर्मः न त धर्मः, कुधर्म तत्'' अर्थात् जो धर्म दूसरे धर्मो को बाधा पहुंचाता है, वह धर्म नहीं, कुधर्म है। सच्चाई यह है कि इसी कुधर्म के कारण जगह-जगह सांप्रदायिकता की आग भड़कती है और मानवता के सुख-स्वप्न क्षार-क्षार हो जाते हैं। गांधी सर्वधर्म समन्वय की अलख जगाते थे। उनकी प्रार्थना ''रघुपति राघव राजा राम...'' उनका प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तेणे कहिये, जे पीर पराई जाणी रे' (नरसी मेहता) सभी धर्मों के प्रति आदर और मानव जाति के प्रति उनकी अपार करुणा के स्रोत हैं।

1946 का नोआखली में सांप्रदायिक दंगा, भीषण नरसंहार, उसमें गाँधी का कूद पड़ना, प्राणों की परवाह किए बिना। ऐसा वही कर सकता है, जो आत्मबल से भरा हो, जिसमें नैतिक साहस हो और मानवता के प्रति अजस्र करुणा। आज देश पर आतंकवाद, अलगाववाद, संप्रदायवाद के काले बादल इसलिए मंडरा रहे हैं कि न किसी को देश से मतलब है, न मानवता से। उसके सामने एक ही आदर्श है ''आप आप ही चरै।'' आज गाँधी की पल-पल पर जरूरत महसूस हो रही है। हमें वह अग्नि-परीक्षा की घड़ी याद आ रही है, जब गाँधीजी घूम-घूमकर आग की लपटें शांत कर रहे थे। दिनकर लिखते हैं :

''आदर्श मांगता मुक्त पंथ वह कोलाहल में जाएगा,
लपटों से घिरे महल में से जीवित स्वदेश को लाएगा।
विश्वासी बन तुम खड़े रहो-कंचन की आज समीक्षा है,
यह और किसी की नहीं, स्वयं सीता की अग्नि परीक्षा है।''

आज देश को लपटों से बचाने के लिए इसी अग्नि-परीक्षा की जरूरत है। हर क्षण लगता है कि हमारी सारी समस्याओं का उत्तर गाँधी जी के पास है।

आज प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप करने में लगा रहता है। सत्ता पक्ष अपनी असफलता विपक्ष पर डाल देगा। कोई गंभीर संकट आएगा, तो दूसरों पर दोष मढ़ देगा। स्वयं निश्चिंत हो जाएगा। इसे कहते हैं पलायन, कायरता, नपुंसकता। उत्तरदायित्व से मुग मोड़ना यही है। ऐसी स्थिति में गाँधी जी का साफ-साफ कहना है:

''तुम दुनिया के लोगों का उत्तरदायित्व अपने सिर पर मत लो, न दूसरे के दोष गिनाने में वक्त जाया करो। तुम अपना उत्तरदायित्व संभालो। अपना काम निष्ठापूर्वक करो। देश सुधर जाएगा'' एक-एक व्यक्ति जगे। अपने कर्म के प्रति निष्ठावान हो, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी।

गाँधीजी का कहना था, कि राजनीति और अर्थनीति दोनों में गाँवों की मुख्य भूमिका हो। सत्ता का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण हो। दिल्ली में सत्ता का केंद्र हो, तो गांवों में पंचायतें हों, जो उनके मामले बिना किसी खर्च के

चुटकी में सुलझा दे। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास के स्वप्न साकार हों। मसलन साक्षरता, पिछड़ापन दूर करना, अंध-विश्वास भगाना एवं प्रगति की नई रोशनी में कदम बढ़ाना। भारत कृषि प्रधान देश है, यहां की सत्तर प्रतिशत आबादी गाँवों में वास करती है। उनकी जीविका का मुख्य आधार है खेती। अतएव, गाँधीजी ने ''गांवों की ओर लौट चलो'' का नारा दिया था। इसलिए कि कृषि को उन्नत व बहुफसली बनाकर तथा खाली समय के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। इसकी आवश्यकता आज भी यथावत् है। शहरों का विकास हो रहा है, पर ग्रामीण विकास का स्वप्न पूरा नहीं हो पाया है। आज गाँवों के समग्र विकास का प्रश्न हो, राजनीतिक जागरूकता का प्रश्न हो या मानव जाति को त्राण दिलाने का मुद्दा हो, रौम्या रोला का वह महात्मा गांधी जी सदा हमारे बीच खड़े दिखाई पड़ते हैं अभय की मुद्रा में। अजेय सेनानी की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हुए।

अंग्रेजी पढ़िके जदपि सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन॥
परदेशी की बुद्धि अरू वस्तुन की कर आस।
परबस ह्वै कब लौ कहाँ रहिहौ तुम ह्वै दास॥

—भारतेंदु हरिश्चंद्र

कैसे बना हमारा ब्रह्मांड

—डॉ० विजय कुमार उपाध्याय*

ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उससे संबंधित जानकारी का विषय प्राचीन काल से ही गहन मंथन एवं शोध का विषय रहता आया है। प्रागैतिहासिक काल से ही संसार के प्रमुख दार्शनिक एवं वैज्ञानिक इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ़ने के प्रयास करते आ रहे हैं तथा सभी ने अलग-अलग ढंग से अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत के पौराणिक ग्रंथों में स्थान-स्थान पर इस विषय की चर्चा की गयी है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने बताया है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों का नाम उन्होंने 'परमाणु' रखा। कणाद का विचार था कि जब ये परमाणु एक दूसरे से अलग-अलग अपना अस्तित्व रखते हैं तो यह प्रलय की स्थिति होती है। परन्तु जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं तो ब्रह्मांड के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक अरस्तू ने बताया कि ब्रह्मांड के सभी घटकों का निर्माण पांच तत्वों के मिलने से हुआ है। ये पांच तत्व हैं—भूमि, आकाश, जल, अग्नि और ईथर।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिनमें सबसे प्रमुख हैं महाविस्फोट (बिग बैंग)। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वालों में एक प्रमुख नाम है बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलविद् जौर्जेस लेमेत्हवे का, जिसने सन् 1927 में बताया कि प्रारंभ में हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म एवं घनीभूत पदार्थ के रूप में था। इस घनीभूत पदार्थ का नाम उसने ब्रह्म अंड (कौस्मिक एग) रखा। यह ब्रह्म अंड इतना सूक्ष्म था कि आज के अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) से भी इसे देखना संभव नहीं था। परन्तु आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्म अंड में एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसके कारण इसके पदार्थ चारों ओर फैलने लगे। ब्रह्मांड का इस प्रकार फैलना आज भी जारी है।

ब्रह्मांड के लगातार फैलते जाने का प्रयोगिक प्रमाण कई वर्षों के बाद उस वक्त मिला जब एडविन पॉवेल हब्बुल नामक एक अमरीकी खगोल वैज्ञानिक ने अपनी 100 इंच की दूरबीन से देखा कि ऐंड्रोमेडा तथा अन्य तारामंडल हमसे दूर भागते जा रहे हैं। उसने पाया कि जो तारामंडल हमसे जितनी अधिक दूर है, वह उतनी ही अधिक तेजी से हमसे दूर भाग रहा है। हब्बुल के मन में प्रश्न उठा कि आखिर क्या बात है कि सभी तारामंडल हमसे दूर भाग रहे हैं। बहुत विचार करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इस संबंध में उसने एक चितकबरे गुब्बारे का उदाहरण दिया। चितकबरे गुब्बारे में जैसे-जैसे हवा भरी जाती है उस पर मौजूद सभी रंगों के धब्बे धीरे-धीरे एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं। जो धब्बे एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं वे अधिक तेजी से एक दूसरे से दूर भागते हैं।

रूसी मूल के अमरीकी वैज्ञानिक जॉर्ज गैमो ने भी महा विस्फोट सिद्धांत का समर्थन किया। उसने सन् 1948 में बताया कि महाविस्फोट के बाद बहुत अधिक परिमाण में ऊर्जा उत्सर्जित हुई होगी जो समय बीतने के साथ धीरे-धीरे कम होती गयी होगी, पूर्णत: समाप्त नहीं हुई होगी। उसका अनुमान था कि उस महाविस्फोट का कुछ बचा-खुचा अंश, अर्थात् महाविस्फोट से उत्सर्जित ऊर्जा का अवशिष्ट अंश, अंतरिक्ष के प्रत्येक हिस्से से अभी भी आ रहा होगा जिसका पता उपयुक्त उपकरण की सहायता से आज भी आसानीपूर्वक लगाया जा सकता है।

महाविस्फोट के कारण उत्सर्जित ऊर्जा के जिस बचे-खुचे अंश के अन्तरिक्ष में उपस्थित होने का अनुमान जॉर्ज गैमो ने लगाया था, उसे प्रयोगिक तौर पर साबित करने का प्रयास किया जर्मन मूल के अमरीकी भौतिकविद् आर्नो एलेन पेत्सिओस तथा उसके सहयोगी रॉबर्ट उडरो विल्सन ने। इन लोगों ने भोंपू की आकृति वाले एक अति संवेदनशील ऐंटेना

*द्वारा जनार्दन पांडे, क्वार्टर नं० 4097, सेक्टर-12बी, नया बोकारो स्टील सिटी, झारखंड

से 7.35 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य पर एक 'हिस' की आवाज सुनी। 'हिस' की यह आवाज ऐंटेना की दिशा पर निर्भर नहीं करती थी, बल्कि सभी दिशाओं से एक समान आती पायी गयी। विस्तृत अध्ययन के उपरांत ये वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 'हिस' की यह आवाज 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले किसी स्रोत से आ रही थी। यह स्रोत वस्तुत: उस महाविस्फोट से उत्सर्जित ऊर्जा का अवशिष्ट अंश था। यह अवशिष्ट अंश अंतरिक्ष के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। परन्तु इन वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष सिर्फ अनुमान पर आधारित था, किसी निश्चित प्रमाण पर नहीं।

जॉर्ज गैमो द्वारा लगाए गए अनुमानों को प्रयोगिक विधि से सत्य प्रमाणित किया नवम्बर 1989 में प्रक्षेपित कृत्रिम अमरीकी उपग्रह 'कावी' ने। इस उपग्रह में 'डिफेरेंशियल माइक्रोवेव रेडियोमीटर' नामक उपकरण लगा हुआ था जिसके द्वारा महाविस्फोट से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा के अवशिष्ट अंशों से युक्त क्षेत्रों की खोज की जा सकी।

बीसवीं शताब्दी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन स्टीफेन हौकिंग तथा तुर्लौक द्वारा किया गया। इन वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में महाविस्फोट के ठीक पहले की स्थिति के बारे में अनुमान लगाया है। इनके मतानुसार महाविस्फोट के ठीक पहले ब्रह्मांड मटर के एक दाने के समान बहुत ही छोटे टुकड़े के रूप में था। यह टुकड़ा एक कालहीन छिद्र या शून्य में निलंबित था। मटर के आकार वाला यह ब्रह्मांड घनीभूत ऊर्जा से निर्मित था। आज से लगभग बारह अरब वर्ष पूर्व मटर के आकार वाले इस ब्रह्मांड में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद ब्रह्मांड फैलना तथा ठंडा होना शुरू हुआ। वह ज्यों-ज्यों फैलता तथा ठंडा होता गया इसकी ऊर्जा का परिवर्तन पदार्थ के रूप में होता गया। ब्रह्मांड का यह फैलना आज तक जारी है। स्टीफेन हौकिंग तथा तुर्लौक ने इस प्रसार का नाम रखा 'ओपेन इनफ्लेशन' जिसका अर्थ है खुला फैलाव। यह खुला फैलाव तब तक जारी रहेगा जब तक गुरुत्वाकर्षण बल इसे संकुचन के लिये बाध्य न कर दे। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण समीकरण के विश्लेषण के आधार पर हौकिंग तथा तुर्लौक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रह्मांड का फैलना अनंत काल तक जारी रहेगा।

हौकिंग तथा तुर्लौक ने अपने 'ओपेन इनफ्लेशन' नामक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, वह किसी खगोलीय पर्यवेक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि भौतिकी के नियमों के तर्कपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है। इसी कारणवश अधिकांश वैज्ञानिक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सर मार्टिन रीस नामक खगोलविद का मानना है कि हौकिंग तथा तुर्लौक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि जब तक खगोलीय पर्यवेक्षणों द्वारा नहीं हो जाती तब तक इसे सिर्फ एक अनुमान ही कहा जा सकता है। इसके विपरीत हौकिंग तथा तुर्लौक अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से पूर्णत: संतुष्ट हैं। वे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इस सिद्धांत में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तथा उनका सिद्धांत प्रत्येक जांच की कसौटी पर सही उतरेगा।

यदि हौकिंग तथा तुर्लौक का सिद्धांत सही तथा त्रुटिहीन भी हो तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि शुरू-शुरू में मटर के दाने के समान आकार वाला ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में स्टीफेन हौकिंग ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' में बताया है कि यदि हम यह मानते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण तथा स्वयंभू है तो मानना पड़ेगा कि यह अनादि तथा अनंत है।

ब्रह्मांड वैज्ञानिकों का दूसरा समूह ऐसा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में स्थिर अवस्था (स्टीडी स्टेट) सिद्धांत का समर्थक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोलविद फ्रेड हॉयल द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड शाश्वत है जिसकी न तो कभी उत्पत्ति हुई और न कभी अंत होगा। फ्रेड हॉयल की धारणा थी कि फैलते हुए ब्रह्मांड में विभिन्न मंदाकिनियां एक दूसरे से जैसे-जैसे दूर हटती जाती हैं, वैसे-वैसे वे विरल होती जाती हैं तथा अंतत: लुप्त हो जाती हैं। फिर ब्रह्मांड में बिखरे हुए हाइड्रोजन तथा अन्य गैसों और कणों के आपस में मिलने तथा संगठित होने से नई मंदाकिनियों तथा नये तारा समूहों का निर्माण होता है। इस प्रकार सृष्टि तथा विनाश की क्रिया अनवरत चलती रहती है।

भारत के प्रदिध ब्रह्मांड वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लीकर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास से संबंधित एक नये सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को 'अर्द्धस्थिर

2374 HA/2004—7

अवस्था सिद्धांत (क्वैसी स्टीडी स्टेट कौस्मोलौजी)' कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हेतु अनेक छोटे-छोटे विस्फोटों की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। इसके अनुसार ब्रह्मांड शाश्वत है तथा इसके पदार्थ किसी न किसी रूप में सदैव मौजूद रहे हैं। ये पदार्थ समय-समय पर संगठित होकर बड़े-बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं फिर इन पिंडों का विस्फोट होता है तथा इन विस्फोटों के कारण बिखरे पदार्थों से ब्रह्मांड के सभी अंगों का निर्माण होता है।

कुछ वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत (ओसिलेटिंग या पल्सेटिंग थियोरी) का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अभी फैलता जा रहा है। परंतु भविष्य में एक समय ऐसा आयेगा जब इसका फैलना रुक जायेगा तथा यह संकुचित होने लगेगा। इस संकुचन के कारण विभिन्न खगोलीय पिंड आपस में टकराएंगे। इस टकराव के कारण एक जोरदार धमाका होगा तथा ब्रह्मांड के पदार्थ पुनः फैलने लगेंगे। इसी प्रसार के दौरान ग्रह, तारे तथा अन्य खगोलीय पिंडों का पुनः निर्माण होगा। इस प्रकार ब्रह्मांड का फैलना, फिर संकुचित होना तथा उसके बाद भयंकर विस्फोट, इस तरह के चक्र अनवरत चलते रहेंगे। इस प्रकार के असंख्य चक्र अतीत में चल चुके हैं तथा भविष्य में भी चलते रहेंगे। ■

मैं कहता हूं कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। उनको गरज होगी तो वे हमारी बात सुनेंगे। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूँगा। जिसको गरज होगी वह सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे, तो हिंदी भाषा का दर्जा बढ़ेगा।

—गांधी

महिला सशक्तिकरण तथा पंचवर्षीय योजनाएं

*—डॉ० ओमराज सिंह**

भारतीय संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के कुल पदों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाने से वर्तमान में 40.1 प्रतिशत महिलाएं ग्राम प्रधान, 33.75 प्रतिशत पंचायत समिति, 32.2 प्रतिशत जिला परिषद में अध्यक्ष हैं तथा कार्य के प्रति सचेत रहकर कर्त्तव्य का पालन करने में अपनी क्षमता का परिचय भी दे रही हैं।

परंतु यदि हम जनगणना के आंकड़ों को देखें तो वे महिलाओं की हीन स्थिति को दर्शाती हैं। यदि हम सन् 1901 से 2001 तक 100 वर्षों के दौरान देखें तो प्रति सौ पुरुष महिला अनुपात गिरा ही है।

वर्ष	महिला
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

स्रोत : जनगणना, 2001, भारत सरकार।

महिला सशक्तता से ही एक मजबूत समाज और देश का निर्माण हो सकता है। नवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण को मुख्य नीति के रूप में स्वीकार किया गया है तथा उसी के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है। परन्तु सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? समाज विज्ञान की परिभाषा के अनुसार 'शक्ति' को दूसरों पर नियंत्रण के रूप में आंका जा सकता है अर्थात् एक व्यक्ति या समूह का दूसरे व्यक्ति या समूहों के कार्यों या विकल्पों पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण रखना शक्ति है। महिलाओं की उन्नति/विकास में सशक्तता का अर्थ महिला वर्ग का पुरुष वर्ग पर प्रभुत्व या नियंत्रण के रूप में नहीं है बल्कि इसकी धारणा है कि हम सबके अन्दर एक शक्ति है आत्मिक शक्ति एवं विलक्षणता जो हम सभी को मानव बनाती है। इसका आधार है आत्म सम्मान तथा आत्म-स्वीकार्यता। महिला सशक्तता से हमारा मतलब है महिलाओं में इसी आंतरिक शक्ति का विकास कर उन्हें अपनी क्षमता का अहसास कराना, उन्हें समाज के आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना, उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर शक्ति की गरिमा को महसूस करने का अवसर प्रदान करना एवं उनमें आत्म-विश्वास एवं आत्म-स्वीकार्यता की भावना विकसित करना है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिला-सशक्तता केवल दूसरों पर अधिकार जमाने वाली नियंत्रक शक्ति के बजाय उत्पादक शक्ति अधिक है, जोकि महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर उन्हें देश के विकास की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायक है। भारत हमेशा से ही सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को समाज में समान दर्जा प्रदान कर सशक्त बनाने का समर्थक रहा है परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् छह दशकों का अवलोकन करने पर नजर आता है कि इस दिशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर निरंतर

*निपसिड, हौजखास, नई दिल्ली-110016

प्रयास जारी रहा है तथा महिला कल्याण से शुरू होकर महिला विकास के मार्ग से गुजरता हुआ-वर्तमान में महिला सशक्तिकरण तक पहुंच गया है।

आज महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित की है चाहे वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की निदेशक के रूप में या एवरेस्ट पर विजय हासिल करने के रूप में। इस प्रकार अगर देखा जाए तो महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों के ही समान हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता एवं क्षमता का आभास कराता है। आज के दौर में सशक्त महिलाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने में अत्यंत ही सहायक एवं उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, जोकि समाज में समानता लाने में सफलता की ओर सार्थक कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं तथा यह सामाजिक परिवर्तन का अच्छा संकेत है।

भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए समान अधिकारों के बारे में बताता है। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, वह निम्न प्रकार से हैं :

अनुच्छेद 14 : कानून के समक्ष समानता का उल्लेख करता है, जोकि महिला एवं पुरुष के लिए एक समान व्यवहार को दर्शाता है।

अनुच्छेद 15 : किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए है, चाहे भेदभाव लिंग, जाति, धर्म के आधार पर ही क्यों न हो।

अनुच्छेद 16(1) एवं (2) : महिला एवं पुरुष को रोजगार दिलाने के लिए एक समान अवसर की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 39(4) : समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष के लिए एक समान वेतन पर जोर देता है तथा वेतन के लिए भेदभाव न किया जाए।

अनुच्छेद 42 : कार्य एवं प्रवास के राहत की सही एवं मानवीय दशाओं को दर्शाता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएं—

देश की **प्रथम पंचवर्षीय योजना** (1951-56) में 'मानव-पूंजी निर्माण' के लिए सामाजिक सेवाओं पर अधिकतम जोर दिया गया था जैसेकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, आवास एवं पुनर्वास आदि। महिलाओं एवं बच्चों के विकास को बढ़ावा देना। अनुदान देने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने हेतु सन् 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया जोकि महिलाओं एवं बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाता था। इसी दौरान पहली बार महिला मंडलों या महिला क्लबों को संगठित किया जाना भी देश के विकास के लिए एक उत्तम शुरुआत थी। **द्वितीय पंचवर्षीय योजना** जोकि सन् 1956-61 तक के लिए बनाई गई थी उसमें महिलाओं के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ ही श्रम प्रधान कृषि विकास के ऊपर भी ध्यान दिया गया। इसमें महिलाओं की कामगारों के रूप में संगठित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई तथा यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं को जोखिम वाले काम से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए तथा आर्थिक लाभ के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए शिशु-सदनों की भी स्थापना की जानी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए महिलाओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के भी सुझाव दिए गए ताकि महिलाएं उच्चतर पदों के लिए प्रतियोगिताओं में बैठकर पुरुषों के समान ही अपनी योग्यता तथा निपुणता का प्रदर्शन तथा कौशल दिखा सकें। **तृतीय पंचवर्षीय योजना** सन् 1961-66 तक के लिए बनाई गई थी। जिसमें महिलाओं की शिक्षा को मुख्य कल्याणकारी नीति के रूप में स्वीकारा गया। इसमें ग्रामीण सेवाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवार नियोजन में संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयासों को जारी रखने पर जोर दिया गया तथा सोचा गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के हित में होने के कारण चलते रहने चाहिए। **चौथी पंचवर्षीय योजना** जोकि सन् 1969-74 तक के लिए बनाई गई थी उसमें नारी शिक्षा पर अत्यंधिक जोर डाला गया। इस योजना की मूल नीति, कार्य आधार के रूप में परिवार के भीतर ही रहकर महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने की थी, इसके अन्तर्गत परिवार नियोजन के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया गया तथा जनशिक्षा के माध्यम से

जन्मदर प्रति हजार चालीस से घटाकर 25 तक करने का प्रयत्न किया गया। पाठशाला पूर्व बच्चों के रोग प्रतिरक्षण टीका लगाने; बच्चों तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक आहार उपलब्ध करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई तथा यह सोचा गया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के कारण माता तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर होगा जोकि समाज के उत्थान के लिए हितकारी साबित होगा। **पांचवी पंचवर्षीय योजना** (1974-79) का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करना था। इसलिए इस योजना में जरूरतमंद महिलाओं को आमदनी एवं सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। महिलाओं में कुशलताओं के विकास एवं उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि महिलाओं के द्वारा पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति आसानी से हो सके जैसे बच्चों की देखभाल-पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गृहअर्थव्यवस्था आदि। सन् 1971 में भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसका कार्य देश की बदलती हुई सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं के विकास संबंधीं सभी प्रश्नों की व्यापक छानबीन करना था। समिति की रिपोर्ट में मुख्यतौर पर एक बात प्रकाश में आई कि देश में हुए सामाजिक परिवर्तन तथा विकास का महिलाओं के एक बड़े वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप असंतुलन एंव असमानताओं को बढावा मिला। इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद में भी वाद-विवाद पनपा एवं महिलाओं के बारे में एक नई चेतना जागृत हुई, जिसमें उन्हें कल्याणकारी नीतियों के लक्ष्यों की अपेक्षा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा गया। **छठी पंचवर्षीय योजना** (1980-85) में महिलाओं के काम की शर्तें सुधारने एंव उनका आर्थिक तथा सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की शुरूआत की गई जिनमें महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महिला प्रधानों को प्राथमिकता दी गई। शिक्षा के विकास के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, छात्रवृत्ति की ऊंची दरें, महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना, कामचलाऊ शिक्षा इत्यादि कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग महिलाओं के दिन-प्रतिदिन के कामकाजों में सुविधा के लिए किए जाने पर जोर दिया गया। समेकित बाल विकास योजना में गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के पोषाहार को प्राथमिकता दी गई। महिलाओं के लिए केंद्रों तथा मुसीबत में महिलाओं की सहायता हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को उनकी मदद के लिए वित्तीय सहायता दी गई तथा सरकार की तरफ से हमेशा यही कोशिश की गई कि मुसीबत के समय बच्चों तथा महिलाओं की मदद की जाए ताकि महिलाएं भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर सकें। इसी प्रकार से **सातवीं पंचवर्षीय योजना** का जोकि (1985-90) तक नियोजित थी का उद्देश्य था कि महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उनके अंतर्गत उनकी अपनी क्षमता, अधिकार एव सुविधाओं के प्रति जागरूकता लाने के साथ आत्मविश्वास का होना निहायत ही जरूरी है। इस योजना में महिलाओं के लिए काम के नए अवसर पैदा करना तथा महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना आवश्यक माना गया तथा मानव संसाधन के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास नामक एक अलग विभाग का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य महिलाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करना, उन्हें संचालित करना तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का वित्त पोषण करना है। इसी बीच भारत सरकार के अनेकों मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा 27 योजनाओं को कार्यान्वित किया गया जिसमें कुछ योजनाएं केवल महिलाओं के लिए तथा अन्य महिला एवं पुरूषों दोनो के लिए थी। इसी दौरान ग्रामीण स्तर पर गरीब अथवा निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर, संकट ग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए केंद्र निःशुल्क कानूनी सहायता, कार्यरत, महिलाओं के लिए छात्रावास, महिला विकास निगम की स्थापना, उत्पादन/रोजगार संबंधी कार्यक्रम में सहायता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टेप (स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एवं एम्प्लाएमंट प्रोग्राम) आदि मुख्य हैं। **आठवीं पंचवर्षीय योजना** (1992-97) का मुख्य उद्देश्य था कि देश में चल रहे विकास कार्यो में महिलाओं की अवहेलना न हो बल्कि महिलाओं के विकास के लिए प्रोग्राम निरंतर चलते रहें ताकि महिलाएं भी पुरुषों के समान,सम्मान से अपना जीवनयापन कर सकें। इसी दौरान ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से संविधान के 73वें संशोधन द्वारा महिलाओं की 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके पंचायतों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस प्रकार अभी तक

2374 HA/2004—8

की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास के उद्देश्य से चल रहे कार्यक्रमों देखने से आभास होता है कि उनके उत्थान तथा सशक्तिकरण के लिए सरकार बचनबद्ध है तथा उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास भी कर रही है। **नवी पंचवर्षीय योजना** (1997-2002) में पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में महिलाओं हेतु जेन्डर जस्टिस विचारधारा का समावेश किया गया। महिलाओं को विकास की योजनाओं का लाभ मिले इसलिए महिलाओं के लिए अलग राशि का प्रावधान किया गया जिससे केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया।

संक्षेप में अभी तक की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'महिला कल्याण' पांचवीं से आठवी पंचवर्षीय योजनाओं तक 'महिला विकास' एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा प्रमुख रहा है। **दसवीं पंचवर्षीय योजना**(2002-2007) में यह स्वीकारा गया कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन में सक्षम बन सकें। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जो राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं जेन्डर जस्टिस के रूप में शक्तिशाली बनाना है ताकि वह समाज में एक समान अर्थात् पुरुषों के समान जीवन व्यतीत कर सकें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें तथा उनकी योग्यता के आधार पर उनको रोजगार मिल सके तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मदों में काम करके अपनी प्रवीणता का उपयोग कर सकें। 2001 वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप मनाया गया। ■

अंग्रेजी का मुक़ाबला केवल हिंदी से ही नहीं, बल्कि सभी प्रांतीय भाषाओं से है।

—डॉ. राजेंद्र प्रसाद

आर्थिक

भारतीय अर्थव्यवस्था

*—हरि कृष्ण निगम**

वर्ष, 2004 के पहले दिन की मीडिया की सुर्खियों ने देशवासियों को जितना चौंकाया था उतना ही आह्लादित भी किया था। 'दस वर्षों में पहली बार सकल घरेलू उत्पाद, जी. डी. पी.— आठ फीसदी की दर पर'। 'अर्थव्यवस्था की सुदृढता द्वारा विकास के आसमान में भारत की ऊंची छलांग'। 'भारत के आर्थिक कार्याकल्प का स्पष्ट संकेत।'

एक अरब से भी अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश पिछले कई दशकों के बाद पहली बार आत्मविश्वास के साथ आत्म-निर्भरता, सर्वांगीण विकास, आर्थिक सुदृढता व उस समग्र राष्ट्रीय पहचान के साथ आगे बढ रहा है जिस पर सहसा विश्वास नहीं होता है। आदर्शवाद, व्यावहारिकता और अर्थशास्त्र के जमीनी यर्थावाद के अद्‌भुत तालमेल के साथ उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व मुक्त बाजार का पूरा फायदा उठाकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए 8 नये आयामों का सृजन किया गया है। दुराग्रहों एवं नियंत्रित अर्थव्यस्था के चले आ रहे पूर्वाग्रहों से परे जबर्दस्त सकारात्मक परिवर्तन लाए गए हैं, जो यथार्थवादी वित्तीय नीतियों के लागू करने के परिणामस्वरूप पैदा हुए हैं। जी.डी. पी. के वार्षिक विकास की दर को 8 प्रतिशत की दर से ऊपर ले जाना व दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के तीसरे वर्ष में ही मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाना कोई साधारण कीर्तिमान नहीं है।

जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब एक समय जून 1991 में हमारी कुल विदेशी मुद्रा देश के दो सप्ताह के तेल आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। वह गिरकर मात्र 975 मिलियन डालर रह गई थी पर आज वह 107 बिलियन डालर से अधिक है। आज यह विश्वास नहीं होता है कि यह राशि गत दो वर्षों में ही दुगुनी हो चुकी है। हम यह भूले नहीं है कि सन् 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय देनदारी चुकाने के लिए तत्कालीन सरकार को देश का स्वर्ण-भंडार तक गिरवी रखना पड़ा था। साथ ही साथ 2002-03 के आंकडों के अनुसार भारत का वाणिज्यिक निर्यात 50 अरब डालर से अधिक हो गया है। देश का यह संकल्प कि अब आगे से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों व कथित विकसित देशों से वह कोई ऋण नहीं लेगा अपने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आज देश की औसत आय 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। प्रयुक्त आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद्—नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड एकानामिक रिसर्च—की सन् 2003 की सर्वेक्षण रिर्पोट के अनुसार जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वह हमारी अर्थ नीति के मौलिक आधारों व अन्दरूनी आर्थिक सक्षमता के महत्वपूर्ण पथ विराम हैं। जहां सन् 1995-96 में देश के 193 मिलियन लोग सुदृढ़ उपभोक्ता वर्ग की श्रेणी में कहे जाते थे और 312 मिलियन व्यक्ति अग्रगामी या 'क्लाइम्बर' वर्ग में रखे जाते थे, सन् 2002 में पहले वर्ग में 280 मिलियन लोग आ गए और दूसरे वर्ग में 429 मिलियन लोग शामिल हुए, जिनकी क्रय-शक्ति की तुलना योरोपीय यूनियन के देशों की सक्षम जनसंख्या के बराबर रही। इस विशाल क्रय शक्ति वाले भारतीय ग्राहकों ने बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों को सम्मोहित ही नहीं, उद्वेलित भी किया। इसी राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान ने सन् 2006-07 के लिए संभावना प्रकट की है कि हमारे देश में 462 मिलियन लोग सुदृढ उपभोक्ता श्रेणी में आ जाएंगे और जिन्हें अगामी वर्ग या 'क्लाइम्बर' की परिभाषा दी गई है वह 475 मिलियन तक पहुंच जाएगी।

ये मात्र आंकडे नहीं हैं बल्कि देश की साख को अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों पर परखने वाली 'मूड़ीज' जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियां जो रस लेकर भारत की 'रेटिंग' नीचे दिखाने में कभी नहीं चूकती थी आज भारत को बहुत ऊँची श्रेणी में वर्गीकृत कर जैसे विदेशी निवेशकों को इस

*ए-1002, पंचशील ऊंचाई, महावीर नगर कांदवली (पश्चिम) मुंबई-400 067।

देश में आने के लिए आमंत्रण भेज रही हैं। आज हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार हर साल लगभग 10 बिलियन डालर की दर से बढ़ रहा है, इससे दक्षिण पूर्वी एशिया के एक समय 'टाइगर एकोनॉमी' कहलाने वाले देशों के अलावा पश्चिमी देश भी चकित हैं।

सन् 1982 में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद—जी.डी.पी.—के मानदण्ड पर हमारे देश की भागीदारी न्यूनतम थी पर सन् 2002-03 में वह चौथे स्थान पर आ गई और यह निरंतर बढ़ती जा रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीटर ड्रकर नामक विश्वविख्यात प्रबंधन गुरू ने 'फारचून' पत्रिका के हाल के एक साक्षात्कार में कहा कि विश्व में भारत "आर्थिक ऊर्जा का नया श्रोत—पावर हाउस—बन चुका है"। उन्होंने यह भी कहा कि जहां देश का नई दिल्ली स्थित ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कदाचित दुनिया में चिकित्सा व आयुर्विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट संस्थान है, उसी तरह बेंगलूर स्थित इंडियन स्कूल ऑफ इन्फार्मेशन टेकनोलॉजी के तकनीकी स्नातकों को दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके अनुसार पश्चिमी जगत इसलिए भी भारत को ज्ञान का श्रोत मान रहा है क्योंकि यहां अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वालों में 150 मिलियन इसे उच्चतर ज्ञान का माध्यम बना चुके हैं। पीटर ड्रकर इस बात पर विस्मित हैं कि इस समय सिर्फ अमेरिका में ही भारतीय मूल के दो लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की साख 10 लाख डालर से अधिक है। वहां के भारतीय आज श्वेत मूल के नागरिकों की वार्षिक औसत आय से कहीं अधिक अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा—लोग अरसे से कहते रहे हैं कि चीन की 8 प्रतिशत विकास की दर चकित करने वाली है, जहां भारत की आर्थिक विकास की दर 3 या 4 प्रतिशत पर रुकी रहेगी। अब तक यह भ्रम था क्योंकि भारत की वर्तमान विकास दर चीन की तुलना में अधिक प्रभावशाली है।

विश्व मीडिया में इस साल को भारत का वर्ष कहा जा रहा है। एक समय वह था जब अस्सी के दशक के मध्य में भारत ने अमेरिका से 'सुपर कंप्यूटर' खरीदने की पेशकश की थी और उसने उसके निर्यात के लिए देश के सामने अपमानजनक शर्तें रखीं थी। आज भारत दुनियां के उन पांच देशों में से एक है जो 'सुपरकंप्यूटर' बनाते हैं। आज आई.बी.एम., जी.ई. एक्सान, इन्टेल, माइक्रोसाफ्ट, मातृशिता जैसी विशाल कम्पनियां भी भारतीय विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण पदों पर रखती हैं। आज 'फारचून' पत्रिका की विश्व की सर्वोच्च 500 विशालकाय कंपनियों की सूची में से 100 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शोध एवं विकास के केंद्र बेंगलूर में है। सिर्फ जी.ई. कम्पनी के 11000 विशेषज्ञ भारत में शोध कार्य करते हैं जिनमें लगभग 1600 पी.एच.डी. की उपाधि पाए हुए हैं। सिर्फ संगणकों के क्षेत्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के दर्शकों के क्षेत्र में भी भारत ने नये कीर्तिमान बनाए हैं। हाल में 'टाइम' पत्रिका ने ऐश्वर्य राय पर आवरण चित्र के साथ आमुख चर्चा छपी थी। फ़िल्मों के निर्यात से भारत हर साल लगभग एक हजार करोड़ अर्जित करता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पत्रिका फोर्ब्स पात्र के आवरण पर हाल में 'नासाकोम' के किरन कार्निक का चित्र छपना भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का परिचायक है। इसीलिए शायद विप्रो के अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी ने हाल में कहा कि "भारत स्वयं एक ऐसा ब्रांड है जिसकी दुनियां भर में साख है"।

दुनिया पर छाई भारतीय प्रतिभाओं की चर्चा लगभग हर रोज अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में होती रहती है। कुछ दिनों पहले सनमाइक्रोसिस्टम के सह-संस्थापक विनोद खोसला दुनिया भर में चर्चित थे। नई दिल्ली में जन्मे विनोद खोसला को फ़ोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया भर का सबसे बड़ा वेंचर केपिटेलिस्ट कहा है जब से वे क्लाइनर पर्किंस नामक कम्पनी के सर्वोच्च अधिकारी बने हैं। आज 90 प्रतिशत कंप्यूटर जिस पेंटियम चिप पर आधारित हैं उसे बनाने वाले हैं दूसरे एक भारतीय विनोद धाम। 'फार्चून' पत्रिका के हाल के अंक के अनुसार अज़ीम प्रेमजी सबसे धनी व्यक्तियों में तीसरे नम्बर पर पहुंच गए हैं। 'हाटमेल' के पूर्व अध्यक्ष सबीर भाटिया वर्षों से दुनिया भर में चर्चा के विषय रहे हैं। इसी तरह ए.टी. एण्ड टी. बेल लैब के चर्चित अध्यक्ष अरुण नेत्रावली हैं। नामी कम्पनी हैवलेट पैकार्ड के महाप्रबंधक राजीव गुप्ता और विंडोज़ 2000 के माइक्रोसाफ्ट टेस्टिंग निदेशक हैं संजय तेजवरिका। सिटी बैंक के अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष विक्टर मेनेजीज़, विश्वविख्यात प्रबंधन परामर्श कम्पनी मैकेन्जी के अध्यक्ष रजत गुप्ता, स्टैनचार्ट के सर्वोच्च अधिकारी राणा तलवार और एम्फैसिस—बी.एफ.एल. के प्रमुख जेरी राव—सब के सब भारतीय हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेन्सी नासा में 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भारतीय हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संगणक कम्पनी माइक्रोसाफ्ट में 34 प्रतिशत और

आइ.बी.एम. में 28 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। इसी तरह इन्टेल में 17 प्रतिशत और दुनिया की एक बड़ी कंपनी जेराक्स में 13 प्रतिशत भारतीय कर्मचारी हैं।

भारतीय मूल के रवि अरिमिल्ली को शोध और तकनीकी के क्षेत्र में अमेरिका में ''पेटेन्ट किंग'' कहा जाता है। मात्र 2003 में उसने उच्च तकनीकों और खोजों के 53 पेटेन्ट कराए हैं। इसके अलावा पहले उसने आई.बी.एम. कंपनी के लिए पहले ही 200 पेटेन्ट कराए थे। दुनिया भर में इतने अधिक पेटेन्ट कराने वाले रवि ने आई.बी.एम. के इतिहास में अपने लिए जो जगह बनाई है उसकी लगातार चर्चा अमेरिकी मीडिया में होती रही है।

इसी तरह दिल्ली-विश्वविद्यालय के पूर्व इंजीनियरिंग स्नातक प्रमोद हक जो आज 'नार्थवेस्ट वेंचर' नामक कंपनी के हिस्सेदार हैं 'फोर्ब्स' पत्रिका के अनुसार उस वर्ग में रखे गए है ''जिनका स्पर्श ही सोना बनाने वाला होता है।'' वे अमेरिका में पी.एच.डी. करने के लिए बैंक से ऋण लेकर आए थे और एक समय पैसे के अभाव में पहले साल की पढ़ाई के बाद डरते थे कि कहीं उन्हें भारत न लौटना पड़ जाए। आज वे सिलिकोन वैली की सफलताओं की दंतकथा बन चुके हैं। सन् 2000 की अमेरिकी जनगणना के अनुसार आज अमेरिका में सन् 1990 की तुलना में भारतवंशियों की संख्या दुगुनी हो चुकी है। जहाँ सन् 1990 में यह संख्या 8 लाख थी अब यह बढ़कर 17 लाख पहुंच गई है। प्रवासी समूहों में भारतीय आकार के लिहाज से चौथे स्थान पर हैं। सिर्फ पूर्वी तट के न्यू जर्सी राज्य में कुल वोटरों का 27 प्रतिशत भारतीय मूल का है। नई जगती हुई महत्वाकांक्षा का ही यह परिणाम था कि अमेरिका के लूसियाना प्रांत के गवर्नर पद-पर पहुंचने में 32-वर्षीय बॉबी जिन्दल अंतिम क्षणों में चूक गए थे।

वहाँ के अनेक क्षेत्रों में यह लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरे देश में हैं। इसी तरह शिकागो की डेवन स्ट्रीट हो या न्यूयार्क का जैक्सन हाईट, लास एंजेलेस के आर्टीसिया क्षेत्र या वाशिंगटन से लगे मेरीलैण्ड व वर्जीनिया के इलाके हों, भारतीयों से भरे पड़े हैं और उनकी क्रय शक्ति भी असाधारण होती जा रही है।

जार्जिया विश्वविद्यालय के सेलिंग सेन्टर के 2003 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीयों की क्रयशक्ति जो 1990 में 118 बिलियन डालर थी सन् 2002 में 269 बिलियन डालर हो गई और सन् 2003 में 344 बिलियन डालर पहुंच गई है। अगले तीन वर्षों में उनके अनुसार यह 526 बिलियन डालर हो जाएगी। बढ़त की यह सम्भावना श्वेत अमेरिकी नागरिकों की अनुमानिक बढ़त से अधिक आंकी गई है।

अमेरिका-स्थित भारतीयों की सफलता की तुलना जहाँ एक ओर सशक्त 'यहूदी लॉबी' से की जा रही है वहीं दूसरी ओर उनकी उभरती हुई राजनीतिक भूमिका की भी चर्चा हो रही है। अमेरिकी सिनेटर लैरी प्रेसलर ने, जिनके नाम से आणविक-अप्रसार का 'प्रेसलर-एमेन्डमेन्ट' सारी दुनिया में मशहूर था, कुछ दिनों पहले कहा था कि भारतीयों का अमेरिका में इतना प्रभाव हो जाएगा कि शायद सन् 2020 में कोई भारतवंशी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए भी चुनावी मैदान में आ सकता है।

आज लगभग दो करोड़ से अधिक लोग जो भारतीय मूल के हैं, विदेशों मे रह रहे हैं। इंगलैण्ड में ही उनकी संख्या 15 लाख से अधिक है वहां के भारतीयों के चमत्कारिक कीर्तिमान मीडिया में प्रकाशित होते रहते हैं। इस्पात इन्टरनेशनल के लक्ष्मी मित्तल आज विश्व के सबसे बड़े स्टील निर्माता हैं। वे आज भी भारतीय पासपोर्ट रखते हैं और चाहे जर्मनी हो या रूस अथवा कजाखिस्तान या इंण्डोनेशिया दर्जनों स्टील कारखानों के मालिक हैं।

इसी तरह मुंबई में जन्मे गुलू लालवानी को योरोप का ''टेलीफोन जार'' कहा जाता है। ब्रिटिश एशियाई अमीरों की सूची में वे आठवें स्थान पर हैं। सीमेन्स कम्पनी के बाद डिजिटल फोन निर्माताओं में उनकी 'बीनाटोन' नामक कंपनी दूसरे स्थान पर है। इन्हीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में दुनिया की सबसे बड़ी 'वोडाफोन' नामक मोबाइल कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी अरुण सरीन हैं जिनके 125 मिलियन उपभोक्ता 26 देशों में फैले हैं।

यही नहीं आज प्रवासी भारतीयों की वर्तमान पीढ़ी ने अपनी अपनाई नागरिकता वाले देशों में अपनी व्यावसायिक सफलता के बाद राजनीति के क्षेत्र में भी कीर्तिमान बनाए हैं। परमजीत ढांडा मात्र 34 वर्ष के हैं और ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सबसे युवा सांसद हैं। 39 वर्षीय कमला हैरिस का सेन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट एटार्नी के पद पर निर्वाचित होकर आना भी अमेरिका में एक बड़ा

2374 HA/2004—9

समाचार बना था। पिछले साल भारतीय-अमेरिकी समुदाय से राजनीतिक पदों के लिए 30 प्रत्याशी मध्यावधि में उतरे थे। उनमें से डेमोक्रेटिक दल से जुड़े उम्मीदवारों ने सफलता पाई थी। स्वाति दांडेकर पहली बार आयोवा स्टेट एसेम्बली में पहुंची। कुमार बर्वे और सतवीर चौधरी क्रमश: मेरीलैण्ड हाउस ऑफ डेलीगेट्स और मिनीसोटा स्टेट सिनेट के लिए दुबारा निर्वाचित किए गए। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की नई पीढ़ी आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। सी.एन.एन. चैनल की अनीता प्रताप तो पहले ही विश्व प्रसिद्ध थीं पर अब 29-वर्षीया मोनिता राजपाल हांगकांग से कनाडा के रास्ते सी.एन.एन. के मुख्यालय एटलांटा तक पहुंची हैं। मेक्सिको, इज़रायल तथा चेरू के राष्ट्राध्यक्षों से साक्षात्कार के बाद वे काफी चर्चित रही हैं। इसी तरह 38 वर्षीय अतुल गावेंडे ने आक्सफोर्ड, हार्वार्ड और स्टेन फोर्ड में पढ़ाई के बाद ज़ब क्लिंटन प्रशासन में स्वास्थ्य सलाहकार का पद संभाला, वे विश्व भर में चर्चा के विषय रहे। ये मात्र कुछ उदाहरण हैं और इस तरह की सूची अंतहीन लगती है।

प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक ज़ेफ्री आर्मस्ट्रांग हाल में भारत आए थे और मुंबई के एक दैनिक को अपने साक्षात्कार में बताया था कि अगले 20 वर्षों में भारत एक विश्व शक्ति बन जाएगा। आज से ठीक 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि एक दिन अमेरिका की 'सिलीकॉन वैली' पर भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर अपना वर्चस्व बना लेंगे या उस पर कब्जा करेंगे तो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। आज उनकी यह भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। आर्मस्ट्रांग का कहना है - ''मेरी उस भविष्यवाणी का आधार यह था कि भारतीयों की संस्कृत ज्ञान की पृष्ठभूमि काफी सशक्त है। 'संगणकों' की प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत सर्वथा पूर्ण भाषा है। इसीलिए कंप्यूटर क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने की क्षमता भारतीयों में अधिक है।''

उनकी अगली भविष्यवाणी है कि आगे के दो दशकों में भारत एक ''सुपर पावर'' बन जाएगा। यह समयावधि कम भी हो सकती है, यदि भारतीय अपनी संस्कृति और विरासत पश्चिम में प्रभावी ढंग से प्रचारित करें। आर्मस्ट्रांग ने सात वर्ष पहले अपनी नौकरी छोड़कर हिन्दू और वैदिक संस्कृति को पश्चिम में प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है। यद्यपि ये पूरी तरह से अमेरिकी दिखते हैं पर भाषण देते समय दर्जनों संस्कृत श्लोकों का सहज ढंग से उच्चारण करते हैं और प्राचीन ऋषियों व दार्शनिकों को उद्धृत करते हैं। उनको इस बात की गहरी व्यथा है कि देश के प्राचीन ज्ञान के प्रति स्वयं भारतीयों में न तो प्रतिबद्धता है और न ही लगाव और इस क्षेत्र में वे अभी तक कोई प्रभावी 'नेटवर्किंग' नहीं कर सके हैं। ''भारत को दुनिया का बौद्धिक नेतृत्व फिर करना है,'' वे मानते हैं। ''पश्चिमी देशों में व्यापक ''आउटसोर्सिंग'' के लिए भारत पर निर्भरता इसका जीता जागता उदाहरण है''।

आज का युग बौद्धिक पूंजी का है और अब ज्ञान के निवेश को संपत्ति व समृद्धि के सृजन में अर्थशास्त्री सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं। आज अचानक भारतीय मूल के लोगों की प्रतिभा हर क्षेत्र में चर्चा का विषय है। कुछ समाचार पत्रों ने यहाँ तक लिख डाला है कि भारतीयों की प्रजाति में ''जीन्स'' की कुछ अद्वितीय विशिष्टतायें हैं। एक प्रश्न स्वाभाविक है कि जब अंग्रेजी की औपनिवेसिक दृष्टि हमारे देशवासियों की जड़ता, निष्क्रियता व प्रमाद का बखान करने में कभी नहीं चूकी और स्वतंत्रता के बाद भी सत्तर और अस्सी के दशक में भी हम स्वयं अपनी प्रतिभा और पहचान का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, आज ऐसा कैसे संभव हो गया। ऐसा स्पष्ट दिखता है कि अब तक नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दबावों और छलावे भरी सामाजिक व राजनीतिक विचारधाराओं ने हमारे जनमानस को निष्क्रिय व जड़ बना दिया था और हमारी प्रतिभाओं को प्रस्फुटित होने के समुचित अवसर न मिल पाए थे। शायद वैश्वीकरण एवं प्रतिद्वन्दिता के माहौल में भारतीय अपनी कर्मठता और समर्पण को जिस मात्रा में प्रदर्शित कर रहे हैं वह पहले संभव न था। ■

आउटसोर्सिंग : प्रबल विकास की संभावनाओं के बीच विरोधाभास

—एम. पी. सैनी*

क्या है आउटसोर्सिंग

यह एक ऐसी-प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विकसित देशों की कंपनियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपना काम सस्ती व कम लागत पर विकासशील देशों में करवाती हैं। ऐसा करना न केवल इन कंपनियों के लिए किफायती होता है बल्कि इन कंपनियों को अपनी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार विकसित करने में भी सहायता मिलती है।

अमरीकी बेरोजगार हताश

अमरीकी व ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत में आउटसोर्सिंग कराने को लेकर इन देशों में सूचना व तकनीक के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी, जिन्हें नौकरी से बेदखल किया जा चुका है, उन्होंने श्रम संघों के माध्यम से अपनी आवाज बुलन्द करते हुए ऐसी कंपनियों को देशद्रोही व दुश्मन करार दिया है, जो अपने देश में रोजगार के अवसर कम करके अपना काम विकासशील देशों से करवाकर वहां रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। विदेशी श्रम संघों ने धमकी दी है कि भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। अनुमान लगाया गया है कि 2004 के अंत तक सूचना व तकनीक से संबंधित कार्यों का करीब 20 प्रतिशत काम विकासशील देशों में करवाया जाएगा। अमरीकी सुरक्षा के लिए इसे चिंताजनक और गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। अब अमरीका व यूरोप की कंपनियों द्वारा विकासशील देशों से आउटसोर्सिंग करवाने पर वहां के श्रमिक संघों ने यह कहकर विरोध किया है कि ये कंपनियां अपने देश के कामगारों की रोजी-रोटी छीनकर रोजगार के अवसर विकासशील देशों में हस्तांतरित कर रही हैं। इन श्रमिक संघों का आन्दोलन दिन-प्रतिदिन तेज होता जा रहा है।

अमरीकी सरकार का विरोध

विश्व में अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए अमरीकी कंपनियों ने सूचना व प्रौद्योगिकी से संबंधित नौकरियां किसी तीसरे पक्ष को ठेके पर देना या विकासशील देशों में हस्तांतरित करने पर या किसी अन्य देश में रोजगार के अवसर पैदा करने पर पाबंदी लगाने का मन बनाया है। इस बात का भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको व रूस आदि ने कड़ा विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा ढोल पीटने वाला अमरीका स्वयं ही उसके सिद्धांतों को ताक पर रखकर बाजार में अपना हिस्सा सुरक्षित करना चाहता है। और जब किसी अन्य देश ने अपने बाजार सुरक्षित करने के लिए ऊपर उठने का प्रयास किया तो अमरीका ने इसे विरोध स्वरूप लिया। अमरीका अब ब्रिटेन व यूरोप के देशों के साथ मिलकर संरक्षणवादी नीति अपना रहा है।

विकासशील देशों में चिंता का माहौल

भारत सहित अनेक एशियाई व विकासशील देशों ने अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलियाई व यूरोपीय कंपनियों द्वारा आउटसोर्सिंग का विरोध होने पर चिंता जाहिर की है। इससे संरक्षणवादी नीति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। एशियाई देशों ने आपस में मिल-जुलकर इस समस्या को हल करने पर बल दिया है। अमरीका व यूरोप की इन कंपनियों द्वारा नौकरियां हस्तांतरित करने पर वहां के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में जहां एक तरफ विकसित देश अपनी वस्तुएं व सेवाएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश करने को उत्सुक हैं वहीं दूसरी तरफ ये देश अपनी संरक्षणवादी नीति अपना रहे हैं। जहां तक भारत के प्रोफेशनल्स का प्रश्न है वे अब अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं। हमारे

*पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सैक्टर-37, फरीदाबाद-121003

देश के प्रोफेशनल अभी भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम लागत पर अपनी सेवाएं प्रदान करने को तैयार हैं।

विदेशी व्यवसायिक पत्रिका फोर्चून में सूचीबद्ध 500 कंपनियों में से तकरीबन 50 कंपनियों ने अपनी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार विकसित करने के लिए भारत में अपने विकास व अनुसंधान केन्द्र खोलकर यह जता दिया है कि भारत के प्रोफेशनल अब योग्य, परिश्रमी होने के साथ किफायती भी हैं।

अमरीकी कंपनियों द्वारा समर्थन

अमरीका सहित यूरोप के अन्य देशों ने आउटसोर्सिंग का काम बाहरी देशों से करवाने के अपने कदम को सही बताते हुए यह दलील दी है कि वे अपनी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कम लागत पर विकसित करने में समर्थ हैं क्योंकि विकासशील देशों में श्रम अभी भी सस्ती लागत पर उपलब्ध हो जाता है। इन कंपनियों का कहना है कि ऐसा करके वे विकासशील देशों में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको व रूस आदि में भयंकर बेरोजगारी है तथा पाकिस्तान, इन्डोनेशिया, श्री लंका तथा थाइलैंड आदि भी इसकी चपेट में हैं। आउटसोर्सिंग का अनुभव रखने वाली कंपनियां मल्टीपल लोकेशन व मल्टीपल वेंडर की नीति का सहारा लेकर अपना बाजार विकसित करना चाहती हैं। आज भारतीय कामगारों ने अंतर्राष्ट्रीय मानदडों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। एक सर्वे के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि नई व पुरानी स्वदेशी कंपनियां आउटसोर्सिंग से फायदा उठा सकती हैं व उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ कम लागत पर अपनी वस्तुओं व सेवाओं का बाजार विकसित करना चाहती हैं।

अमरीका व यूरोपीय देशों की इस संरक्षणवादी नीति के बावजूद आउटसोर्सिंग वैश्विक जगत में समवन्यकारी भूमिका निभाते हुए लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच सकती है। इसे अमरीका व यूरोपीय सरकारों द्वारा जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा उतना ही उसके प्रचलन की सम्भावनाएं विकसित होंगी। आज के विस्तारवादी व भूमंडलीकरण के दोर में हर कंपनी को अपनी वस्तुएं व सेवाएं कम लागत पर प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।

विकासशील देशों के लिए सुनहरा अवसर

विकसित देशों की कंपनियों द्वारा सूचना व प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दूसरे देशों से सस्ती लागत पर सेवाएं प्राप्त करने का दौर शुरू हो गया है। इससे कंपनी कम लागत पर अपना बाजार विकसित कर सकती है। एक अनुमान के अनुसार आउटसोर्सिंग के ज़रिए भारत, चीन जैसे विकासशील देशों में प्रति वर्ष एक लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं जिसमें भारत का हिस्सा औसतन ज्यादा रहेगा क्योंकि कम लागत पर यहां योग्य व कुशल प्रोफेशनल की कमी नहीं है।

आज के दौर में कम लागत पर अधिक लाभ प्रदता वाली कंपनियां ही वैश्विक प्रतियोगिता में अपना स्थायी स्थान बना सकती हैं। इसी को ध्यान में रखकर पिछले कुछ समय से ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में 25000 से अधिक प्रोफेशनल को रोजगार प्रदान किया है जो कि बीमा, पेंशन, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग तथा कंपनियों का रिकार्ड व्यवस्थित करने में कार्यरत हैं। यदि आने वाले समय में आउटसोर्सिगं का काम बदस्तूर जारी रहा तो 2010 तक 75000 से भी अधिक रोजगार के अवसर भारत में ही सृजित किए जा सकेंगे।

एक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन में जीवन बीमा निगम की एक पालिसी पर ब्रिटेन में औसतन व्यय करीब 28 पौन्ड व्यय करना पड़ता है जबकि भारत में इस काम पर 10 पौंड की लागत आती है। कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त करना आज की गला काट प्रतियोगिता में एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है और तभी कम्पनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थायी स्थान बना सकती है।

ब्रिटेन की कामगार यूनियनों द्वारा आउटसोर्सिंग का विरोध किया जा रहा है तथा ऐसी कम्पनियों को देश के लिए घातक बताया जा रहा है जो स्वदेश में रोजगार के अवसर कम करके अन्य विकासशील देशों में रोजगार के अवसर सृजित कर रहीं हैं। ब्रिटेन के लायटस टी.एस.बी. बैंक द्वारा अपने 500 से अधिक कामगारों को नौकरी से बेदखल करना और उनकी सेवाओं को भारत में हस्तांरित करना वहां के सारे श्रमिक संघों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

पूरे विश्व के लिए किफायती

एक सर्वे के अनुसार आउटसोर्सिंग न केवल ब्रिटेन, यूरोप व अमरीका के लिए लाभदायी है बल्कि भारत, चीन

जैसे विकासशील देशों सहित अनेक एशियाई देशों के लिए कल्याणकारी साबित होगी। आउटसोर्सिंग भू-मंडलीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। अमरीका का मानना है कि विकासशील देशों में नौकरियों का हस्तांतरण सदैव नहीं रहेगा और भविष्य में इस पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके विपरीत अमरीकी अर्थशास्त्रियों का मत है कि आउटसोर्सिंग एक सतत् प्रक्रिया है और इसका लाभ वे सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठाना चाहेंगी जो कम लागत पर अपनी वस्तुओं व सेवाओं का विस्तार करना चाहती हैं। आउटसोर्सिंग से विकसित व विकासशील दोनों ही देश लाभान्वित हो रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं है कि विकासशील देशों ने विकसित देशों से रोजगार छीन लिए हैं। आउटसोर्सिंग के कारण जहां विदेशी कंपनियों के विकास में भारतीय प्रोफेशनल अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अमरीकी कंपनियों समेत अनेक विदेशी कंपनियों को भी भारत में कुशल व प्रशिक्षित प्रोफेशनल की सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध हो रही हैं। इसके कारण इन कंपनियों को विश्व के प्रतियोगी बाजार में अपना स्थायी स्थान बनाने में भी मदद मिलेगी। यदि किसी भी दबाव में आकर आउटसोर्सिंग पर पाबंदी लागाई जाती है तो संरक्षणवादी नीति अपनाकर अमरीका स्वयं अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा साथ ही साथ विकासशील देशों में भी रोजगार के अवसरों में कमी होगी।

जैसा कि विदित है कि आउटसोर्सिंग के तहत ठेके पर अपना काम कम लागत पर दूसरे देशों में कराया जाता है। ब्रिटेन में इस वैश्विक चुनौती को गंभीरता से लिया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों की नामी-गरामी कंपनियां जो मैनुफैक्चरिंग का काम कर रही हैं अपना काम भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ती लागत पर ठेके पर पूरा करवा रहीं हैं। इस कारण वहां के काल सैन्टरों में काम करने वाले कामगारों के पास ना केवल रोजगार के अवसरों में कमी हो गई है बल्कि उन्हें भरपूर मात्रा में काम भी नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन में एक बीमा कंपनी ने भारत में 2500 से अधिक नौकरियां सृजित की थी जिसका वहां तीव्र विरोध किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग में रुकावट डालने पर अमरीका को ही नुकसान होगा क्योंकि अमरीकी कंपनियां काफी कम आमदनी का काम करती हैं और वैश्विक प्रतियोगिता को देखते हुए आउटसोर्सिंग कराना एक आर्थिक हिस्सेदारी बन गई है। यदि भारत में आउटसोर्सिंग का काम रोका जाता है तो भारत का कारोबार दो से चार प्रतिशत ही कम होगा क्योंकि अमरीका के सरकारी ठेकों की मात्रा कोई ज्यादा नहीं होती।

कट्टर समर्थक देश भी हतोत्साहित

भारत, चीन, रूस, ब्राजील और मैक्सिको सहित अनेक देशों में मैनुफैक्चरिंग रोजगार बड़े पैमाने पर हस्तांतरित किए जाने के फलस्वरूप अब उन देशों का भी विश्वास डगमगाने लगा है जो कभी वैश्वीकरण की कट्टर वकालत किया करते थे इसके बाद से इस बात पर सवालिया निशान लग गया है कि अर्थव्यवस्था का ज्यादा विस्तार होने से क्या भविष्य में धनी देशों में ज्यादा वेतन वाले रोजगार जुटाए जा सकेंगे। यह बात तो सर्वविदित है कि जब कोई विकसित राष्ट्र भारी-भरकम वेतन वाले रोजगार विकासशील देशों को हस्तांतरित करता है तो इससे उन देशों में कार्यरत कामगारों को भी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का मौका मिलता है।

ब्रिटिश सरकार अधिक चिंतित

कुछ समय पहले यह कहा जा रहा था कि भारतीय काल सैन्टरों में काम करने वाला स्टाफ विनम्र, ईमानदार, योग्य व प्रशिक्षित है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय स्टाफ को औसत वेतन प्रतिवर्ष 1200 पौंड देना पड़ रहा है जबकि ब्रिटिश स्थित काल सैन्टरों में काम करने वालों को इसी काम के लिए औसतन 12000 पौंड प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि भारतीय काल सैन्टर में काम करने वाला अधिकतर स्टाफ डिग्री धारक है जबकि ब्रिटिश काल सैन्टरों में डिग्री धारक स्टाफ का अभाव है। विकासशील देशों में डिग्री धारक स्टाफ आसानी से सस्ती लागत पर उपलब्ध हो जाता है।

ब्रिटेन ने अब अपना रुख कड़ा करते हुए आने वाले समय में उन कंपनियों के प्रति सख्ती बरतने का फैसला किया है जो ठेके पर अपना काम सस्ती लागत पर विकासशील देशों में करवा रही हैं।

ब्रिटिश सरकार के इस फैसले के बाद से कुछ कंपनियों ने तो भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला किया है। बंगलौर में क्रेज नामक एक ब्रिटिश कंपनी ने 300 से अधिक नौकरियां सृजित की थीं लेकिन अब इसी कंपनी का कहना है कि भारतीय काल सैन्टरों

2374 HA/2004—10

में कामगार पेशेवर नहीं हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भाषाई संवाद व संचार माध्यम अंतराल [Communication Gap] के कारण बेहतर संतुष्टि ग्राहक को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कारण चाहे जो भी रहा हो पर जो ब्रिटिश-कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग का काम बंद करने जा रही है और उनके कदम को ब्रिटिश श्रम संघों ने सही बताया है। आउटसोर्सिंग का काम विकासशील देशों में बंद करने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि भारतीय काल सैन्टरों का स्टाफ अभी अपने आपको अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप नहीं ढाल पाया है। भारतीय स्टाफ कुशलतापूर्वक विश्व के हर कोने से आने वाली पूछताछ व जिज्ञासाओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं जिससे कंपनी को अपने ग्राहकों से शिकायतें सुनने को मिल रहीं हैं कि उन्हें बेहतर से बेहतर सेवाएं नहीं मिल पा रहीं हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन में आउटसोर्सिंग का काम विकासशील देशों से करवाने वाली कंपनियों के खिलाफ श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है क्योंकि ब्रिटेन में बेराजगार युवकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

समस्या दूर की जा सकती है

विकसित देश अमरीका, ब्रिटेन व यूरोपीय देश विकासशील देशों में यदि ठेके पर काम कराना चाहते हैं और भविष्य में आउटसोर्सिंग पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो विकासशील देशों को अपने यहां बुनियादी सुविधाओं का स्तर सुधारना होगा और वर्तमान समस्या का समाधान तलाश किया जा सकता है। विश्व की दो बड़ी प्रजातांत्रिक ताकतें आउटसोर्सिंग की समस्या से जूझ रही हैं। भारत सहित विकासशील देशों को अपने यहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना होगा जिससे विदेशी कंपनियों को विकासशील देशों में उन सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े जो उन्हें अपने देश में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विकसित व विकासशील देश आपस में मिलकर बाजार को विकसित करने का प्रयास करें ना कि मौजूदा बाजार को ही बंद करने पर उतारू हो जाएं।

आउटसोर्सिंग के तहत यदि इस प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक या पाबंदी लगती है तो नए क्षेत्रों में निवेश प्रक्रिया रुक जाएगी और अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा जिससे विकासशील देशों में तो बेरोजगारी की समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी।

उपसंहार

और अन्त में अमरीकी सरकार ने आउटसोर्सिंग के खिलाफ कानून पारित करने का जो फैसला किया था वह पर्याप्त समर्थन के अभाव में पारित नहीं किया जा सका। काफी सदस्य इस कानून को पारित करने के समर्थन में नहीं थे। कार्पोरेट जगत ने इस विधेयक के नामंजूर होने पर हर्ष व्यक्त किया है। इस विधेयक को यदि मंजूरी मिल जाती है तो विकासशील देशों में अमरीकी कंपनियों द्वारा नौकरियां हस्तांतरित नहीं की जी सकती थी। इस दशा में सारे काम व ठेके अमरीकी कंपनी को अपने ही काल सेन्टर से पूरे करवाने पड़ते। इस संबंध में हैरतअंगेज बात यह है कि कार्पोरेट जगत के एक खेमे ने इस विधेयक का समर्थन किया था क्योंकि यह खेमा इस विधेयक को पारित करने के लिए सरकारी कार्यवाही की निंदा करने के पक्ष में नहीं था। यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो आउटसोर्सिंग कराने वाली कंपनियों को सरकारी ठेकों से हाथ धोना पड़ता और लाभ कमाने की इच्छा से वंचित होने की आंशका से ये कंपनियां अपने देश के रोजगार विकासशील देशों में हस्तांतरित्त नहीं करतीं। विधेयक का विरोध करते हुए यह कहा गया कि भारत सहित विकासशील देशों में आउटसोर्सिंग कराना अमरीका व अन्य यूरोपियन देशों के लिए फायदेमंद है।

भविष्य में भी इस विधेयक को मंजूर कराने के लिए अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य यूरोपीय देशों द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं कि स्वदेशी रोजगारों को कम करके कम लागत पर अपना काम विकासशील देशों में रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए कराना तर्कसंगत नहीं है। श्रम संघों तथा श्रमिक यूनियनों द्वारा व वहां के बेराजगार युवक भी इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ भविष्य में आन्दोलन और भी तेज हो सकते हैं। यह तो वक्त ही बताएगा कि प्रबल विकास की संभावनाओं के बीच आउटसोर्सिंग का काम विरोधाभास के बीच कैसे चालू रखा जा सकता है। लेकिन यह सत्य है कि आउटसोर्सिंग के कारण विकासशील देशों में बेरोजगारी से ग्रस्त युवक-युवतियों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। ■

पर्यावरण प्रदूषण : इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती

—प्रसून कुमार सिंह, पूरण किशोर सिंह

प्रस्तावना

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकसित देशों में नहीं, अपितु विकासशील एवं अविकसित देशों में भी व्याप्त है। पर्यावरण कुदरत की वह बेशुमार दौलत है, जिसकी हिफाजत और संरक्षण कर हम अपने अस्तित्व को समृद्ध कर सकते हैं। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति एवं पर्यावरण की गोद में रहते हैं। प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण प्रत्येक सजीव प्राणी को अमरत्व तो नहीं, किन्तु जन्म से मृत्यु पर्यंत स्वच्छ, रोगमुक्त तथा स्वस्थ जीवन का अवसर प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों और ऋषि-मुनियों को सैकड़ों वर्ष निरोग जीवन जीने का कुदरती मौका प्राप्त हुआ था।

पर आज समय बदल चुका है। लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। औद्योगिक क्रान्ति की लहर से सरकार एवं उद्योगपतियों का ध्यान विशालकाय इस्पात संयंत्र तथा कल-कारखानों की स्थापना की ओर जाने लगा है। लोग स्वच्छ पर्यावरण पाने एवं रखने की इच्छा खत्म कर चुके हैं। इसमें शक नहीं कि विश्व के सभी राष्ट्रों के विकास में औद्योगीकरण का विशेष योगदान रहा है। परन्तु निरंतर होते औद्योमिक विकास से विश्वभर में पारिस्थितिक तंत्रों का संतुलन बिगड़ गया है और भारत इसका अपवाद नहीं। भारत जैसे विकासशील देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और भी अधिक गंभीर है। इसका नियंत्रण वर्तमान सदी की एक चुनौती है, इस पर ध्यान हम सभी को देना होगा।

पारिस्थितिक संकट

पर्यावरण के मूलत: तीन अंग है—वायु, जल एवं थल और प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन लगभग इन्हीं तीन अंगों पर किया जाता है। प्रथम चरण में इन तीन अंगों पर पड़ने वाले प्रभावों का अलग-अलग मूल्यांकन होता है और बाद में उन पर पड़ रहे एकीकृत प्रभावों का मूल्यांकन समन्वित रूप से किया जाता है।

विकास के नाम पर मनुष्य निरंतर प्राकृतिक चक्र में अवांछनीय घुसपैठ कर रहा है। लगातार फ़सल की रोपाई, अविरल गति से बहती हुई नदियों की गति में परिवर्तन करना, खनिजों का उत्खनन कर ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का नाश करना, पेड़-पौधों को उखाड़ फेंकना, कल-कारखानों से विषैली गैसों का रिसाव, ओजोन रिक्तीकरण एवं हरित गृह प्रभाव इत्यादि इस अवांछनीय घुसपैठ का दूषित परिणाम है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ लगातार छेड़-छाड़, रासायनिक बहि:स्राव, तेजाबी वर्षा और वायुमंडल में लगातार बढ़ रही कार्बन डाईक्साइड की मात्रा आदि के कारण प्राणीजगत के लिए पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है।

वर्तमान समय में विकास का एकमात्र मापदंड माना जाने वाला औद्योगिक विकास प्रदूषण का प्रमुख कारण बन चुका है। नि:संदेह राष्ट्र का विकास उसके औद्योगीकरण पर निर्भर करता है, पर आज पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व में इस प्रकार अपना पैर फैला चुका है कि यदि तत्काल इस प्रक्रिया पर ध्यान न दिया गया तो दुनिया के अधिकांश लोगों को इस इक्कीसवीं सदी में सांस लेना तक कठिन हो जायेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2001 जनवरी में जारी एक रिपोर्ट द्वारा यह आगाह किया है कि अगर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इंसानी चेतना जागृत नहीं हुई तो इस सदी के मध्य तक विश्व का हर दूसरा आदमी पर्यावरण प्रदूषण के चलते पैदा होने वाली जानलेवा बीमारियों का शिकार होगा।

पर्यावरणीय क्षति

बढ़ती जनसंख्या, सड़कों पर धुआं उगलते वाहनों, कारखानों से निकलती विषैली गैसों, शहरीकरण, बढ़ते शोर, मल-मूत्र के दोषपूर्ण जमाव, वनों की बेतहाशा कटाई एवं

* केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, बरवा रोड, धनबाद-826001, झारखंड

रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग के कारण पर्यावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और एक तरह से मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटिल है इसके विकास में करोड़ों वर्ष लगे हैं, परन्तु औद्योगिक क्रांति और बढ़ते शहरीकरण ने इसकी संरचना को बुरी तरह प्रभावित किया है।

उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से पैदा होने वाली सल्फरडाईऑक्साइड गैस, पेट्रोल इंजनों से निकलने वाला सीसा और मोटर वाहनों से निकलने वाली कार्बन मानोक्साइड गैस के कारण हृदय रोग, फेफड़े का कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उत्पन्न हो रही है। वायुप्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित विश्व के 41 चुनिंदा शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है।

मानव ने अपने स्वार्थ के लिए वनों का काफी विनाश किया है। जहां विकसित देशों में वनों की कटाई का मुख्य कारण उनका व्यावसायिक उपयोग है, वहीं विकासशील देशों में छोटी-छोटी जरूरतों एवं घरेलू ईंधन के लिए वनों की बेतहाशा कटाई हो रही है। अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो इस समय अत्यंत सूखे, और अर्द्ध-सूखे क्षेत्र पृथ्वी की सतह के 43 फीसदी क्षेत्र में फैले हैं और इनमें से 67 प्रतिशत मानव निर्मित रेगिस्तान है। 1991 से 2001 ई० तक के दस वर्षों के दौरान भारत का वन क्षेत्र 19.49 प्रतिशत से घटकर 19.20 प्रतिशत रह गया है, जबकि सरकारी लक्ष्य देश के 33 प्रतिशत भाग को वन और वृक्षों से आच्छादित करने का है। वनों के नष्ट होने से विभिन्न जीव-जंतुओं का भी विनाश हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वर्षा के मौसम में मिट्टी के बह जाने की समस्या बढ़ती जा रही है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी तेजी से घटती जा रही है।

प्रतिवर्ष वनों की बेतहाशा कटाई एवं बढ़ती हुई गैसों की मात्रा के कारण वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस शताब्दी के मध्य तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने की संभावना है। अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो हिमखंड पिघलेंगे और तूफान की तीव्रता में वृद्धि के अलावा समुद्र के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे समुद्रतट पर बसे कई नगर जलमग्न हो जाएंगे।

भारत में पर्यावरण संकट के मुख्य कारण

क. भारत में पर्यावरण प्रदूषित होने का एक प्रमुख कारण संसाधनों की कमी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 2001 में एक अरब पार कर चुकी है और यदि जनसंख्या वृद्धि की दर यही रही तो अनुमानतः सन् 2050 ई० तक में जनसंख्या 1 अरब 75 करोड़ हो जाएगी, अतः जनसंख्या वृद्धि होने के साथ-साथ जमीन, खनिज, कृषि, उर्जा तथा आवास की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है।

ख. पर्यावरण प्रदूषण का अन्य सबसे बड़ा कारण उर्जा के परंपरागत स्रोतों का अंधाधुंध दोहन है।

ग. तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, कल-कारखानों से जहरीली गैसों तथा रासायनिक पदार्थों के रिसाव से पर्यावरण सर्वाधिक प्रदूषित हुआ है। इससे पेड़-पौधों के साथ-साथ जीव-जन्तु भी मरने लगे हैं।

अतः पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु उपर्युक्त कारणों पर गंभीर रूप से सोचना होगा। भारत के मानसून को भी पर्यावरण प्रदूषण ने काफी हद तक प्रभावित किया है। समय पर वर्षा का न होना, भयंकर बाढ़, भूकंप, महामारी एवं सूखा आदि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का कारण पर्यावरण प्रदूषण ही है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो परिस्थितियां तेजी से प्रतिकूल दिशा में बढ़ती हुई हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी।

नियंत्रण के उपाय

पर्यावरण संरक्षण इस सदी के सामने एक विश्वव्यापी चुनौती बनकर खड़ा है। इस चुनौती की स्वीकार्यता की जिम्मेदारी संपूर्ण विश्व के मानव पर है। सतत् विकास का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो, वायुमंडल की हवा, वनों के कटान तथा नदियों में औद्योगिक कचरों एवं बहिःस्रावों पर रोक हो। इनके अतिरिक्त अन्य उपाय हैं :—

क. बेतरतीव और अनियोजित शहरीकरण को अविलंब रोकना होगा।

ख. जनसंख्या वृद्धि की दर पर नियंत्रण लाना होगा।

ग. औद्योगिक कचरे और बहि:स्रावों को परिष्कृत करने के उपरांत ही नदी नालों में छोड़ा जाए।

घ. उंची-उंची चिमिनियों में धूल इकट्ठा करने वाले उपकरणों को लगाने की सरकार की तरफ से अनिवार्य शर्त रखनी होगी।

ङ. वायु के शुद्धिकरण एवं वायु-प्रदूषण की रोकथाम में वृक्ष सहायक होते हैं। अत: वृक्षारोपण को उत्साहित कर वृक्षों की कटाई पर कानूनन प्रतिबंध लगाना होगा।

च. अवांछित शोर से बचने के लिए वाहनों को तथा भारी मशीनों को समय-समय पर उचित अनुरक्षण करना पड़ेगा।

छ. फसलों पर छिड़काव किए जाने वाली कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल कम तथा इसका विकल्प ढूंढना होगा जिससे पर्यावरणीय क्षति कम हो।

एक बात जरूरी है कि सिर्फ वृक्षारोपण करने से ही बात नहीं बनेगी। पेड़ लगाने या वृक्षारोपण कार्य में प्रतिवर्ष करोड़ों की लागत लगाई जाती है। लेकिन विडम्बना यह है कि रोपित वृक्षों के अनुरक्षण या प्रबंध पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजतन वृक्षारोपण संरक्षण तथा यथोचित सतर्कता के अभाव में लावारिस जानवर या पशु इन्हें चट कर जाते हैं और हमारा वर्षों का हरीतिमा अभियान कार्यान्वित होकर भी असफल हो जाता है। अत: इस सिलसिले में कोई कठोर निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए।

उपसंहार

हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता लानी होगी। पृथ्वी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, हितैषी वायुमंडल तथा प्रकृति की हरीतिमा में मानवता, जीव-जन्तु एवं वन्य प्राणियों की अस्मिता एवं अस्तित्व सुरक्षित है। इनका दोहन करना अपने आपको संकट में डालना है।

अगर ताजमहल और मथुरा तेलशोधक कारखाने में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखा जाए तो क्या इनमें से किसी को नकारा जा सकता है? एक है भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पृष्ठ, मुगल वास्तुकला का नायाब नमूना जो विश्व में भारत की अपनी पहचान बनाता है और दूसरा है आधुनिक भारत की औद्योगिक प्रगति का प्रतिमान। अत: हमारी पहचान एवं प्रगति के लिए ताजमहल और कारखाना दोनों ही आवश्यक है।

औद्योगिक प्रगति विकासशील राष्ट्र की अनिवार्यता है। जरूरत है तो प्रगति को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के प्रति चेतना और इसके संरक्षण हेतु कारगर उपाय ढूंढना। पर्यावरण की सुरक्षा की समस्या सिर्फ सरकार की ही नहीं है बल्कि यह समस्त मानव जाति की समस्या है। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए।

संदर्भ :

1. सिंह विमल प्रसाद : 1994:पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण : पर्यावरण के प्रति जागरूकता - दामोदर घाटी क्षेत्र का जल प्रदूषण एवं निराकरण : हिंदी गोष्ठी, 15-16 अप्रैल, 1994 : के०ख०अ०सं०, धनबाद।
2. मुखर्जी स्वपन : 1994 : पर्यावरण के प्रति जागरूकता: पर्यावरण के प्रति जागरूकता - दामोदर घाटी क्षेत्र का जल प्रदूषण एवं निराकरण : हिंदी गोष्ठी, 15-16 अप्रैल, 1994 : के०ख०अ०सं०, धनबाद।
3. सिंह त्रिभुवन नाथ : 1998 : पर्यावरण व पर्या-हितैषी खनन नियोजन - खनन के साथ विकृत भूमि का पर्या-हितैषी पुर्नवास - राष्ट्रीय संगोष्ठी : 17-18 अप्रैल, 1998 : के०ख०अ०सं०, धनबाद।
4. सिंह प्रसून कुमार एवं अन्य : 1998 : विकृत भूमि का पर्या-हितैषी पुर्नवास एक चर्चा: खनन के साथ विकृत भूमि का पर्या-हितैषी पूर्नवास- राष्ट्रीय संगोष्ठी : 17-18 अप्रैल, 1998 : के०ख०अ०सं०, धनबाद।
5. पर्यावरण पत्रिका : 1996 : पर्यावरण प्रदूषण : समस्या और समाधान : वर्ष-5, सितंबर, 1996, अंक डी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।
6. रजवार गोविंद : 2001 : विकास के साथ जरूरी है संरक्षण, विज्ञान प्रगति : जून, 2001। ■

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र 521486,एएमडी फ्लैट, सेक्टर-5, प्रताप नगर, साँगानेर, जयपुर

परमाणु खनिज निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में संपन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु नामांकन फार्म शीघ्र प्रेषित करवाया जाए तथा जो कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षण के लिए शेष रह जाएं उन्हें अगले सत्र में नामित करवाया जाए। बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को नामित करने पर भी चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों ने हिंदी टंकण परीक्षा पास कर ली है तथा जो हिंदी में अनुसचिवीय कार्य करते हैं उन्हें वरीयत:इस प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।

बैठक में संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों पर भी चर्चा की गई। यह पाया गया कि संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुरूप यथेष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अत: समिति ने निर्णय लिया कि इस संबंध में अग्रलिखित कदम उठाए जाएंगे तथा अध्यक्ष, राजभाषा समिति, प. खि. नि.,जयपुर से निवेदन किया जाएगा कि सभी अनुभागों को अनुपालन हेतु निदेश जारी करें।

प्रभारी, प्रशासन अनुभाग को निर्देश दिया जाए कि वह 2 माह के अन्दर निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें:-

(क) सभी फाईल कवरों को द्विभाषिक रूप में बनाना।

(ब) सभी सेवा पंजियों में हिंदी में प्रविष्टि करवाना।

(स) सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषिक रूप में बनाना।

(द) टिप्पण व प्रारूपण पूर्ण रूप में हिंदी में करना।

(ई) डाक प्रेषण अनुभाग में डायरी/रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टि करना।

प्रभारी लेखा अनुभाग को निर्देश दिया जाए कि वे सभी प्रपत्रों, बिलों, अग्रदाय बिलों, अन्य भुगतान संबंधी सभी बिलों आदि में हिंदी में प्रविष्टि करें तथा सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषिक रूप में तैयार करें व इन कार्यों को पूरा करके इसकी सूचना दो माह में अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति को दें। सभी इकाईयों /अनुभागों/शिविरों एवं प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं कि वे अपना समस्त सरकारी कार्य हिंदी में ही करें। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुभाग प्रमुखों को निर्देश दिए जाएं तथा वार्षिक कार्यक्रम की एक प्रति पुन:सभी अनुभाग प्रमुखों को प्रेषित की जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्यों का 2 माह बाद समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा तथा यदि पाया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो क्षेत्रीय निदेशक संबंधित प्रभारी अधिकारी से लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगें।

प्रसार भारती

दूरदर्शन केंद्रः नई दिल्ली

दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 16-4-2004 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम निदेशक महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। इसके उपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। हिंदी अधिकारी नें पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया और तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित विषयों में चर्चा की गई:-

1. वर्तमान सत्र में एक अवर श्रेणी लिपिक हिंदी टंकण का एवं एक आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त

कर रहें हैं। राजभाषा एकांश में उपलब्ध रोस्टर के अनुसार नये आए अवर लिपिकों को हिंदी टंकण का प्रशिक्षण सत्रों में दिलवाया जाना है।

2. प्रशासनिक अधिकारी श्री कौल द्वारा दिया गया सुझाव था कि प्रतिमाह विभिन्न अनुभाग प्रमुखों के साथ बैठक करके इस संबंध में चर्चा की जाए।

3. मुख्य निर्माता श्री बी. आर. पुरी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसरण में कार्यालय में प्रपत्र परिचालित करवाया गया है कि प्रतिमाह उनके द्वारा हिंदी में सम्पन्न किए कार्यों की प्रतिशतता संबंधी सूचना राजभाषा एकांश को उपलब्ध करवाई जाए।

4. प्रशासनिक अधिकारी को भी फरवरी में भेजे गए पत्रों के संबंध में अलग से टिप्पणी भेजी गई थी। साथ ही प्रशासन के प्रत्येक अनुभाग में जाकर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई और उन्हें डेस्क पर ही हिंदी में कार्य करने के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निदेशक विमानपत्तन-सह-अध्यक्ष पटना राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यालय जय प्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय हवाई अडडा, पटना-14

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना विमानपत्तन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2004 की पहली तिमाही बैठक दिनांक 25 मार्च, 2004 को तत्कालीन प्रभारी निदेशक विमानपत्तन श्री युगल किशोर भगत, उपमहाप्रबंधक (संचार) की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक की शुरूआत में अध्यक्ष महोदय ने समिति सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। तदुपरांत सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा । तदुपरांत बैठक की कार्यसूची पर विचार-विमर्श प्रारंभ हुआ तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गए:-

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का सम्यक अनुपालन

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन न किया जाना चिंता का विषय है। मैं अपने स्तर से जहां तक होता है सारे कार्य हिंदी में निपटाता हूँ। सभी सदस्यों से भी यह अपेक्षा है कि वे अपने कार्यालय का कार्य हिंदी में संपादित करें।

हिंदी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण

कक्षाएं हवाई अड्डे पर ही आयोजित हो रही हैं तथा प्रवीण, प्रबोध तथा प्राज्ञ की प्रत्येक कक्षा में चार-चार प्रशिक्षणार्थियों का नामाकंन हुआ है तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्रमशः एक, तीन तथा तीन प्रशिक्षणार्थी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षा में आमंत्रित हैं। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ की कक्षाएं प्रतिदिन क्रमशः 12से 1,3 से 4 तथा 4 से 5 संचालित होती हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 का अनुपालन

इस मुददे पर सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि भारत सरकार के राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार नाम पट्ट, मोहर, साईन बोर्ड, प्रदर्शन पटट, विभागीय वाहनों आदि में कार्यालय का नाम द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में लिखा होना चाहिए । किंतु हमारे कार्यालय के कुछ विभागीय वाहनों पर कार्यालय का नाम व निदेशक विमानपत्तन पदनाम द्विभाषी नहीं लिखा गया है। जबकि इस बार मोटर वाहन अनुभाग को पूर्व में ही मुख्यालय के पत्र के संदर्भ के साथ टिप्पणी दी गयी थी।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने श्री दीपक कुमार दत्ता को शेष वाहनों पर विभाग का नाम द्विभाषी रूप से लिखवाने का अनुदेश देते हुए कहा कि सभी सदस्यों को चाहिए कि वे भारत सरकार के राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 का अनुपालन शतप्रतिशत सुनिश्चित करें व कराएं।

पूर्व रेलवे,मालदा

दिनांक 30-4-2004 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मालदा की बैठक श्री चरनजीत सिंह, अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सदस्य सचिव एवं राजभाषा अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि जब हम सभी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हिंदी के प्रयोग-प्रसार के मामले में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। सभी विभागों में हिंदी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और हम अगर प्रयास करें तो हिंदी में कामकाज बढ़ सकता है, उन्होंने निवेदन किया कि सभी अधिकारी छुट्टी का आवेदन पत्र एवं दौरा कार्यक्रम हिंदी में ही दें।

अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी का प्रयोग-प्रसार हम सब की

जिम्मेदारी है, उन्होंने राजभाषा अधिकारी के सुझाव से पूर्ण सहमति व्यक्त की एवं निदेश दिया की सभी अधिकारी छुट्टी का आवेदन पत्र एवं दौरा कार्यक्रम हिंदी में ही दें। उन्होंने कहा कि मालदा मंडल ''ग'' क्षेत्र में है एवं हमें 20% टिप्पणी हिंदी में लिखनी है। यह काम हम आसानी से कर सकते हैं।

उन्होंने सदस्यों को निदेश दिया कि प्रत्येक विभाग के कंप्यूटर पर हिंदी का सॉफ्टवेयर जरूर लोड किया जाए ताकि कंप्यूटर पर अधिक से अधिक काम हिंदी में किया जा सके।

दिनांक 27-1-2004 से हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण शुरू किया गया है, इस प्रशिक्षण में 6 टाइपिस्ट प्रशिक्षण ले रहे हैं।

अध्यक्ष ने निदेश दिया कि जो कर्मचारी हिंदी में प्रशिक्षित हैं, उनसे हिंदी में काम लिया जाए। जो हिंदी में काम करें उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए।

सभी सदस्य इस बात से अवगत हैं कि धारा 3(3) के अंतर्गत कागजात को निश्चित रूप से द्विभाषी रूप में जारी किया जाना है फिर भी अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी कृपया यह देखें कि ऐसे कागजात द्विभाषी रूप में ही जारी किए जा रहे हैं।

सभी कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

मूल पत्राचार के अंतर्गत तार,फैक्स, टैलेक्स एवं आरेख के साथ अन्याय मूल पत्र हैं। बताया गया कि ''ग'' क्षेत्र से ''क'' एवं ''ख'' क्षेत्रों के लिए इसका लक्ष्य 55 % है जिसे प्राप्त किया जाए।

मालदा मंडल चूँकि ''ग'' क्षेत्र में है इसलिए हिंदी में टिप्पणी लिखने का लक्ष्य 20 % ही है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि पहले छोटी-छोटी टिप्पणी हिंदी में लिखी जाएं।

बोर्ड के निदेशानुसार वर्ष, 2005 तक हिंदी प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाना है। अध्यक्ष ने निदेश दिया कि सभी सदस्य अपने-अपने विभाग के अप्रशिक्षित कर्मचारियों की सूची राजभाषा विभाग में भेज दें।

मंडल की सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य अधिकारियों से कहा कि जब भी कोई अधिकारी विभागीय निरीक्षण पर जाएं तो हिंदी कार्य का निरीक्षण कर लें। सभी सदस्यों को निरीक्षण का प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया । मंडल में कुल 21 टाइपिस्ट हैं जिसमें सिर्फ 3 टाइपिस्टों को हिंदी टाइपिंग का ज्ञान है, 6 टाइपिस्टों के हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण चल रहा है। हिंदी स्टेनो के अभाव में हिंदी स्टेनो की तलाश की जा रही है, ताकि हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा सके। बताया गया कि ''क'' एवं ''ख'' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों/लिफाफों पर पता हिंदी में लिखा जाए । मंडल के ''क'' क्षेत्र स्थित स्वस्थता एंव अस्वस्थता प्रमाण पत्र हिंदी में जारी किए जाते हैं, अध्यक्ष महोदय ने ''ग'' क्षेत्र स्थित अस्पतालों से भी उसे निर्गत करने का प्रयास करने का निदेश दिया। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के मांग पत्र हिंदी में होते हैं, उन्हें हिंदी में पास/पी.टी.ओ. जारी किए जाते हैं।

प्रसार-भारती
भारतीय प्रसारण निगम
दूरदर्शन केन्द्र : राजकोट

दूरदर्शन केन्द्र राजकोट में दिनांक 8 अप्रैल 04 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक केंद्राध्यक्ष श्री अरविन्द मर्चन्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई। सहायक केंद्र निदेशक डॉ. सी. के. वरठे, प्रभारी राजभाषा ने पिछली बैठक के कार्यवृत एवं चर्चा के मुद्दों को पढ़कर सुनाया तथा इस पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान नहीं है, उनके प्रशिक्षण के लिए एक समयबदध कार्यक्रम बनाया जाए। इस मुद्दे पर चर्चा करते समय सभी सदस्यों ने सहमति जताई कि सभी कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा प्रभारी ने बताया कि हिंदी टाईपिंग न जानने वाले टाईपिस्टों और आशुलिपिक को प्रशिक्षण हेतु शीघ्र भेजा जाना चाहिये।

सहायक केंद्र निदेशक ने बताया कि केंद्र पर हिंदी अनुवादक का एक पद रिक्त पड़ा है। अध्यक्ष महोदय ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को महानिदेशालय से पत्राचार द्वारा इस पर कार्यवाही करने को कहा । वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस संदर्भ में महानिदेशालय से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र पर एक पद हिंदी टंकक का भी रिक्त पड़ा है,। इस पर केंद्र निदेशक ने सुझाव दिया कि जब तक यह पद रिक्त पड़े हैं, तब तक आवश्कतानुसार किसी अनुवादक और किसी हिंदी टंकक को अनुबंधित किया जाये।

सहायक केंद्र निदेशक ने बताया कि पुस्तकालय के लिये उपलब्ध कुल अनुदान का 50 प्रतिशत खर्च हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया जाना चाहिये। यह खर्च जर्नल तथा मानक ग्रन्थों को छोड़कर किया जाना चाहिए । यह जानकारी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए 2003-04 वार्षिक कार्यक्रम में दी गयी है।

कार्यालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। अभी तक हमारे केंद्र पर केवल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। केंद्र निदेशक ने सुझाव दिया कि अगली कार्यशाला केवल तकनीकी अनुभाग को ध्यान में रखकर ही आयोजित की जाये।

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 102वीं बैठक बैंकिंग प्रभाग के निदेशक (प्रशासन) श्री जी०आर० सुमन की अध्यक्षता में दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को चेन्नई में हुई। इस बैठक में इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम०बी०एन० राव, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रशान्त सरन, आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक (राजभाषा) श्री आर०डी० मासीवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) डा० राजेश्वर गंगवार एवं महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री आर०डी० धुर्वे और इंडियन बैंक के महाप्रबंधक डा० जयंती लाल जैन सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रारम्भ में मेजबान बैंक, इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम०बी०एन० राव ने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व पर बल देते हुए आशा व्यक्त की कि बैंकों में दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को और बढ़ावा दिया जाएगा। इसके उपरांत इंडियन बैंक के महाप्रबंधक डा० जयंती लाल जैन ने इंडियन बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति के बारे में संक्षिप्त रूप में अवगत कराते हुए राजभाषा हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी बैंक द्वारा की गई प्रगति के संबंध में कंप्यूटर पर पावर प्वाइंट के माध्यम से संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात् बैठक के अध्यक्ष एवं बैंकिंग प्रभाग के निदेशक (प्रशासन) श्री जी०आर० सुमन ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बैंक/वित्तीय संस्थाएं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई समग्रत: संतोषजनक है। तथापि, अभी भी कुछ लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं । उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि राजभाषा संबंधी आदेशों/अनुदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक ध्यान दिया जाए और उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी को घोर प्रयत्न करने होंगे। उन्होंने इस अवसर पर इंडियन बैंक के राजभाषा विशेषांक "राजभाषा प्रवाह" का विमोचन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्पोरेशन बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक डा० जयंती प्रसाद नौटियाल द्वारा लिखित "हिंदी तथा बैंकिंग एवं आर्थिक परिदृश्य" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

समिति ने यह नोट किया कि कुछ बैंकों के प्रधान कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष/प्रभारी राजभाषा अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हैं जिसे समिति द्वारा गंभीरता से लिया गया और इस संबंध में संबंधित बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की अपेक्षानुसार सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रधान/केंद्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष/प्रभारी राजभाषा अधिकारी बैठक में नियमित रूप से अवश्य भाग लें।

भारतीय जीवन बीमा निगम
मण्डल कार्यालय : 'जीवन प्रकाश'
पो०बा० नं० 1155,
बी० 12/120, गौरीगंज, वाराणसी

दिनांक 29-3-2004 को समिति की तिमाही बैठक वरि० मंडल प्रबंधक की अध्यक्षता में शुरू हुई।

श्री एस० के० सिंह, राजभाषा अधिकारी ने पिछली बैठक दिनांक 30-12-2003 की कार्यवाही का कार्यवृत्त पढ़ा जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया।

तत्पश्चात राजभाषा अधिकारी ने पिछली तिमाही में लिये गये निर्णयों एवं उनके अनुपालन संबंधी कार्यवाही से समिति के सदस्यों को अवगत कराया, जिस पर समिति के सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया। इसी तारतम्य में उन्होंने इसमें राजभाषा विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गत दिनांक 11-3-2004 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयकर कार्यालय में आयोजित की गई थी जिसमें हमारे मंडल को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अति उत्तम कार्य करने पर शील्ड प्रदान की गई। श्री आर०पी० भारद्वाज, प्रबंधक (विक्रय), म०प्र०, प्रभारी ने शील्ड प्राप्त की। इस पर सदस्यों ने राजभाषा अनुभाग को बधाई दी।

सं०का० में बने जांच बिन्दु के आंकड़ों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि दि० 31-12-2003 को समाप्त तिमाही में शाखाओं/विभागों के हिंदी पत्राचार का प्रतिशत क्रमशः 99.62 एवं 99.88 रहा जो कि पिछली तिमाही के लगभग समान ही रहा। विभागों की समीक्षा करते हुए व०म० प्रबंधक श्री राकेश कुमार ने विक्रय प्रशिक्षण केंद्र हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 96.12 से बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने को कहा। शाखाओं के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए सदस्यों ने कहा कि जिन शाखाओं के हिंदी पत्राचार शत-प्रतिशत नहीं हैं उन्हें व०म०प्र० के हस्ताक्षर से पत्र दिया जाये।

कार्मिक विभाग में लगे पी०सी० प्रायः व्यस्त होने के कारण राजभाषा अनुभाग में एक अदद पी०सी० लगवाने के संबंध में प्र०अ० (सू०प्रौ०) ने अगली खेप में मंडल कार्यालय को पी०सी० मिलने पर व०म०प्र० की अनुमति के उपरांत राजभाषा अनुभाग को एक पी०सी० देने को कहा, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। अन्य विषय के अंतर्गत चर्चा के दौरान बीमा शब्दावली जो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी जानी थी, अभी तक मंडल को प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में क्षे०का० को पुनः एक अनुस्मारक देने का समिति ने सुझाव दिया।

अंत में सामूहिक हिंदी व्यवहार प्रोत्साहन योजना 2003-2004 पर चर्चा प्रारम्भ हुई। इस पर संपर्क अधिकारी श्री एस०एन०राय ने समिति को बताया कि दूरभाष से क्षेत्रीय कार्यालय ने गत वर्ष (2002-2003) में उक्त प्रोत्साहन योजना में हुए खर्च के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाही थी। राजभाषा अनुभाग ने अपने पत्र संदर्भ : रा०का०/9 दि० 23-1-2004 द्वारा इसकी जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दी है। सदस्यों ने कहा कि यह योजना वाराणसी मंडल की अपनी योजना है एवं पिछले कई वर्ष से निरंतर चली आ रही है। इस कार्य हेतु प्रतिवर्ष मंडल कार्यालय द्वारा बजट प्रावधान की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति बजट में 1,25,000 राशि का प्रावधान है। अंत में समिति के सदस्यों द्वारा इस वर्ष (2003-04) में भी यह योजना गत वर्ष की भांति यथावत् चालू रखने का निर्णय लिया। व०म० प्रबंधक ने इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को भी देने का सुझाव दिया।

राजभाषा अनुभाग को बजट के मद में वित्तीय वर्ष 2003-04 हेतु 2,20,000 आबंटित किया गया है। जिसमें से अभी तक लगभग 86000 रु० खर्च हुए हैं। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1,25,000 रु० सामूहिक हिंदी व्यवहार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2003-04 हेतु खर्च किया जाए एवं शेष राशि लगभग रु. 8000 मई/जून-04 में एक कार्यशाला हेतु अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान कर रखा जाए। तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

प्रसार भारती
आकाशवाणी सांगली,

कार्यालय द्वारा उपरोक्त तिमाही की बैठक दिनांक 21-04-2004 (बुधवार) को अपराह्न 04.00 बजे सम्पन्न हो गई। श्री रवीन्द्र काटकर, केंद्र अभियंता बैठक के अध्यक्ष थे।

सचिव ने सभी सदस्यों को पिछले वित्तीय वर्ष (2003-2004) और पिछली तिमाही—अक्तूबर-दिसंबर 2004 की हिंदी पत्राचार की स्थिति और महानिदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में अवगत

किया। हिंदी में मूल पत्राचार पिछली तिमाही में 429 तो अंग्रेजी में 359 रहा। पूरे वर्ष में यही पत्राचार 1292 हिंदी में और अंग्रेजी में 1489 रहा।

संबंधित पत्राचार पर सभी सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। यही पत्राचार का प्रतिशत बरकरार रहे और भी इसमें वद्धि हो, ऐसी अपेक्षा सचिव द्वारा की गई।

सचिव ने सदस्यों से अवगत कराया कि, वर्ष 2003-2004 को लागू प्रशासनिक शब्दावली प्रोत्साहन योजना का कार्यकाल दि. 31 मार्च 2004 को समाप्त हो गया है। संबंधित कार्यकाल में हिंदी में अधिकाधिक कामकाज करने वाले कर्मचारियों को विहित प्रपत्र में रिपोर्ट देने हेतु अनुभागाध्यक्ष प्रेरित करे। साथ ही वर्तमान वर्ष 2004-2005 को भी संबंधित योजना लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसके लिए सभी सदस्यों द्वारा सहर्ष सहमति व्यक्त की गई।

सचिव ने सदस्यों के सामने कार्यशाला आयोजन के संदर्भ में प्रस्ताव रखा। जिसपर विषय कार्यशाला की तिथि, व्याख्याता का मानदेय राशि एवं व्यय संबंधी कार्यालयाध्यक्ष के साथ, साथ ही विषय-संबंधी कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए व्याख्याता के साथ विचार विमर्श कर मई के तीसरे तथा जून के पहले सप्ताह में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

सचिव द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि, कार्यालय में कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का आयोजन सुविधानुसार सभी कर्मचारियों को हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण देना जरुरी है। इसपर विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों का ही समीचीन उपयोग किया जाए और उन्हीं के द्वारा अन्य कर्मचारियों को भी यदि, सूत्रबद्ध रीति से प्रशिक्षण दिया जाए तो राजभाषा के कामकाज में कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती।

केंद्र निदेशक
आकाशवाणी कटक

आकाशवाणी, कटक केंद्र की जनवरी-मार्च, 2004 की अवधि के लिए तिमाही बैठक दिनांक-24-5-2004 को श्रीमती रश्मि प्रधान, उप निदेशक, आकाशवाणी, कटक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सबसे पहले उप निदेशक महोदया श्रीमती रश्मि प्रधान ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। उसके उपरान्त उन्होंने आकाशवाणी, कटक से प्रकाशित हिंदी पत्रिका "चन्द्रभागा" के नये अंक का विमोचन किया। तत्पश्चात् सभा की कार्रवाई शुरु की गयी।

दिनांक-21-1-2004 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यालय के तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा की गयी। हिंदी अधिकारी ने कहा कि हिंदी पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदया ने सभी अधिकारियों से कहा कि पत्राचार की स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के अग्रेषण पत्रों का हिंदी प्रारूप बनवा लें और उन्हें पत्राचार में लाएं।

धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों की स्थिति के बारे में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदया ने कहा कि कार्यालय से धारा 3(3) के तहत् कागजातों को शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप से जारी करने की बात को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कागजातों को हिंदी रूपान्तर के लिए हिंदी अनुभाग को भेजा जाए।

हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति के बारे में चर्चा की गयी। हिंदी अधिकारी ने सभा को बताया कि इस कार्यालय के 2 अधिकारी एवं 21 कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए बाकी है। जुलाई-नवम्बर, 2004 सत्र में उनमें से कुछ प्रशिक्षार्थियों को नामित किया जाएगा। जिससे 2005 तक प्रशिक्षण पूरा हो सके।

पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी टंकण प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की गयी। पिछले सत्रों में इस पाठ्यक्रम के लिए परिपत्र निकाला गया था जिससे कर्मचारी स्वतः प्रवृत्त होकर इस पाठ्यक्रम में शामिल हो सकें परन्तु किसी भी कर्मचारी ने स्वतः प्रवृत्त होकर इस पाठ्यक्रम में नामांकन नहीं करवाया। अतः अध्यक्ष महोदया ने प्रशासन अधिकारी से कहा कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम के अगले सत्र में इस कार्यालय के कनिष्ठ लिपिकों को नामित अवश्य करें।

हिंदी अधिकारी ने सभा को अवगत कराया कि कार्यालय में उपलब्ध सभी फॉर्म द्विभाषी नहीं है। चूंकि शत-प्रतिशत फॉर्म द्विभाषी होना चाहिए इस पर अध्यक्ष महोदया ने प्रशासन अधिकारी से कहा कि जहाँ से भी प्रिंटेड फॉर्म मंगवाते हैं कृपया फार्म का द्विभाषी रूप हिंदी-अंग्रेजी में मंगवाएं और

जो फॉर्म कार्यालयीन स्तर पर सिर्फ अंग्रेजी में है उसे हिंदी अनुभाग को भेजकर द्विभाषी करवा लिया जाए।

अन्य कोई मद के अंतर्गत अध्यक्षजी ने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि चाहे पत्र हिंदी में हो या अंग्रेजी में, पत्रों पर हस्ताक्षर हिंदी में अवश्य करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम "जीवन प्रकाश" पोस्ट बाक्स नं. 66, जयपुर रोड, बीकानेर

वित्तीय वर्ष 2004-05 की प्रथम तिमाही बैठक दिनांक 29-05-2004 को मंडल प्रबंधक कक्ष में राजभाषा अध्यक्ष श्री टी.बी. कौल, मंडल प्रबंधक की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम मंडल प्रबंधक श्री टी.बी. कौल ने राजभाषा अध्यक्षीय शील्ड वर्ष 2003-04 हेतु बीकानेर मंडल द्वारा प्राप्त किये जाने पर हार्दिक बधाई दी एवं नवगठित बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही के प्रारंभ में श्री रवीन्द्र न्यास, उ.श्रे.स. (कार्मिक/औ.सं.) द्वारा पिछली तिमाही बैठक वर्ष 2003-04 की आखिरी बैठक के कार्यवृत्त को समिति के सम्मुख पढ़ा गया। कार्यवृत्त का समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2004-05 के लिये राजभाषा कार्यान्वयन व वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्धारित जांच बिंदुओं का पठन श्री आर.एन. मीणा, प्र.अ.(का./औ.सं.) एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा किया गया, जिसे समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया एवं मंडल प्रबन्धक द्वारा इन बिंदुओं की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गए।

जांच बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात् गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 को श्री रवीन्द्र व्यास, उ.श्रे.स. द्वारा समिति के सम्मुख पढ़ा गया। जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सदस्य ने अपनी सहमति जतलाई।

बीकानेर नगर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उत्तर पश्चिमी रेलवे, बीकानेर मंडल के अधीन स्थापित उपसमिति द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों एवं उसमें जीवन बीमा निगम के सहयोग के संबंध में चर्चा की गई।

शाखाओं में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समिति ने यह निर्णय लिया कि जो शाखाएं वर्ष 2004-05 में राजभाषा हिंदी की निरीक्षण दर '**उत्कृष्ट**' प्राप्त करेंगी, उनका मंडल प्रबंधक द्वारा विशेष सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन शाखाओं का राजभाषा हिंदी मासिक प्रतिवेदन आगामी माह की 5 तारीख तक प्राप्त हो जाता है उन शाखाओं के नाम का एक '**तुरंत प्रसारण' (FLASH)** जारी किया जायेगा।

बैठक के समापन से पूर्व मंडल प्रबंधक महोदय ने राजभाषा अध्यक्षीय शील्ड आगामी वित्त वर्ष 2004-05 हेतु बीकानेर मंडल द्वारा ही अर्जित करने का लक्ष्य रखने हेतु आवश्यक प्रयास प्रारंभ करने को कहा। इस हेतु उन्होंने अपनी ओर से शुभकामनाएं भी प्रदान की।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया तथा राजभाषा अधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यालय महाप्रबंधक/राजभाषा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर-273012

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 25-5-2004 को महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुलदीप चतुर्वेदी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए इस रेलवे की उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि सरकारी काम-काज हिंदी में करना न केवल हमारा संवैधानिक दायित्व है बल्कि नैतिकता का तकाजा भी है इसलिए हम राजभाषा हिंदी के संवर्धन, विकास एवं प्रसार के लिए सरकारी काम-काज में तथा दैनिक व्यवहार में इसका अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करें और अपने अधीनस्थ सहकर्मियों को भी हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि यह सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी के दिन-ब-दिन बदलते आयाम में पूर्वोत्तर रेलवे ने कंप्यूटर संबंधी अनुप्रयोगों को द्विभाषिक रूप में संपन्न करने का सफल प्रयास किया है, जैसे सभी विभागों की वेब साइट द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराना, रूटीन किस्म के पत्रों, परिपत्रों, कार्यालय आदेशों आदि के द्विभाषिक टैंपलेट बनाना तथा कंप्यूटर साधित आरक्षण चार्टों को द्विभाषिक रूप में

निष्पादित/प्रदर्शित कराना। इसके अलावा रेल पर उपलब्ध 604 कंप्यूटरों में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हिंदी का मानक साफ्टवेयर आई एस.एम. आफिस 2000 लोड करा दिया गया है, जिससे कंप्यूटर साधित हिंदी कार्यों को और सुगमता एवं तीव्रतापूर्वक निष्पादित किया जा सकेगा।

महाप्रबंधक, श्री ओम प्रकाश ने सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मण्डलों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी न केवल राजभाषा है, बल्कि देश की संपर्क भाषा के रूप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अत: हमें इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि सरकारी काम-काज में हिंदी के सरल एवं आम बोल-चाल वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाए ताकि जन साधारण उसे आसानी से समझ सकें और प्रशासन तथा आम जनता के बीच सहजता से संपर्क हो सके। उन्होंने कहा कि जिन कार्य क्षेत्रों में अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है, उसे विशेष निगरानी परिधि में लिया जाए और उसमें हिंदी में ही कार्य संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस रेल पर हिंदी में कार्य करने का अनुकूल माहौल भी है और कंप्यूटरों पर हिंदी कार्य करने की नवीनतम सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब बस जरूरत है कि हम अपनी मानसिक सोच में परिवर्तन लाते हुए अधिकाधिक कार्य हिंदी में संपन्न करें। उन्होंने निम्नलिखित मदों पर सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया—

(I) महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जाने वाली मिसिलों में पदनामों को संक्षेप में न लिखा जाए बल्कि हिंदी में पूरा पदनाम लिखा जाए।

(II) वित्त वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों के लिए आवंटित बजट का पूरा उपयोग आरंभ में ही करते हुए पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

(III) 'ग' क्षेत्र के साथ हिंदी पत्राचार का प्रतिशत गत वर्ष 65% था, इस बार बढ़कर 68% हो गया है, इसे बनाए रखा जाए।

सभी स्टेशनों पर द्विभाषी रूप में कंप्यूटरीकृत स्टेशन संचालन नियमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

राजभाषा संबंधी सभी प्रगति रपटों में दिए जाने वाले ऑकड़ों को विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर भेजा जाए।

आई.एस.एम. आफिस 2000 हिंदी साफ्टवेयर पर मुख्यालय/मंडल के कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण देकर उन प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय/मंडल के अन्य कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु निर्देशित किया जाए।

राजभाषा विभाग/मुख्यालय द्वारा रेल रश्मि पत्रिका का नियमित प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

सापजन के संशोधित संस्करण का हिंदी रूपांतर करते हुए इसे 31 मई तक वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक को सौंप दिया जाए।

प्रेस को जो सामग्री छापने के लिए भेजी जाए, वह फ्लापी पर लोड करके दी जाए।

जिन मंडलेत्तर कार्यालयों एवं मंडलों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही की बैठकें नहीं हुई हैं, वे जून, 2006 में अवश्य संपन्न करा लें तथा भविष्य में भी इन बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण के संदर्भ में बोर्ड द्वारा जारी चेक लिस्ट को पुन: सर्व संबंधितों को परिपत्रित किया जाए तथा निरीक्षण रपटों में हिंदी संबंधी पैरा अवश्य दिया जाए।

सभी हिंदी पुस्तकालयों में पर्याप्त फर्नीचर एवं प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए तथा इसे कर्मचारियों के लिए उपयोगी बनाया जाए।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी/वाराणसी ने मंडल में रिक्त राजभाषा संवर्ग के पदों को शीघ्र भरने का सुझाव दिया।

क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री गुरचरण सिंह द्वारा समिति अध्यक्ष, सदस्यों एवं आमंत्रित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने के लिए अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया। बैठक के अंत में राजभाषा विभाग की ओर से मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय ने अध्यक्ष महोदय के सेवा निवृत्ति के अवसर पर एक स्मृति चिह्न भेंट स्वरूप प्रदान किया। इसी के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई। ■

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

अमरावती

दिनांक 24 मार्च, 2004 को होटल रामगिरी, बस स्टेंड रोड, अमरावती में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री डी.डी परमार, अपर आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नराकास ने की। इसमें विशेष अतिथि के रूप में श्री राजेन्द्र कुमार कनिष्क, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, मुंबई उपस्थित थे।

स्वागत समारोह के पश्चात् सदस्य सचिव द्वारा अमरावती नगर के केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों से प्राप्त हिंदी प्रगति रिपोर्टानुसार हो रहे हिंदी के कार्य संबंधी समिति को जानकारी दी। उप निदेशक (कार्यान्वयन), द्वारा सदस्यों को हिंदी के कार्य संबंधी तथा भारत सरकार के राजभाषा नीति विस्तृत मार्गदर्शन किया। सभी कार्यालयों को रू 1000/-अंशदान के रूप में शीघ्र सचिव (कार्यान्वयन), के पास जमा करवाने संबंधी सूचना दी गई। परंपरानुसार इस वर्ष भी नराकास की ओर से सभी कार्यालयों हेतु सामूहिक हिंदी दिवस/माह समारोह-सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी कार्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा यथोचित सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत सरकार राजभाषा की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु चुनिंदा कार्यालयों को उप निदेशक, भारत सरकार के हाथों प्रामाणपत्र वितरित किए गए। सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का आभार प्रदर्शन किया गया तथा नगर में राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु ऐसे ही उत्साह से सहयोग देने की अपील की।

रायबरेली

दिनांक 7-5-2004 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायबरेली की बैठक समिति के अध्यक्ष श्री अखौरी प्रभात कुमार, अपर महा प्रबंधक (आर.डी.) आई टी आई की अध्यक्षता में संस्थान के सभागार में संपन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव नराकास एवं सहायक हिंदी अधिकारी ने समिति के अध्यक्ष एवं अपर महा प्रबंधक (आर.डी.) श्री अखौरी प्रभात कुमार सहित विभिन्न विभागों से उपस्थित सदस्यों से परिचय कराया। उन्होंने कहा कि श्री प्रभात जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संस्थान अपने उत्पादन के लक्ष्यों को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है, वहीं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं निगमित कार्यालय द्वारा निर्धारित राजभाषा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। श्री जे.जे.आर. चक्रवर्ती सचिव, नराकास, रायबरेली ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार से हिंदी के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं राजभाषा सम्बन्धी आदेशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध कियों कि वे अपने-अपने विभागों में हो रहे हिंदी के कामकाज की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपने प्रधान कार्यालयों को भेजने के साथ ही उसकी एक प्रति सचिव नाराकास कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ताकि उसी आधार पर समेकित प्रगति रिपोर्ट सरकार के राजभाषा विभाग को नियमित रूप से प्रेषित की जा सके। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने इस आशय की रिपोर्ट समय से भेजने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सचिव ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, डाक अधीक्षक कार्यालय सहित उन कार्यालयों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिनकी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट समय से प्राप्त हो रही हैं। श्री आर.ए.एस. सिसोदिया, कार्यशाला अधीक्षक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान अकादमी ने बताया कि विभाग में 75 प्रतिशत से ज्यादा कार्य हिंदी में किए जाते हैं और "ग" क्षेत्र को जो पत्र भेजे जाते हैं वे भी द्विभाषी ही भेजे जाते हैं। कुल 117 मेनुअल हैं जो ज्यादातर हिंदी में है और 38 में 2 को छोडकर सभी कर्मी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। हिंदी का पद सृजित न होने के बावजूद ज्यादातर कार्य हिंदी में ही किया जाता है। उन्होंने हिंदी का पद सृजित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने की जानकारी दी।

श्री एस.आर. सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक, यूनियन बैंक ने अवगत कराया कि उनकी शाखा में प्रत्येक वर्ष हिंदी सप्ताह मनाया जाता था, किंतु अब विगत तीन वर्षों से हिंदी सप्ताह के स्थान पर हिंदी पखवाड़ा मनाया जाने लगा है। इस दौरान निबंध, पोस्टर एवं आलेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करके विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है जिससे कर्मियों में हिंदी के प्रति रूझान बढाने में मदद मिली है।

श्री छोटेलाल, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा ने बताया कि अधिकतर खातेदार ग्रामीण अंचल के होते हैं इसलिए बैंक के बाउचर, पासबुकें एवं बैंकिंग प्रक्रिया अधिकतर हिंदी में ही संपन्न होती है लेकिन फिर भी कुछ पेपर अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर शतप्रतिशत हिंदी में ही दिए जाते हैं। इस प्रकार 80 प्रतिशत बैंक का कार्य हिंदी में किया जाता है। कालांतर में उन्होंने इसे शतप्रतिशत किए जाने का आश्वासन दिया।

श्री रमेश चन्द्रा, उप प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, टाउनशिप ने बताया कि शाखा में सभी प्रपत्र, प्रारूप एवं मोहरें द्विभाषी ही हैं और हिंदी को प्रोत्साहित करने हेतु कर्मियों के मध्य हिंदी पर आधारित प्रतियोगिताएं करवाकर प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन प्रतियोगिताओं में शाखा के कर्मचारी एवं अधिकारी उत्साह के साथ प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं।

श्री राम किशोर द्विवेदी, हिंदी प्रतिनिधि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज रायबरेली ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाये तभी राजभाषा हिंदी के शतप्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, शाखा प्रबंधक, न्यू इंडिया इन्स्योरेन्स कंपनी ने बताया कि शाखा में 75 प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाता है। हिंदी के प्राप्त पत्रों के उत्तर एवं उन पर टिप्पणी हिंदी में ही की जाती है। श्री अग्रवाल ने बताया की वर्ष 2001 में उनकी शाखा को हिंदी में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा चुका है।

श्री सुनील ओझा, हिंदी प्रतिनिधि, स्टेट बैंक आफ इंडिया, सुपर मार्केट, रायबरेली ने बताया कि बैंक में अधिकांश कार्य हिंदी में जाना बाध्यता है। बैंक के सभी प्रपत्र, फार्म, जमा एवं निकासी बाउचर स्लिप, पासबुक एवं अन्य अभिलेख हिंदी में ही हैं।

श्री सुमन कुमार कुजूर, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायबरेली ने कहा कि वे असम के मूल निवासी हैं एवं लम्बे समय तक चेन्नई जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र में सेवारत रहे हैं, रायबरेली आए हुए उन्हें मात्र छ: महीने हुए हैं किंतु राजभाषा हिंदी के कार्यों को गति देने के लिए सभी जगह पूरे प्रयास किए हैं। कार्यालय की फाइलें, नामपट्टिकाएं, मुहरें हिंदी में अनिवार्य रूप से होने के साथ ही अधिकांश पत्राचार तथा कार्यालय का कामकाज हिंदी में किया जाता हैं। मूलरूप से अहिंदी भाषी श्री सुमन कुमार की हिंदी के प्रति अटूट आस्था का सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया।

श्री मातादीन पांडेय, हिंदी प्राध्यापक, केंद्रीय विद्यालय, गोरा बाजार ने बताया कि उनका विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से होने के बावजूद छात्रों को हिंदी के प्रति भरपूर प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यालय के छात्र, शिक्षक और प्राचार्य सभी आपस में अधिकांश हिंदी में ही बात करते हैं। हिंदी माध्यम से वादविवाद प्रतियोगिताओं, निबंध तथा कविता पाठ का आयोजन समय-समय पर विभिन्न वर्गों के छात्रों के मध्य किया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है तथा वर्ष भर प्रतिदिन सूचना पटल के माध्यम से हिंदी से संबंधित विद्वानों के विचार प्रसारित किए जाते हैं।

श्री अखोरी प्रभात कुमार अध्यक्ष नराकास ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से बैठक में पधारे नराकास के सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने मूल लक्ष्यों के अलावा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप शतप्रतिशत हिंदी के लक्ष्यों को प्राप्त करना है क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है, राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ करती है। श्री प्रभात ने अवगत कराया कि अब जो भी कंप्यूटर क्रय किए जाएं, वह द्विभाषी ही किए जाएं और जिन कंप्यूटरों में हिंदी साफ्ट्वेयर नहीं है वह हिंदी साफ्ट्वेयर आगामी बैठक के पूर्व अवश्य लोड करवा दें। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी की लोकप्रियता के कारण ज्यादातर कंप्यूटर निर्माता कंपनियां अब द्विभाषी कंप्यूटर का निर्माण करती हैं। उन्होंने राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) का कड़ाई से अनुपालन करने का आग्रह किया और उन सदस्य कार्यालयों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जो राजभाषा हिंदी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट समय से सचिव नराकास को प्रेषित करते हैं, साथ ही समस्त सदस्य कार्यालयों से भी अपने-अपने कार्यालयों की राजभाषा हिंदी की प्रगति रिपोर्ट सचिव नराकास को प्रेषित करने का आग्रह किया।

अन्त में श्री वी. एन. गुप्ता, उप महाप्रबंधक(का. एवं प्रशा.) ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों से पधारे विभाग प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर

आभार व्यक्त किया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गयी।

अमृतसर

अमृतसर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं बैठक दिनांक 18-3-2004 को सांय 3-30 बजे पंजाब व सिंध बैंक आंचलिक कार्यालय हाल बाजार, अमृतसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री देव राज वर्मा, मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर ने की। सर्वप्रथम पंजाब एंड सिंध बैंक के राजभाषा प्रबंधक डा० चरनजीत सिंह द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी का प्रयोग आसानी से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक में राजभाषा की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि बैंक में कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग भी राजभाषा की प्रगति के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सन् 1908 में इसी ऐतिहासिक स्थान पर पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पंजाब एंड सिंध बैंक में आयोजित किए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक के आंचलिक प्रबंधक श्री एस. पी. एस. बेंस को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा राजभाषा अधिकारी एवं आयकर आयुक्त, अमृतसर श्री सुशील कांत मिश्रा द्वारा बैंक के राजभाषा प्रबंधक डा० चरनजीत सिंह को हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु सहयोग देने पर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सदस्य कार्यालयों से प्राप्त 22 छमाही रिपोर्टों की समीक्षा के अनुसार 9 कार्यालयों में 80% से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है। राजभाषा अधिकारी ने इस संबंध में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थिति को अनुकरणीय बताया। जहाँ शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जा रहा है। जिन कार्यालयों में हिंदी प्रचार का प्रतिशत बहुत कम है उनसे अनुरोध किया गया कि वे हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु और अधिक प्रयास करें।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का सत्र जुलाई माह से जनवरी माह तक चलाया गया। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र मार्च, 2004 में शुरू किया गया जिसमें कार्यालयों से 6 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री वर्मा ने कहा कि 100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक स्थल पर यह बैठक आयोजित हुई है। यह अपने आप में रोमांच का विषय है। उन्होंने हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे कार्यालयों में जाकर रिपोर्ट न भिजवाने के कारणों का पता लगाएं तथा जल्द से जल्द रिपोर्ट भिजवा दें।

तृश्शूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर की 33वीं बैठक दिनांक 27-5-2004 को नराकास के अध्यक्ष श्री लैंबर्ट जोसफ़ (निदेशक, ल.उ.से.स.) तृश्शूर के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। तृश्शूर नराकास के सचिव श्री के.ए.मात्यु ने तृश्शूर नराकास के अध्यक्ष श्री लैंबर्ट जोसफ, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोच्चि के अनुसंधान अधिकारी श्री. पी. विजय कुमार तथा बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय उदबोधन में समिति के अध्यक्ष श्री लैंबर्ट जोसफ़ ने गत बैठक की तुलना में इस बैठक में उपस्थिति में वृद्धि के लिए हर्ष प्रकट किया। उनका मत था कि नराकास नगर के केंद्र सरकारी कार्यालयों/बैंकों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त उनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच आपसी मैत्री बढ़ाने में भी यह सहायक सिद्ध हुआ है, जो कि निश्चय ही अत्यंत उपयोगी है। 19-1-2004 को संपन्न समिति के बैठक का कार्यवृत्त जिसे 20-2-2004 के इस संस्थान के पत्र द्वारा सभी संबंधितों को परिचालित किया गया की पुष्टि की गई।

अपने संक्षिप्त संबोधन में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चि के अनुसंधान अधिकारी श्री पी. विजयकुमार ने निम्नांकित बिंदुओं पर जोर दिया :—

1. हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में सदस्य अपने मुख्यालय को प्रस्तुत करें, जिसकी प्रतियां क्रमश: क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोच्चि व नराकास के कार्यालय को पृष्ठांकित की जाएं।

2. उन सदस्य कार्यालयों, जिनमें कार्यरत 80त्न अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, राजभाषा नियम, 1976 के उप नियम 10(4) के अनुसार के नाम भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

3. कार्यालय में प्रयुक्त सभी कोड, फार्म आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग लाए जाएँ। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों से संबंधित सभी प्रशिक्षण मैनुअल द्विभाषी रूप में लाए जाने की व्यवस्था की जाए। उक्त कागज़ातों के अनुवाद के लिए उन्हें अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए। अनुवाद कार्य निशुल्क किया जाता है।

4. विभिन्न विभागों में सेवारत हिंदी अधिकारियों/हिंदी अनुवादकों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण प्राठ्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण दिलाया जाए। प्रशिक्षण निम्नानुसार किया जाए।

(क) त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(ख) 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण

(ग) पाँच दिवसीय संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठयक्रम

5. हिंदी के रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यकतानुसार हिंदी पदों के सृजन हेतु कार्रवाई की जाए।

6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत सदस्यों द्वारा अपने मुख्यालय को भिजवाए जाएं, जिनकी प्रतियाँ क्रमशः क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चि नराकास के कार्यालयों को पृष्ठांकित की जाएँ। इसके अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को पहले ही दी जाए, ताकि वे उनमें भाग ले सकें।

7. राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्टें सदस्यों द्वारा यथासमय अग्रेषित की जाएँ, ताकि राजभाषा कार्यान्वयन के इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रयोजनार्थ नराकास की वार्षिक रिपोर्ट भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोच्चि को अग्रेषित की जाए। इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की रिपोर्ट भी संलग्न की जाएँ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृश्शूर की वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती राजश्री वर्मा द्वारा ज्ञापित धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

रायपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की छमाही बैठक दिनांक 17-5-2004 को श्री एच. के. जैन आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री ए.एस. कुलकर्णी, उप प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर प्रायोजक के रूप उपस्थित थे।

बैठक के आरंभ में श्री एस.ए. सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, रायपुर द्वारा मंच पर आसीन अधिकारियों का परिचय दिया गया एवं अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग के प्रायोजन में वर्ष 2004-2005 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति के सचिवीय कार्यालय में हिंदी शिक्षण योजना द्वारा स्थापित अशंकालिक हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र में हिंदी भाषा (हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ) प्रशिक्षण का आगामी सत्र दिनांक 1-7-2004 से तथा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण को आगामी सत्र दिनांक 2-8-2004 से आरम्भ होगा। हिंदी भाषा प्रशिक्षण की अवधि कुल 5 माह, हिंदी टंकण की 6 माह तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की 1 वर्ष की है। ये सभी प्रशिक्षण निःशुल्क हैं तथा प्रशिक्षण प्रत्येक कार्य दिवस में कुल एक घंटे का होता है।

समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुवर्त्त में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के प्रायोजन में दिनांक 5-5-2004 को अंतर-कार्यालयीन तात्कालिक हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के विभिन्न सदस्य, कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 5-5-2004 के संपन्न अंतर-कार्यालयीन तात्कालिक हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को निम्नानुसार श्री हरीश भीमटे, उप प्रबंधक, परिचालन एवं

वित्त, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया यथा :—

1. श्री एम. राजीव, निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, रायपुर —प्रथम पुरस्कार
2. श्री अजय शर्मा, हिंदी आशुलिपिक, आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको), रायपुर —द्वितीय पुरस्कार
3. कु. नीता शर्मा, वरिष्ठ कर सहायक, कार्यालय आयकर आयुक्त, रायपुर —तृतीय पुरस्कार

वर्ष 2003-2004 के दौरान राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य निष्पादन हेतु समिति के निम्नलिखित सदस्य कार्यालयों को समिति के अध्यक्ष श्री एच.के. जैन द्वारा निम्नानुसार "राजभाषा" पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया, यथा:-

1. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, रायपुर —प्रथम पुरस्कार
2. ओरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मण्डल क्रमांक-1, रायपुर —प्रथम पुरस्कार
3. आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको), रायपुर —द्वितीय पुरस्कार
4. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर —तृतीय पुरस्कार

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों द्वारा की गई हिंदी प्रगति को देखते हुए कहा कि पिछली छमाही की अपेक्षा इस छमाही में सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुधार हुआ है। उन्होंने इस संबंध में सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपनी रिपोर्टें ठीक समय पर समिति कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे मूल्यांकन आदि से संबंधित कार्य समय पर किया जा सके एवं समीक्षा हेतु समिति की बैठक में सभी कार्यालयों की रिपोर्टों को शामिल किया जा सके।

उन्होंने एक बार फिर इस बात को दुहराया कि समिति का उद्देश्य यह देखना है कि सदस्य कार्यालयों में किस प्रकार हिंदी का कार्य बढ़ सकता है। अंत: हमारे बीच आपसी सहयोग आवश्यक है। अपने उद्बोधन में उन्होंने धारा 3 (3) के अनुपालन, कम्प्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दिया तथा समिति के स्तर पर प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करने में सदस्य कार्यालयों से यथोचित योगदान की अपेक्षा भी की।

अंत में श्री ए.एस. कुलकर्णी, उप प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर द्वारा अध्यक्ष महोदय, सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों एवं उपस्थित अन्य अधिकारियों के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ बैठक समाप्त हुई। बैठक का संचालन श्री एस. ए. सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं श्री देव नारायण साहू, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर द्वारा किया गया।

इन्दौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की वर्ष 2004-2005 की प्रथम छमाही बैठक दिनांक 26-5-2004 को भारतीय कपास निगम लिमिटेड, इन्दौर के सभागृह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक उपक्रम) के अध्यक्ष श्री विशालकृष्ण सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन भारतीय कपास निगम के श्री अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य कार्यालयों से पधारे प्रमुख अधिकारियों/प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। बैठक में सदस्य कार्यालयों से प्राप्त हिंदी छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की कार्यवाही कपास निगम के श्री दिनेश कुमार सनोटिया द्वारा की गई। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आंकड़ों में कमी की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जिन उपक्रमों में हिंदी प्रगामी प्रयोग के उत्साहवर्धक आंकड़े आए, उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिये बधाई दी तथा जिन सदस्य कार्यालयों से लक्ष्य प्रतिशत प्राप्ति में कमियां पाई गईं उन्हें मेहनत एवं उत्साह से कार्य करने की सलाह दी। साथ ही जिन सदस्य कार्यालयों में कर्मचारियों का हिंदी में प्रशिक्षण शेष है, उसे समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया। जिन सदस्य कार्यालयों की बैठक में अनुपस्थिति रही, उसे गंभीरता से लिया गया। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से यह आशा की कि आने वाले समय में सभी सदस्य कार्यालय अधिक से अधिक इस बैठक में हिस्सा लेंगे तथा हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति में सहयोग करेंगे।

इस अवसर पर नराकास के अध्यक्ष श्री विशालकृष्ण द्वारा अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हम सब मिलकर हिंदी का कार्य कर रहे हैं तथा सार्वजनिक उपक्रम में हिंदी का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़े, इस ओर प्रयास कर रहे हैं। सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के प्रति आदर और सम्मान का वातावरण बने, इस दिशा में हमें एकजुट होकर प्रयास करना है तथा कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग कठिनाइयां आदि हों तो उनके निराकरण के लिये सुझाव एकत्रित कर सफल प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि "राजभाषा के रूप में यथा नियमों, आदेशों और अनुदेशों के अनुसार हिंदी प्रयोग के लिये अर्द्धवार्षिक समीक्षा करना, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा होने में यदि कोई व्यावहारिक कठिनाइयां हो तो उसके निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करना तथा वरिष्ठतम स्तर पर सदस्यों से इस दिशा में विचार-विमर्श करना आवश्यक है।" उन्होंने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी सदस्य कार्यालय हिंदी को और आगे बढ़ाने में और बेहतर प्रयास करेंगे और यह संकल्प लेंगे कि वे भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के संदर्भ में किये गये प्रावधानों के प्रति निष्ठावान रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनके कार्यालयों में आने वाली दिक्कतों की आपसी चर्चा, कार्यशालाएँ आयोजित कर समाधान ढूंढे ताकि उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एकजुट होकर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों/अनुदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कर सकें।

अन्त में श्री अजयकुमार त्रिपाठी, हिंदी प्रभारी ने अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यालयों से पधारे सभी प्रतिनिधियों का बैठक में उपस्थिति देने तथा बैठक के सफल आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया।

इटारसी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इटारसी की तेरहवीं बैठक दिनांक 28-4-2004 को संपन्न हुई। इस बैठक का आयोजन भारतीय जीवन बीमा निगम के सौजन्य से किया गया। समिति के अध्यक्ष श्री के. चन्द्रन महाप्रबंधक, आनिइ. की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मंचासीन अधिकारीगण थे—श्री महेश शुक्ल, महाप्रबंधक, बी एस.एन.एल. समिति के सचिव श्री सी.पी. गुप्ता, अपर महाप्रबंधक, आनिइ., श्री आरसी सिंह, उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन तथा श्री एस.डी. अहिरवार, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम।

इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रकाशित होने वाली राजभाषा पत्रिका "मयूर" के द्वितीय अंक का विमोचन अध्यक्ष श्री के. चन्द्रन महोदय के करकमलों द्वारा किया गया। विमोचित पत्रिका की एक-एक प्रति उपस्थित सदस्यों में वितरित की गई।

बैठक में सचिव महोदय ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गहन समीक्षा प्रस्तुत की। तत्पश्चात् राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मदों पर सदस्य कार्यालयों की प्रगति एवं स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया।

जबलपुर

नराकास की 44वीं बैठक का आयोजन तोपगाड़ी फैक्टरी द्वारा दिनांक 28-4-2004 को जी. सी. एफ. सीनियर क्लब में किया गया। बैठक में नगर स्थित सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जी. सी. एफ. के वरि. महाप्रबंधक श्री सुदीप्त घोष ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजभाषा हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जिसके द्वारा कर्मचारियों व प्रबंधन के बीच की दूरियां समाप्त की जा सकती हैं अतः अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही संपादित होना चाहिए। नराकास सचिव, हिंदी अधिकारी श्री जुगल किशोर ने प्रतिवेदन के माध्यम से नगर स्थित सभी केंद्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के आधार पर संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की। बैठक में राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल से पधारे उपनिदेशक श्री सुनील सरवाही ने अपने विचार व्यक्त किए। नराकास अध्यक्ष श्री सुदीप्त घोष ने राजभाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से अपील की कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य अनुरूप कार्य करते हुए इसी दिशा की ओर प्रयासरत रहें। अंत में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नराकास अध्यक्ष एवं वरि. महाप्रबंधक श्री सुदीप्त घोष द्वारा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को प्रथम पुरस्कार स्वरूप चलित शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम पुरस्कार स्वरूप क्रमशः आयुध निर्माणी खमरिया, क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, सहायक भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, एवं विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ■

(ग) हिंदी कार्यशालाएं

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

परिषद मुख्यालय कृषि भवन तथा कृषि अनुसंधान भवन-I और II में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों के लिए अलग-अलग दो दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तकनीकी अधिकारियों को हिंदी में विज्ञान लेखन करने के लिए प्रेरित करना तथा हिंदी लेखन कार्य में कंप्यूटर की उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध कराना था।

दिनांक 29 और 31 मार्च, 2004 को कृषि भवन के समिति कक्ष-1 में आयोजित कार्यशाला के पहले दिन अर्थात दिनांक 29-3-2004 को डा. रमेश दत्त शर्मा, पूर्व निदेशक (दीपा), भ० कृ० अ० प० ने अधिकारियों को हिंदी में विज्ञान लेखन के लिए कुछ जरूरी तकनीकें बताते हुए सारगर्भित व्याख्यान दिया। इसके अलावा लेखन कार्य के लिए कुछ विशेष तथ्य भी समझाए और इस कार्य में आने वाली समस्याओं के सटीक समाधान प्रस्तुत किए। उन्होंने स्लाइड पर रेखाचित्रों के माध्यम से हिंदी रचनात्मकता के कुछ विशेष बिंदु प्रदर्शित किए।

दूसरे दिन अर्थात 31 मार्च, 2004 को इलैक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग संस्थान की प्रोजेक्ट अधिकारी (क्वायलनेट) सुश्री हेमा शर्मा ने हिंदी में लेखन कार्य में कंप्यूटर की उपयोगिता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला और हिंदी में कंप्यूटर के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया।

दूसरी कार्यशाला कृषि अनुसंधान भवन-I और II में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों के लिए दिनांक 6 और 7 अप्रैल, 2004 को आयोजित की गई, जिसमें पहले दिन दिनांक 6-4-2004 को प्रौद्योगिकी संचार परिषद (सी. एस. आई. आर.) के निदेशक (वैज्ञानिक "एफ") ने हिंदी में विज्ञान लेखन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया तथा संबधित विषय पर प्रतिभागियों के प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए और लेखन कार्य में आने वाली समस्याओं और विज्ञान सूचना के पेचीदा पहलुओं के समाधान बताये।

दोनों ही कार्यशालाओं में कुल 56 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक सदंर्भ साहित्य वितरित किया गया। अतिथि व्याख्याताओं के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत दोनों कार्यशालाएं संपन्न हुई।

प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम दूरदर्शन केंद्र : राजकोट

दूरदर्शन केंद्र, राजकोट में दिनांक 29 मार्च 2004 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र के कार्यक्रम, प्रशासन और अभियांत्रिकी तीनों प्रभागों के कर्मचारियों ने सक्रिय भाग लिया।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में सोराष्ट्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और प्रसिद्ध रचनाकर्मी डा. एस. पी. शर्मा ने अपने सारगर्भित और विद्वतापूर्ण व्याख्यान में हिंदी के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। डा. शर्मा ने कहा कि हिंदी के विकास की कहानी हमारे देश की आजादी की कहानी है। हम हिंदी के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदी हमारे देश की प्रगति की भाषा है, इस देश की मिट्टी की भाषा है।

केंद्र निदेशक श्री अरविंद मर्चन्ट ने डा. एस. पी. शर्मा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। केंद्र अभियंता सुश्री नेहा स्वामी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। डा. शैलेष टेवाणी ने उपस्थित कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक केंद्र निदेशक डा. चंद्र कुमार वरठे, प्रभारी राजभाषा ने किया।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

संस्थान के सभी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला

सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करना एक संवैधानिक अपेक्षा है। संस्थान में भी हिंदी में कामकाज की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए समय समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में संस्थान के आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए एक हिंदी कार्यशाला 8 अप्रैल 2004 को आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य संस्थान के आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को सही हिंदी लिखने का अभ्यास कराना था जिससे कि वे हिंदी के शब्दों को सही रूप में टाइप कर सकें। संस्थान के कुल 23 आशुलिपिकों/टाइपिस्टों ने भाग लिया। कार्यशाला के विषय को अभ्यास पद्धति द्वारा प्रतिपादित किया गया। सहभागियों को हिंदी वर्णमाला तथा अंकों के मानक स्वरूप पर सामग्री दी गई। उन्हें हिंदी लिखने का अभ्यास कराया गया। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई और भाषा संबंधी उनकी कठिनाइयों का समाधान किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (सामान्य सेवा) ने किया। उन्होंने आशा प्रकट की कि यह कार्यशाला सह भागियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सहभागियों की हिंदी शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी तथा संस्थान में हिंदी के कार्य को और बढ़ावा मिलेगा। कार्यशाला की समाप्ति पर सहभागियों से इसके आयोजन की उपयोगिता के बारे में विचार जाने गए। सहभागियों ने कार्यशाला की अवधि तथा प्रशिक्षण पद्धति को उपयुक्त माना। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल वे अपने कामकाज में व्यावहारिकरूप से करेंगे।

भेल, हरिद्वार

''मन में सकारात्मक सोच हो तो कोई कार्य कठिन नहीं'' —बृज मोहन सिंह नेगी

''हिंदी एक महासागर है जिसमें अन्य भाषाएं छोटी-छोटी नदियों की भांति क्षेत्रीय एवं प्रांतीय शब्दों को साथ लेकर समाहित होती जा रही हैं। आज हिंदी शब्दकोश में विश्व की किसी भी भाषा से अधिक शब्द हैं। हमें हिंदी का प्रयोग इतना बढ़ाना चाहिए कि अंग्रेजी स्वयं ही हिंदी से आच्छादित हो जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम यह न सोचें कि अंग्रेजी कैसे हटाई जाए अपितु यह सोचें कि हिंदी कैसे समृद्ध की जाए तथा कैसे हिंदी को बढ़ाया जाए। हम अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे क्योंकि मन में यदि सकारात्मक सोच हो तो कोई कार्य कठिन नहीं होता।'' ये विचार दिनांक 16-04-2004 को राजभाषा विभाग द्वारा भेल, हरिद्वार के शीर्ष प्रबन्ध मण्डल हेतु ''राजभाषा कार्यान्वयन व नीति'' विषय पर आयोजित विशिष्ट कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशक (नीति) श्री बृज मोहन सिंह नेगी ने व्यक्त किए। श्री नेगी ने विशिष्ट वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन में राजभाषा नीति संबंधी सांविधिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, नियम राजभाषा संकल्प, विभिन्न आदेशों आदि को सरल व सारगर्भित भाषा में विस्तारपूर्वक समझाया। इस क्रम में श्री नेगी ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्थाओं एवं उनके अनुपालन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न समितियां, उनके कार्य व उत्तरदायित्वों, वार्षिक कार्यक्रम, तिमाही व वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, प्रशिक्षण एवं अनुवाद व्यवस्था, पुरस्कार योजना आदि पर भी प्रकाश डाला।

इससे पूर्व कार्यशाला के प्रेरणा स्रोत हरिद्वार प्रभाग के प्रभारी, समूह महाप्रबंधक श्री सुशील कुमार गुप्ता तथा महाप्रबंधक (मा. सं) श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र ने पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री नेगी का स्वागत किया। श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र ने स्वागत संबोधन में, भेल में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा व दशा की जानकारी दी।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में राजभाषा अधिकारी श्री हरीश सिंह बगवार ने समस्त प्रतिभागियों को फोनेटिक

की-बोर्ड की सहायता से सरलतम रूप में "कंप्यूटर पर हिंदी कार्य प्रशिक्षण" दिया। श्री बगवार ने वैयक्तिक कम्प्यूटर पर कार्य संबंधी सूत्रों को भी बतलाया। समस्त प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से रुचि लेते हुए हिंदी टंकण सीखने के साथ ही अभ्यास भी किया। कार्यशाला की समाप्ति पर उपस्थित महाप्रबंधकों व विभागाध्यक्षों के साथ राजभाषा कार्यान्वियन में आने वाली समस्याओं, जिज्ञासाओं पर गहन चर्चा की तथा उनका निराकरण किया। भेल, हरिद्वार में शीर्ष प्रबन्धन हेतु पहली बार आयोजित इस कार्यशाला के सफलतापूर्वक समापन पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भेल हरिद्वार के समूह महाप्रबन्धक श्री सुशील कुमार गुप्ता ने विशिष्ट वक्ता श्री बृज मोहन सिंह नेगी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्त महाप्रबन्धकों एवं विभागाध्यक्षों को उनकी अभिरुचि के प्रति हर्षित भाव प्रकट किए। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने प्रभाग में राजभाषा कार्यान्वयन के अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समस्त विभागाध्यक्षों से अपने-अपने विभाग में इस कार्यशाला से अर्जित ज्ञान के प्रसारण हेतु आह्वान भी किया।

दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं लि., चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

स्पेन्सर टावर्स, 770-ए, अण्णा साले, चेन्नै-600002

एक दिवसीय संयुक्त हिंदी कार्यशाला तथा मंडल कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के हिंदी ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशाला का कार्यवृत्त

दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालयों के तत्वाधान में एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23-3-2004 को होटल डी. सी. मैनर, टी नगर, चेन्नै-17 में किया गया।

मुख्य अतिथि श्री विट्टल राव ने अपने उद्घाटन भाषण में यह बताया कि हमें इस धारणा से बाहर निकलना चाहिए कि अंग्रेजी के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता या हमारा काम-काज नहीं चल सकता। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व के विभिन्न देश जैसे चीन, रूस, फ्रांस आदि देश अपनी भाषा की बदौलत विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तकनीकी क्षेत्रों में जहाँ जापान अपनी भाषा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, वहीं छोटा-सा देश इज़राईल, एक सामरिक शक्ति बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री जे.चॉको, सहायक महाप्रबंधक ने राजभाषा अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से हिंदी में काम-काज को बढ़ावा मिलेगा। विशेष अतिथि श्री एम.पी. दुबे ने न्यू इंडिया एश्योरेन्स के द्वारा राजभाषा कार्यन्वयन सफलतापूर्वक किए जाने का उल्लेख करते हुए राजभाषा प्रभारी श्री ईश्वर चन्द्र झा की सराहना की। श्री सुन्दरम ने बताया कि हिन्दी जानना उनके लिए लाभदायक रहा।

चारों ही कंपनियों से लगभग 56 कार्मिकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

संकाय सदस्य के रूप में श्री एम.पी. दुबे, उपनिदेशक ने 'भारत सरकार की राजभाषा नीति' के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। श्री सुब्रमणियन 'विष्णुप्रिया' ने तमिल और हिंदी के माध्यम से हिंदी में काम-काज करने में आने वाली कठिनाईयों का समाधान' प्रस्तुत किया। श्री विश्वनाथ झा, (उपनिदेशक), हिंदी शिक्षण योजना ने हिंदी में 'नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग' पर व्याख्यान दिया।

दिनांक 25-3-2004 क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में हिंदी ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन श्री आर शौरिराजन, सदस्य, केन्द्रीय हिंदी समिति, नयी दिल्ली ने किया। डॉ श्रीराम मुण्ढे, उप प्रबंधक, हिंदी विभाग, प्रधान कार्यालय ने अध्यक्षता की। डॉ. रमाकांत गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) भारतीय रिजर्व बैंक विशेष अतिथि एवं श्री ईश्वर चन्द्र झा हिंदी अधिकारी उपस्थित थे। संकाय-सदस्यों द्वारा व्याख्यान सत्र प्रारंभ हुआ। डॉ रमाकांत गुप्ता, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने "राजभाषा प्रावधान" विषय पर, डॉ. श्रीराम मुण्ढे, उप प्रबंधक (हिंदी) प्रधान कार्यालय ने "तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग" विषय पर, श्री सुरेन्द्र नाथ सामल, हिंदी अधिकारी, आकाशवाणी ने "गैर तकनीकी कार्यों में हिंदी का प्रयोग" तथा श्री आई.के. शर्मा, हिंदी अधिकारी,

सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया ने "बीमा एवं बैंकिंग शब्दावली एवं उनका प्रयोग" विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

समापन सत्र की अध्यक्षता डॉ श्रीराम मुण्ढे, उप प्रबंधक, हिंदी विभाग, प्रधान कार्यालय ने की। उन्होंने इस अवसर पर चेन्नै में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने पहले संस्कृत में, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी में सहभागियों को भाषण देते हुए हाथ में दिये गये सफेद कागज़ को मोड़ने, फाड़ने आदि से संबंधित निर्देश दिये। अंत में सभी प्रतिभागियों ने यह स्पष्ट रूप से देखा कि हिंदी में दिये निर्देशों का अनुपालन बहुत ही आसानी से और पूरी तरह किया गया था जब कि अन्य दो भाषाओं में यह उतनी अच्छी तरह नहीं हुआ था। ईश्वर चन्द्र झा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला संपन्न हुई।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्यालय कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-II)

बनीखेत, जिला चम्बा (हि.प्र.)176303

कार्यालय कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-II, बनीखेत में दिनांक 29-03-2004 को कार्यपालकों/अकार्यपालकों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-II श्री ए.के. सचदेवा ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि राष्ट्रभाषा द्वारा नवीन अनुभव, ज्ञानवृद्धि, आनन्द की अनुभूति, राष्ट्रीय भावना तथा देश-प्रेम का संचार होता है। हिंदी ज्ञान के बिना हम अपने राष्ट्र को नहीं जान सकते। इसलिए हिंदी का ज्ञान आज के युग में एक अनिवार्य आवश्यकता है। आगे उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य निष्पादित किए जाने का लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हिंदी कार्यशाला के सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है। इसी कड़ी में आज का आयोजन है।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे अधिकारी/कर्मचारी हिंदी भाषा से भली-भाँति परिचित हैं। उन्हें केवल अपनी मानसिकता में बदलाव लाते हुए हिंदी में कार्य करने की ओर आगे बढ़ना है। उन्हें हिंदी में कार्य करने का संकल्प लेने की जरूरत है।

उद्घाटन के समापन अवसर पर प्रमुख (का. व प्रशा.) श्री आर.पी. सिंह ने कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II श्री ए० के० सचदेवा को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कार्यशाला इस वित्तीय वर्ष की अन्तिम कार्यशाला है जिसमें प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों को प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया है ताकि पिछली कार्यशालाओं में दी गई जानकरियों की पुनरावृत्ति के साथ-साथ नई-नई जानकारियाँ एक साथ सभी को मिल जाएं।

इस कार्यशाला का विषय था- "हिंदी में टिप्पणी लेखन"। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए चमेरा पावर स्टेशन, चरण-I से श्री अभिताभ सिंह, हिंदी अनुवादक तथा चमेरा पावर स्टेशन, चरण-II से डा. देवेन्द्र तिवारी, हिंदी अनुवादक को आमंत्रित किया गया था। उन दोनों ने राजभाषा नीति तथा हिंदी टिप्पणी लेखन पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उसके साथ ही साथ एक सत्र अभ्यास का रखा गया था जिसमें हिंदी टिप्पणी लेखन व पत्र लेखन का अभ्यास कराया गया। इस कार्यशाला में 23 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इस कार्यशाला का संचालन श्री अजय कुमार बक्सी, उपप्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्र-II, एन एच पी सी ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर उनकी संतुष्टि तक दिया।

इस कार्यशाला की सभी ने सराहना की।

भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

तैंतीसवीं हिंदी कार्यशाला की रिपोर्ट

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में दिनांक 21 एवं 22 मई, 2004 को संयंत्र के कर्मचारियों के लिए तैंतीसवीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं तूतीकोरिन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष

श्री एम.एस.एन. शास्त्री; उप महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष— राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भापासंतू श्री वी.वी.एस. रामा राव, प्रशासनिक अधिकारी श्री एम.एंम. रसूल, प्रशासनिक अधिकारी-2 श्री एस.एम. शिरोनमणि, भारत संचार निगम लिमिटेड से संकाय-सदस्य के रूप में पधारे श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक इत्यादि लोगों का स्वागत किया।

श्री रामा राव ने अपने भाषण में बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और जनभाषा भी है। इससे दूसरों से मिलने एवं विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे राज्य में जाने पर भी हिंदी सम्पर्क भाषा होने से हम अपनी बात कह सकते हैं।

श्री शास्त्री ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि किसी भी भाषा को सीखना एवं उसका प्रयोग करना कठिन नहीं है। हिंदी भाषा का कार्यालयीन कार्यों में उपयोग करते रहना चाहिए। भाषा के उपयोग में समय-समय पर होने वाली गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पूरे भारत में कहीं भी जाना पड़ता है और भारत की जनभाषा हिंदी है। अत: हमारे कार्यालय के हिंदी कक्ष द्वारा चलाए जाने वाली कक्षाएँ, कार्यशाला इत्यादि का भरपूर लाभ उठाकर प्रशिक्षण, कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के उपयोग में बढ़ावा लाएँ।

संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषय जैसे काल, लिंग, वचन, क्रियां प्रयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियों, बोलचाल की भाषा, आलेखन-टिप्पण, पत्र लेखन, अनुवाद,शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखें इत्यादि के अलावा प्रशासनिक विषय जैसे पेंशन एवं छुट्टी यात्रा रियायत पर व्याख्यान दिये गये। दूसरे दिन सत्र के अंत में इस दो दिवसीय कार्यशाला में दिये गये व्याख्यान के आधार पर राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया। प्रश्नोत्तरी मंच का संचालन श्री मनोज कुमार शर्मा ने किया। समापन सत्र के दौरान सही जवाब देनेवाले प्रतिभागियों को श्री एम.एस. शास्त्री द्वारा पुरस्कार दिए गये। प्रतिभागियों ने कार्यशाला के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि यह कार्यशाला उनके लिए बहुत ही लाभदायक रही है। उनमें राजभाषा हिंदी को पढ़ने और कार्यालयीन कार्यों में उसका अधिक उपयोग करने का उत्साह पैदा हुआ है। मुख्य महाप्रबंधक ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए । धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी : अहमदाबाद

आकाशवाणी, अहमदाबाद एवं विज्ञापन प्रसार, सेवा अहमदाबाद में दिनांक 15-6-04 को संयुक्त रूप से एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला चलाई गई।

सुश्री आशा शुक्ला, केंद्र निदेशक ने हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बताया कि राजभाषा हिंदी हमारे देश की भाषाओं का प्रतीक है। हमारी भाषा आमलोगों में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। जिसे राजभाषा का स्थान दिया गया है। इस संबंध में रचनात्मक दृष्टिकोण और संकल्पित मन हो तो अनुकूल परिवेश आपको हिंदी में काम काज करना सिखा देगा। वैसे कार्यशाला में काफी मात्रा में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, उम्मीद है कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे और अपने कार्य में उसका उपयोग करेंगे।

तत्पश्चात सीमा धमेजानी प्र.हि.अ. ने उपस्थित वक्ता एवं सभी का स्वागत करते हुए विद्वान वक्ता श्री आसित आचार्य आयकर अधिकारी का संक्षिप्त परिचय दिया। एवं बताया कि कार्यशाला का विषय हिंदी पत्राचार एवं उसे बढ़ाने के उपाय रखा गया है। कार्यालय में वैसे तो हिंदी में काफी काम हो रहा है लेकिन पत्राचार के मामले में लोग लक्ष्यों से पीछे हैं अत: इसलिए कार्यशाला के लिए विषय स्वत: तय हो गया है। उम्मीद है इस व्याख्यान के बाद अपने-अपने अनुभाग में हिंदी पत्राचार बढ़ाने के प्रयास करेंगे।

श्री आसित आचार्य आयकर अधिकारी ने अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले बताया कि आज़ादी के 54 वर्ष के बाद भी हिंदी में प्रगति लाने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करनी पड़ रही हैं। गलत अंग्रेजी में काम करने से अच्छा है हम गलत हिंदी से ही शुरुआत करें फिर हिंदी तो

इतनी सरल है। रुचि लेने पर काम करना काफी आसान हो जाता है।

फिर उन्होंने पत्राचार के प्रकार पर प्रकाश डालते हुए अभ्यास भी करवाया। कार्यशाला में कुल 14 अधिकारी तथा 30 कर्मचारियों ने भाग लेकर उसे सफल बनाया।

अंत में श्री सादिक नूर पठाण कार्यक्रम निष्पादक ने कार्यालय के सभी उपस्थित सदस्यों की ओर से वक्ता का आभार मनाते हुए कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की।

कार्यशाला का संचालन सीमा धमेजानी प्र.हि.अ. ने किया। ■

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार-पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम

'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थान	लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली
4.	क्या भारत का नागरिक है ?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाशक का नाम व पता	डा. राजेन्द्र प्रताप सिंह, उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24698054
6.	क्या भारत का नागरिक है ?	भारतीय नागरिक
7.	संपादक (पदेन) का नाम व पता	ओम प्रकाश सेठी, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24617807
8.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	—

मैं, डॉ. राजेन्द्र प्रताप सिंह एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवम् विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह.

प्रकाशक का हस्ताक्षर

केनरा बैंक
राजभाषा अनुभाग, अंचल कार्यालय, गोमती नगर, लखनऊ

केनरा बैंक में राजभाषा प्रतिनिधि बैठक का आयोजन

दिनांक 13 मार्च 2004 को अंचल कार्यालय लखनऊ में अंचल के सीधे नियंत्रण में आने वाली शाखाओं के राजभाषा प्रतिनिधियों की वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन अंचल कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री लक्ष्मण एन. सनकाले ने किया। उन्होंने राजभाषा प्रतिनिधियों को राजभाषा में कार्य करने की प्रेरणा दी तथा कहा कि श्रेष्ठ निष्पादक शाखा में कार्य करना स्वयं के लिए गौरव की बात होती है, जिसके लिए सक्रिय रहकर सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना बहुत जरूरी है।

वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. यू. एन. एस. पाण्डेय ने राजभाषा प्रतिनिधियों की भूमिका, भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं और वरिष्ठ प्रबंधक श्री रमेश चंद ने कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग के बारे में प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया। बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की गई।

आयुध निर्माणी, इटारसी

आयुध निर्माणी मुख्यालय के आदेशानुसार दिनांक 10-12-2003 को आयुध निर्माणी इटारसी में मध्य क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का सफल आयोजन संपन्न किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री के.के. बागाती, सदस्य कार्मिक, आयुध निर्माणी बोर्ड, मुख्यालय कोलकाता ने की। सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठक में वर्ष 2002-2003 में राजभाषा प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इस समीक्षा का कार्यभार आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय की उप महानिदेशक श्रीमती मीनाक्षी सेठ, निदेशक जन संपर्क श्री दीपांजन मजूमदार, एवं श्री वसंत लामा सहायक स्टाफ अधिकारी ने सम्हाला। तद्नुसार श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त निर्माणियों के महाप्रबंधकों को सचल शील्ड से सम्मानित किया गया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम—मुंबई रिफाइनरी

हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मुंबई रिफाइनरी के विभागीय राजभाषा समन्वयकों का छठा वार्षिक सम्मेलन कंपनी के निगड़ी स्थित प्रबंधकीय विकास संस्थान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री कोटगिरि मुरली के संदेश से हुई, जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि "समन्वयक अपनी राजभाषाई जिम्मेदारी पर गौरव का अनुभव करें क्योंकि आप पर बहुत बड़ा दायित्व है"। अपने उद्देश्य में सफल इस आयोजन की शुरुआत दोनों दिन एचपी गान और राजीव सारस्वत रचित एचपी रिफाइनरी गीत से हुई। उप प्रबंधक-राजभाषा कार्यान्वयन श्री राजीव सारस्वत ने आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि हम यहाँ राजभाषा के लिए किए प्रयासों की समीक्षा के संग इस वर्ष की कार्य-योजना बनानी है। संस्थान के प्राचार्य श्री बालकृष्ण पाढ़ी द्वारा सबके स्वागत के उपरांत मुख्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा कार्यान्वयन श्री रविदत्त गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि "समान बोध न होने पर समस्या और विरोध रहेगा इसलिए भाव पैदा करने के लिए बोध का अभाव दूर करके प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच से सफलता का मार्ग खोजने पर सफलता मिलेगी"। उप महाप्रबंधक-मानव संसाधन श्री ए. जोसेफ पत्रोज़ ने सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "आपका काम काबिले-तारीफ है, स्वतः प्रेरित होकर कार्य करते रहें"। सम्मेलन के उद्घाटन के लिए विशेष रूप से उपस्थित रिफाइनरी के महाप्रबंधक-प्रचालन श्री बलराज किशोर नामदेव ने अपने आशीर्वचन में कहा कि "आगे बढ़ने के लिए अच्छी व कारगर ढंग की कार्य-योजना बनाएं क्योंकि उम्दा करने पर भी बेहतरी की गुंजाइश हमेशा ही बनी रहती है"।

कार्यक्रम के मध्य में कार्यवाही रोककर ल्यूब रिफाइनरी के तकनीशियन वी.डी. थोरात के असमय निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विपणन मुख्यालय के उप प्रबंधक-राजभाषा क्रियान्वयन श्री राम विचार यादव ने 'समन्वयकों के दायित्व', पश्चिम अंचल के राजभाषा प्रभारी श्री रमेश कुड़िया ने 'राजभाषा : व्यावहारिक पहलू' तथा रविदत्त गौड़ ने ''कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ और उनके समाधान'' विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किए। रिफाइनरी के 19 विभागों के समन्वयकों सर्वश्री संदीप सप्रे, केशव माने, तुकाराम चंदाले, ब्रह्मा बोंद्रे महेंद्र साखरे, अरुण गुप्ता, जितेंद्र पांचाल, वसंत बाराहाते, सुधीर खोदनकर, धर्मवीर जयंत, सलीम मोहम्मद, अमिताभ सिंह, गजानन गमरे, यशपाल गुलाटी, अशोक वानखेड़े और संजय चौबे ने अपनी प्रगति प्रस्तुति दी और इस वर्ष की राजभाषा कार्य-योजना बताई। विशेष सत्र में ''द्विभाषीकरण के लाभ और हानि'' विषय पर विचार-मंथन कराया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में अग्निशमन विभाग को प्रथम और मानव संसाधन, ल्यूब प्रचालन व एफआरई की प्रस्तुति को द्वितीय स्थान पर घोषित किया गया। सारे प्रतिभागियों को ''आपका रहे प्रयास, राजभाषा का विकास'' संदेशयुक्त लेखनी व स्मृतिचिह्न वितरित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), कोलकाता-700 020

दिनांक 12-05-2004 को राजभाषा विभाग के कोलकाता स्थित कार्यालयों, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, हिंदी शिक्षण योजना एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारियों की समन्वय बैठक श्री जी.डी. केसवानी, उप निदेशक (कार्यान्वयन) की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे—

1. श्री जी. डी. केसवानी, उप निदेशक (कार्यान्वयन)	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता
2. श्रीमती फूल कुमारी राय, सहायक निदेशक	हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता
3. श्रीमती दीप्ति घोष, सहायक निदेशक	हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता
4. श्री सतीश कुमार पांडेय, प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता
5. श्री दयाकांत झा, सहायक निदेशक	कें. हि.प्र. उप संस्थान, कोलकाता

सर्व प्रथम उप निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया और कार्यसूची के अनुसार मदवार कार्रवाई संचालित हुई।

सहायक निदेशक श्रीमती फूल कुमारी राय, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा बताया गया कि प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा क्रमश: 18, 19 व 20 मई, 2004 को प्रस्तावित हैं, जिनमें 7502 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इन परीक्षाओं के लिए पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कुल 70 परीक्षा केंद्र स्थापित हुए हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 22 व 23 अप्रैल, 2004 को पूर्वी क्षेत्र के पश्चिम बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र में तैनात हिंदी प्राध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उप निदेशक (पश्चिम), (मध्य), हिंदी शिक्षण योजना एवं उप निदेशक (कार्यान्वयन), पूर्व क्षेत्र ने अतिथि वक्ता के रूप में मार्गदर्शन किया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मई, 2004 की परीक्षा हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम 12 से 16 अप्रैल, 2004 तक विभिन्न केंद्रों पर सम्पन्न किया गया। संबलपुर में हिंदी शिक्षण योजना का पूर्णकालिक नया केंद्र जनवरी, 2004 से खोला गया है।

श्री दयाकान्त झा, सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष प्राज्ञ गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत 05-25 मई, 2004 सत्र में 03 केंद्रों पर 47 प्रशिक्षार्थियों का दाखिला है। 15-05-2004 से 06-06-2004 तक के सत्र की नियमित प्रबोध कक्षा में 40 प्रशिक्षार्थियों का दाखिला है। 12-03-2004 से 11-05-2004 तक के सत्र की गहन टंकण परीक्षा में 18 प्रशिक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं। अगला गहन टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 02-06-2004 से 27-07-2004 तक प्रस्तावित है। यह भी बताया गया कि उप संस्थान कोलकाता की एक इकाई साल्ट लेक में 05 मई, 2004 से प्रारम्भ हुई है।

श्री सतीश कुमार पांडेय, प्रशिक्षण अधिकारी, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा बताया गया कि त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण (अप्रैल-जून, 2004) सत्र में कुल 12 प्रशिक्षार्थियों का दाखिला है।

उप निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा जानकारी दी गई कि माह अप्रैल, 2004 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पटना (बैंक), दुर्गापुर तथा बहरमपुर की बैठकें आयोजित हुई। दिनांक 18-05-2004 को दरभंगा तथा 25-05-2004 को बर्नपुर-आसनसोल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रस्तावित है।

वर्ष 2003-2004 का पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 24 व 25 मार्च, 2004 को आशुतोष हॉल, इंडियन म्युजियम, कोलकाता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री वीरेन जे. शाह द्वारा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत किया गया।

उप निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक का समापन किया गया। ■

"शायद हममें कुछ ऐसे आदमी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि हिंदीवाले हमारी मातृभाषा को छुड़ाकर उसके स्थान में हिंदी रखवाना चाहते हैं। यह भी निराधार भ्रम है। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाए। अपनी माता से भी ज्यादा प्यारी मातृभाषा बंगला को तो हम कदापि नहीं छोड़ सकते, किंतु भारत के विभिन्न प्रांतों के भाइयों से बातचीत करने के लिए हिंदी या हिंदुस्तानी तो सीखनी ही चाहिए। स्वाधीन भारत के नवयुवकों को हिंदी के अतिरिक्त जर्मन, फ्रैंच आदि यूरोपीय भाषाओं में ऐसी एक-दो सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम दूसरी जातियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ---------- कुछ लोगों का विचार है कि बंगला राष्ट्रभाषा हो, क्योंकि इसमें उच्च कोटि का साहित्य है। हिंदी में उच्च साहित्य है अथवा नहीं, यह विवादग्रस्त विषय उठाना ठीक नहीं है। हिंदी व्यापक रूप से भारत में बोली जाती है और इसमें संग्रहण शक्ति है तथा यह सरल है।

—सुभाष चन्द्र बोस

एडवांस, जुलाई 1938

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई.डी.बी.आई. हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751022

संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए श्री आर. पी. सिंह, प्रबंधक (हिंदी) को प्रशस्ति प्रमाणपत्र

''राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर में कार्यरत प्रबंधक (हिंदी) श्री आर.पी. सिंह को विगत दिनों संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए भारत सरकार-पूर्व क्षेत्र-राजभाषा विभाग, कोलकाता द्वारा पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री वीरेन जे. शाह के हाथों प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ध्यातव्य है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर को कार्यालय में हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार-पूर्व क्षेत्रीय राजभाषा शील्ड-प्रतियोगिता में वर्ष 2002-2003 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में कोलकाता में संपन्न एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में उक्त शील्ड व प्रमाणपत्र वितरित किये गये तथा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग व कार्यान्वयन में श्री सिंह के निरंतर अग्रसर रहने एवं अथक प्रयास करने की कामना भी की गयी।''

पूर्व क्षेत्रीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता— विकास बैंक, भुवनेश्वर को प्रथम पुरस्कार :

''कार्यालय में संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन व निष्पादन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर को भारत सरकार-पूर्व क्षेत्रीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में वर्ष 2002-2003 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उक्त क्रम में विगत दिनों कोलकाता में भारत सरकार-पूर्व क्षेत्र-राजभाषा विभाग, कोलकाता द्वारा संपन्न राजभाषा सम्मेलन में कार्यालय-प्रधान श्री सिद्धेश्वर साहू, महाप्रबंधक को पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री वीरेन जे. शाह के हाथों राजभाषा-शील्ड प्रदान कर तथा श्री आर. पी. सिंह, प्रबंधक (हिंदी) को राजभाषा-प्रशस्ति प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। हाल ही में कोलकाता में संपन्न एक रंगारंग पुरस्कार वितरण समारोह में उक्त शील्ड व प्रमाणपत्र वितरित किए गए तथा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग व कार्यान्वयन में श्री साहू के निरंतर अग्रसर रहने एवं अथक प्रयास करने की कामना भी की गयी।''

हिंदी अकादमी, दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार समुदाय भवन, पद्मनगर, किशन गंज, दिल्ली-110007

युवा काव्य संध्या एवं नवोदित लेखक पुरस्कार 2003-04 कार्यक्रम संपन्न

हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा अपने कार्यक्रमों की शृंखला की कड़ी में त्रिवेणी सभागार, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में युवा काव्य संध्या एवं नवोदित लेखक पुरस्कार वितरण 2003-04 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष, श्री जनार्दन द्विवेदी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। युवा काव्य संध्या का मंच संचालन युवा कवि श्री हेमंत कुकरेती ने किया। साथ ही नवोदित लेखक पुरस्कार वितरण में 37 नवोदित लेखकों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में अकादमी की संचालन समिति के सदस्य, वरिष्ठ साहित्यकार एवं युवा काव्य प्रेमी भी उपस्थित थे।

हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष श्री जनार्दन द्विवेदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस आयोजन का प्रतीकात्मक महत्व निराला की चेतना है। निराला ने अपने समय के युवा रचनाकारों को स्नेह दिया और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि निराला वर्षा, बसंत, आलोक और नयी सुबह के कवि हैं और ये वर्षा, बसंत, आलोक एवं नयी सुबह युवा

चेतना के प्रतीक हैं जिसने हिंदी कविता को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इन युवा कवियों को सुना जाए और सराहा जाए।

युवा काव्य संध्या में कवयित्री सुश्री गायत्री आर्य ने नारी की पीड़ा को उजागर करते हुए अपनी कविता में पढ़ा—आज फिर एक बार हादसे की गवाही देने आयी हूँ/गूंगी बहरी अंधी जनता की अदालत से/न्याय पाने की आस से आई हूँ/किस कदर करूं जतन की मेरी सुनवाई हो/मैं कल की द्रोपदी आज के कृष्ण की परीक्षा लेने आई हूँ। ऋतु कुमार ने अपने काव्य-पाठ में पढ़ा—अंधेरा बहुत घना है/फिर भी डरने की कोई बात नहीं है/क्योंकि जो मारा जाएगा/वह शिकायत करने नहीं आयेगा। रामाज्ञा राय 'शशिधर' ने अपनी काव्य-पाठ में कहा—हम दिल्ली के सदर सिपाही/गीत गजल पर शासन अपना/आई. टी.ओ. में भाषण अपना/अकादमियों से राशन अपना/रामराज तक आवाजाही। युवा कवि जितेन्द्र श्रीवास्तव ने अपनी रचना में पढ़ा—पहले एक घर/फिर दूसरा घर/ फिर पूरी बस्ती/झुलसकर रांख हो जाती है/उसी तीली से/ जिससे प्रकाश भी हो सकता था/उन्हीं घर में। संजय कुंदन ने अपने काव्य पाठ में पढ़ा—तो हुआ ये कि/मैं भागता हुआ बाजार गया/ और खाली हाथ लौट आया/मेरे पहुंचने से पहले ही/ मेरा दुख पहुंच चुका था/ मेरे घर। काव्य संध्या का संचालन करते हुए हेमंत कुकरेती ने अपने काव्य पाठ में पढ़ा—मैं पृथ्वी का अटूट धैर्य हूँ/और आकाश की अतल चुप्पी/पानी से भी ज्यादा पतले मेरे दुख/काटते रहते हैं मुझे/ आग की तरह लपकता हूँ सुखों की तरफ/फिर भी हवा जैसे व्यापक हैं मेरे डर। इस अवसर पर जसवीर त्यागी, मुकेश मानस, रमन कुमार सिंह एवं सुंदर चन्द ठाकुर ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को सरोबार किया।

नवोदित लेखक पुरस्कार प्रतियोगिता 2003-04 के अंतर्गत कुल 219 प्रतियोगियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता दो वर्गों में विभाजित थी पहला वर्ग 18 से 24 वर्ष तक की आयु के लेखकों के लिए था। इस वर्ग में कविता विधा में शैलेष शुक्ल तथा सुश्री क़नुप्रिया को प्रथम, दीप्ति अरोड़ा को द्विवितीय तथा तरुण गर्ग को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कहानी विधा में अखिलेश द्विवेदी 'अकेला' प्रथम, सुखदेव सिंह द्विवितीय तथा कामिनी ओहरी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। लेख विधा के लिए कुंदन कुमार प्रथम, विनोद कुमार शर्मा द्विवितीय तथा आनंद कर्दम को तृतीय पुरस्कार भेंट किया गया। एकांकी विधा के लिए मनोज कुमार मैथिल प्रथम, प्रशांत द्विवितीय तथा ललित कुमार झा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। वर्ग दो 25 से 30 वर्ष तक की आयु के लेखकों के लिए था। कविता विधा के अंतर्गत नवनीत प्रथम, कु० मोनिका यामिनी द्वितीय तथा कु० जयश्री तृतीय स्थान पर रहे। कहानी विधा में धनंजय कुमार वर्मा प्रथम, सुश्री गायत्री आर्य द्विवितीय और पूनम कुमारी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। लेख विधा के लिए शिवनाथ शीलबोधि प्रथम, संजय वत्स द्विवितीय तथा अमिष अमेय को तृतीय पुरस्कार भेंट किया गया। एकांकी विधा के लिए सुमन कुमार 'सुमन' प्रथम तथा वीरेन्द्र कौशिक को द्विवितीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही 13 नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिये गये। पुरस्कार स्वरूप क्रमशः प्रथम पुरस्कार 3100 रु० द्विवितीय 2500 रु० तृतीय 2000 रु० तथा प्रोत्साहन पुरस्कार 1100 रु० की धनराशि के साथ प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र भेंट किए गए।

हिंदी अकादमी के सचिव श्री नानक चंद ने सफल प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और हिंदी अकादमी द्वारा संचालित अनेक योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

निरीक्षण

भेल, हरिद्वार में राजभाषा निरीक्षण

हरिद्वार स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा प्रगति के निरीक्षण हेतु पधारे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद के सहायक निदेशक श्री राम निवास शुक्ल ने दिनांक 08-04-2004 को भेल, हरिद्वार के कारखाने व विभिन्न विभागों के निरीक्षण उपरांत शीर्ष प्रबन्धन के साथ वार्ता करते हुए कहा कि "मनुष्य का भाषा के साथ बड़ा ही आत्मीय सम्बन्ध है, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अनुभूति तथा अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है, भाषा के अभाव में मनुष्य निरीह तथा असहाय होता है। इसलिए मान्यता रही है कि यदि राष्ट्र अपेक्षित विकास करता है तो उसके पीछे उस राष्ट्र की भाषा ही होती है"। उन्होंने यह भी कहा कि, "जहां विद्युत, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की नजरें आज बीएचईएल पर टिकी हैं, वहीं बीएचईएल संविधानिक व्यवस्थाओं के प्रति भी पूर्ण समर्पित एवं निष्ठावान है"। श्री शुक्ल ने तकनीकी क्षेत्र की जटिलताओं के बावजूद राजभाषा हिंदी के प्रति कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अभिरुचि व समर्पण की प्रशंसा करते हुए बीएचईएल में राजभाषा की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

इससे पूर्व महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र तथा वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री राजेश्वर दयाल ने समूह महाप्रबंधक श्री सुशील कुमार गुप्ता एवं श्री राम निवास शुक्ल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। भेल के हरिद्वार प्रभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों तथा विशिष्ट उपलब्धियों का सशक्त प्रस्तुतीकरण राजभाषा अधिकारी हरीश सिंह बगवार ने किया। उन्होंने बताया कि प्रभाग में कार्यान्वयन, प्रशिक्षण एवं निरीक्षण के समन्वित प्रयासों के साथ ही राजभाषा के प्रति कर्मचारी साथियों द्वारा सकारात्मक वातावरण निर्माण के फलस्वरूप हरिद्वार प्रभाग राजभाषा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय उपलब्धियां अर्जित कर रहा है।

इस अवसर पर "कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान एवं उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं" के सर्वेक्षण हेतु राजभाषा अधिकारी श्री हरीश सिंह बगवार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के अभियंता श्री अजित अग्रवाल की सहायता से विकसित आनलाइन प्रणाली का लोकार्पण समूह महाप्रबन्धक श्री सुशील कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। उन्होंने इस प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल समस्त कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान संबंधी आंकड़े त्वरित उपलब्ध हो जाएंगे अपितु लक्ष्य समूह को भी चिह्नित कर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में आसानी रहेगी।

बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण श्री बलदेव कृष्ण गुप्ता, श्री ओम प्रकाश निगम, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री गुलबीर लाल आनन्द, श्री जहांगीर अहमद खान, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री अनिल सचदेव, श्री अविनाश कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण चर्चा की समाप्ति पर आभार प्रकट करते हुए बीएचईएल हरिद्वार के प्रभारी, समूह महाप्रबंधक श्री सुशील कुमार गुप्ता ने शीर्ष प्रबन्धन द्वारा राजभाषा के प्रति सकारात्मक अभिरुचि को प्रकट किया उन्होंने मूल भाषा एवं मूल विचारों के माध्यम से राष्ट्र-सेवा की महत्ता पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। निरीक्षण के सफल आयोजन में वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक (मा. सं.) श्री राजेश्वर दयाल, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री हेमंत कुमार, राजभाषा अधिकारी, श्री हरीश सिंह बगवार, राजभाषा समन्वकर्ता डा. नरेश मोहन तथा निजी सचिव श्री देवेन्द्र सिंह पुंडीर का विशेष योगदान रहा।

राजभाषा व जनसंपर्क विभाग बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, आनंद भवन, चतुर्थ तल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर

कंप्यूटर के उपयोग के बावजूद राजभाषा नियमों की अनुपालना में कोई शिथिलता नहीं—सुनील सरवाही

बैंक ऑफ बड़ौदा के राजस्थान अंचल कार्यालय के संयोजन में कार्यरत बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय (राजभाषा

विभाग), भारत सरकार, मध्य क्षेत्र के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री सुनील सरवाही ने स्पष्ट किया कि यद्यपि हमने अपनी अर्थव्यवस्था व तद्आधारित कार्यप्रणाली में कंप्यूटर के प्रयोग को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है, तथापि ऐसा करने में राजभाषा नियमों की अनुपालना में कोई छूट नहीं दी गयी है। श्री सरवाही ने कहा कि शब्द-संसाधन या पत्राचार या अन्य कार्यों, जिनमें कंप्यूटर का उपयोग प्रस्तावित हो के लिए, कंप्यूटरों की खरीद करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कंप्यूटरों पर दोनों भाषाओं में कार्य करने की क्षमता उपलब्ध हों । श्री सरवाही ने कहा कि जनता द्वारा कुछ जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रेषित हिंदी पत्रों के उत्तर कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग कर अंग्रेजी में दिये जा रहे हैं, यह नियमों का उल्लंघन है। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान अंचल के उप महाप्रबंधक श्री आर० के० भल्ला ने की। इस अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी आफिस 2003 हिंदी का प्रदर्शन भाषा एवं आई टी विशेषज्ञ श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने किया।

बैठक के प्रारंभ में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक, जयपुर क्षेत्र श्री नन्दन श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। बैंक की समीक्षा बैठक में कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई के मुख्य प्रबंधक श्री उमाकांत स्वामी के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों, वरिष्ठ प्रबंधकों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का संचालन तथा प्रगति प्रतिवेदन डॉ. जवाहर कर्नावट, सदस्य सचिव ने प्रस्तुत किया। ■

इसका स्वाद प्रसाद बहुत है जनभाषा रसवंती,
ऋतुओं में वासंती है, ये रागों में मधुवंती,
भाषाएं हों चाहे जितनी ये सबकी हमजोली,
स्वागत करती हिंदी सबका बिखरा कुंकुम रोली।।

—वीरेंद्र मिश्र

संकलन 86, हिंदी अकादमी, दिल्ली

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 27 मई ,2004 का का०ज्ञा० सं० 12011/1/2004-रा भा (का०-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2003-04.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा०भा० (क-2) के तहत केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

3. **पात्रता तथा शर्तें :**

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों।

(ii) अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं है।

(iii) पुस्तक 01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हो।

(iv) पुस्तक के लेखक केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व में आने वाली स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिये गये प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है। सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ (अनुलग्नक 'ग' पर दिये गए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें। सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

(v) पुस्तक की विषयवस्तु केंद्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो। मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।

(vi) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।

(vii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

(viii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।

(ix) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(x) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्मे में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर, संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

4. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :—

(1) प्रथम पुरस्कार —रु. 20,000/-

(2) द्वितीय पुरस्कार —रु. 16,000/-

(3) तृतीय पुरस्कार —रु. 10,000/-

5. पुस्तकों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं।

6. प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 30 जुलाई, 2004 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :—

अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)
कार्यान्वयन -2 अनुभाग,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, ए विंग,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

8. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें। इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट http://rajbhasha.nic.in पर भी उपलब्ध है।

निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष : 24618967

अनुलग्नक ''क''

विशेषज्ञों के लिए निर्देश

1. पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ की राय पूर्णतया गोपनीय होगी। विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र मोहरबंद लिफाफे में ही भेजें।

2. कृपया लिफाफे के बाईं ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें :—

(i) ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र''

(ii) 'लिफाफा पुस्तक मूल्यांकन समिति की बैठक में ही खोला जाए'।

(iii) पुस्तक का नाम

(iv) विशेषज्ञ का नाम

3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संबंध में नीचे दिए गए संस्तुति पत्र में उद्धृत बिंदुओं पर अपनी राय अवश्य दें। यदि जांच के अन्य मानक बिंदुओं का समावेश करना चाहें, तो अलग-से कर लें, परंतु नियत बिंदुओं पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दें।

4. सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के मामले में ''संस्तुति पत्र'' का लिफाफा संबंधित कार्यालय/विभाग, संगठनों के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से ''राजभाषा विभाग'' को भेजा जाए तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों आदि के संबंध में वह सीधे राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम..

2. लेखक का नाम ....

3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिंदी में यह पहली रचना है?...............

4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है?..............................

5. क्या विषय-वस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है?..............................

6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है?......

7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है?.....................

8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार :—..

9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है :—

''क'' — 85% से ऊपर

''ख'' — 60% से 85% तक

''ग'' — 60% से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :

नाम व पूरा डाक पता :

दूरभाष :

अनुलग्नक "ख"

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2003-04

(क) लेखक का नाम..

(ख) पदनाम या पूर्व पदनाम ....

(ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम ....

(घ) मंत्रालय/विभाग का नाम ....

(ङ) लेखक का पूरा डाक पता (पिन कोड सहित) ....

(च) दूरभाष नं. (एस. टी. कोड सहित)/फैक्स ....

2. पुस्तक का नाम ....

3. पुस्तक का विषय ....

4. प्रकाशक का नाम व पता ....

5. प्रकाशन का वर्ष..

6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष) ....

7. मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... जोकि 01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले .... (कार्याल का नाम) में कार्यरत रहा/रही हूँ *या (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संबंध में) .... को (सेवानिवृत्ति की तिथि) .... (पदनाम) के पद से .... से (कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि :—

(i) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

(ii) उक्त पुस्तक.......... (माह व वर्ष) .... (माह व वर्ष) के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है।

(iii) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का संबंध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है।

दिनांक : लेखक के हस्ताक्षर

*नोट : जो लागू न हों काट दें।

अनुलग्नक "ग"

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा संबद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वर्ष 2003-04 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2003-04 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है।

3. इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक : पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2004

सं.-371/12/2002-ए.वी.डी.-III.—जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येन्द्र दुबे की हत्या के संबंध में रिट याचिका (सी.) संख्या-539/2003 को सुनवाई करते समय यह इच्छा व्यक्त की कि उपयुक्त विधान के बनाए जाने तक ''पर्दाफाशों या भण्डाफोड़ों (विसल ब्लोअर्स)'' से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने के लिए उपयुक्त तंत्र व्यवस्था तैयार की जाए।

और जबकि विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण विधेयक, 2002 की जांच-पड़ताल चल रही है।

अत: अब, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संकल्प लेती है :—

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय सरकार अथवा किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत स्थापित किन्हीं निगमों, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा इसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के किसी आरोप अथवा पद के दुरुपयोग के संबंध में लिखित शिकायतें प्राप्त करने अथवा प्रकटीकरण संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एतद्द्वारा मनोनीत अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। प्रकटीकरण अथवा शिकायत में यथासंभव सभी विवरण होंगे और इसमें समर्थक दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री शामिल होगी।

2. मनोनीत अभिकरण यदि ऐसा उचित समझे तो वह प्रकटीकरण करने वाले व्यक्तियों से और जानकारी अथवा विवरण मंगवा सकता है। यदि शिकायत बेनामी है तो मनोनीत अभिकरण इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

3. शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 में विहित किसी बात के बावजूद भी संविधान के अनुच्छेद 33 के खण्ड (क) से (घ) में संदर्भित व्यक्तियों से भिन्न कोई लोक सेवक अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन सहित कोई अन्य व्यक्ति मनोनीत अभिकरण को लिखित प्रकटीकरण भेज सकता है।

4. यदि शिकायत में शिकायतकर्त्ता का ब्यौरा भी दिया गया है तो मनोनीत अभिकरण निम्नलिखित कदम उठाएगा :—

(i) मनोनीत अभिकरण शिकायतकर्त्ता से यह पता लगाएगा कि क्या यह वही व्यक्ति है अथवा नहीं है जिसने शिकायत की है।

(ii) शिकायतकर्त्ता की पहचान उद्घाटित नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्त्ता ने स्वयं शिकायत का ब्यौरा सार्वजनिक न कर दिया हो अथवा किसी अन्य कार्यालय अथवा प्राधिकारी को अपनी पहचान नहीं बता दी हो।

(iii) शिकायतकर्त्ता की पहचान गुप्त रखने के पश्चात् मनोनीत अभिकरण प्रथमत: यह पता लगाने के लिए विवेकपूर्ण जांच-पड़ताल करेगा कि क्या इस शिकायत पर आगे कार्रवाई करने का कोई आधार बनता है। इस प्रयोजन हेतु मनोनीत अभिकरण एक समुचित तंत्र बनाएगा।

(iv) शिकायत की विवेकपूर्ण जांच-पड़ताल करने के परिणामस्वरूप अथवा बिना जांच-पड़ताल के केवल शिकायत के आधार पर ही यदि मनोनीत अभिकरण का यह मत होता है कि मामले की और जांच-पड़ताल कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो मनोनीत अभिकरण संबंधित संगठन अथवा कार्यालय के विभागाध्यक्ष से सरकारी तौर पर उनकी टिप्पणियां/अथवा उनके स्पष्टीकरण मांगेगा। ऐसा करते समय मनोनीत अभिकरण मुखबिर की पहचान प्रकट नहीं करेगा और संबंधित संगठन के अध्यक्ष को यह भी अनुरोध करेगा कि यदि उन्हें किसी कारणवश मुखबिर की पहचान का पता चल जाता है तो वे मुखबिर की पहचान गुप्त रखेंगे।

(v) सम्बन्धित संगठन का उत्तर प्राप्त होने के बाद यदि मनोनीत अभिकरण का यह मत होता है कि अन्वेषण से पद के दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार के पुख्ता आरोपों का पता चलता है तो मनोनीत अभिकरण संबंधित सरकारी विभाग अथवा संगठन को उपयुक्त कार्रवाई करने की संस्तुति करेगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होगा :—

(क) संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाहियां शुरू किया जाना।

(ख) भ्रष्टकृत्य अथवा पद के दुरुपयोग जैसी भी स्थिति हो, के परिणामस्वरूप सरकार को हुई हानि की पूर्ति के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कदम उठाना।

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यदि ऐसा न्यायसंगत हो तो उपयुक्त मामलों में आपराधिक कार्यवाहियां शुरू किए जाने के बारे में उपयुक्त/प्राधिकारी/अभिकरण को सिफारिश करना।

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने की सिफारिश करना।

5. पूर्ण जांच-पड़ताल करने अथवा संबंधित संगठन से जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से मनोनीत अभिकरण को प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में जांच-पड़ताल को पूरी करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए यथावश्यक समझे जाने पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों अथवा पुलिस अधिकारियों को सहायता देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

6. यदि कोई व्यक्ति किसी कार्रवाई से इस आधार पर व्यथित होता है कि उसे इस तथ्य के आधार पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत दायर की है अथवा प्रकटीकरण किया है तो वह इस मामले के निवारण की प्रार्थना करते हुए मनोनीत अभिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है जो यथावश्यक उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करेगा। मनोनीत अभिकरण संबन्धित सरकारी सेवक अथवा सरकारी प्राधिकारी को जैसी भी स्थिति हो, उपयुक्त निदेश दे दे।

7. शिकायतकर्त्ता के आवेदन पर अथवा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर यदि मनोनीत अभिकरण का यह मत होता है कि शिकायतकर्त्ता अथवा गवाहों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है तो मनोनीत अभिकरण संबन्धित सरकारी प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

8. इस कार्य में प्रयुक्त तंत्र, मौजूदा कार्य तंत्र के अतिरिक्त होगा। तथापि, यदि शिकायत इस तंत्र के अन्तर्गत प्राप्त होती है तो पहचान को गुप्त रखा जाएगा।

9. यदि मनोनीत अभिकरण शिकायत को अभिप्रेरित अथवा कष्टप्रद स्वरूप की पाता है तो मनोनीत अभिकरण उपयुक्त कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

10. मनोनीत अभिकरण निम्नलिखित स्वरूप के प्रकटीकरण पर कार्रवाई अथवा उसकी जांच-पड़ताल नहीं करेगा :—

(क) ऐसे किसी मामले जिसमें लोक सेवक जाँच अधिनियम, 1850 के अन्तर्गत एक औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दे दिया गया हो; अथवा

(ख) ऐसा कोई मामला जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच के लिए भेजा गया है।

11. मनोनीत अभिकरण के निदेशों के विपरीत मुखबिर की पहचान उद्घाटित हो जाने पर मनोनीत अभिकरण ऐसा प्रकटीकरण करने वाले किसी व्यक्ति अथवा अभिकरण के विरुद्ध मौजूदा विनियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू किए जाने के लिए प्राधिकृत है।

12. इस कार्य हेतु सृजित तंत्र, संसद द्वारा इस विषय में कानून बनाए जाने तक लागू रहेगा।

श्रीमती मंजुलिका गौतम, अपर सचिव

विविध

हिंदी अकादमी, दिल्ली

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

पदम नगर समुदाय भवन, किशन गंज, दिल्ली - 110007

यशपाल शताब्दी समारोह संपन्न

यशपाल हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ रचनाकारों में से एक हैं। 3 दिसंबर, 1903 को जन्में यशपाल की जन्म शती 3 दिसंबर, 2003 को थी। इस संदर्भ में हिंदी अकादमी, दिल्ली ने त्रिवेणी सभागार, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में ''यशपाल शताब्दी'' समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता, हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष श्री जनार्दन द्विवेदी ने की। समारोह का शुभारंभ यशपाल के चित्र पर पुष्पार्पण द्वारा हुआ।

हिंदी अकादमी द्वारा प्रकाशित इंद्रप्रस्थ भारतीय के ''यशपाल विशेषांक'' का लोकार्पण कथा शलाका पुरुष श्री कमलेश्वर ने किया। इस अंक का संपादन चर्चित कथा शिल्पी श्री प्रदीप पंत ने किया। इस अवसर पर यशपाल की सामाजिक चेतना विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गयी।

इस संगोष्ठी में सर्वप्रथम अकादमी के उपाध्यक्ष श्री जनार्दन द्विवेदी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि यशपाल की चेतना का जब विकास हुआ उसी समय भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश हुआ था। गांधी जी भी निरंतर अपने चिंतन को सुधारते थे, ऐसा ही सुधार यशपाल में भी मौजूद है। लेखन-कर्म को जितनी ईमानदारी से यशपाल ने लिया उतनी ईमानदारी से बहुत कम लोग ले पाते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों को बदलने के लिए उन्होंने ''बुलेट'' का इस्तेमाल किया, परंतु वे ज़ल्द ही समझ गए कि ''बुलेट'' से अधिक ताकत बुलेटिन में है। इसके बाद वे समाज को बदलने के लिए ''बुलेटिन'' का पुरजोर इस्तेमाल करने लगें। उन्होंने कहा कि वे अपनी कहानियों, उपन्यासों, निबंधों आदि में वर्तमान समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों का प्रतिकार करते हैं।

डॉ० कृष्णदत्त पालीवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि नि:सन्देह यशपाल बहुत बड़े लेखक हैं। यशपाल का मूल्यांकन केवल मार्क्सवाद से न करके उन पर मनोविश्लेषण की दृष्टि से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यशपाल पर पहले तो मूल्यांकन करने की आवश्यकता है बाद में पुनर्मूल्यांकन की।

श्रीमती चित्रा मुद्गल ने कहा कि हिंदी समाज को यशपाल को बहुत समय देकर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने अपने साहित्य में अपने समय के जन समाज को ही केंद्र में नहीं रखा बल्कि सदियों पुराने इतिहास को भी रचना के केंद्र में रखा। उसके माध्यम से अपने समय के समाज को समझने तथा समझाने के प्रयास वे अपने लेखन में करते हैं। उन्होंने कहा कि यशपाल को जिन दायरों में देखा गया है वे अब तक मन माफिक दायरे थे उससे निकलना होगा।

आलोचक श्री खगेन्द्र ठाकुर ने कहा कि किसी भी लेखक की सामाजिक चेतना के दो पहलू होते हैं एक वह चेतना जो समाज में है और दूसरी लेख के विचार और दृष्टिकोण में है। रचनाकार अपनी रचना का प्रजापति होता हैं। यशपाल अपने लेखन में भावी समाज की कल्पना करते हैं। यशपाल की समाजिक चेतना में राष्ट्रीय चेतना है जो उनमें स्वाधीनता संग्राम से पनपी। उनकी सामाजिक चेतना में वर्गीय चेतना भी विद्यमान है। उनका लेखन अतीत से वर्तमान को समझने के लिए दृष्टि देता है और प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि यशपाल का मूल्यांकन किसी भी वाद के रूप में नहीं होना चाहिए बल्कि रचना के हिसाब से उसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

कथा शलाका पुरुष भी कमलेश्वर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी अकादमी का यशपाल विशेषांक एक बड़ी उपलब्धि है। यशपाल में सांस्कृतिक दृष्टि दिखायी देती है जो आधुनिकता का विरोध नहीं करती। उन्होंने कहा कि

यशपाल आने वाले समय की सामाजिक चेतना की भूमिका तैयार करते हैं। उनकी रचनाएं जीवन के सबसे वृहत्तम प्रयोग का नमूना है। यशपाल ने मनुष्य को कच्चे माल के रूप में नहीं बदलने दिया। वे मुक्तिवाद के प्रबल समर्थक थे। वे व्यक्ति के साथ समष्टि की मुक्ति का नक्शा तैयार करते हैं इसीलिए सबसे बड़े सामाजिक चेतना के लेखक हैं

समारोह में यशपाल की कहानी ''एक सिगरेट'' पर आधारित फिल्म ''दमयंती'' का प्रदर्शन भी किया गया। जिसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री मुजफ्फर अली ने किया।

कार्यक्रम के अंत में हिंदी अकादमी के सचिव ने सभी अतिथियों, श्रोताओं और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

हिंदी अकादमी, दिल्ली

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

समुदाय भवन, पद्मनगर, किशन गंज, दिल्ली-110007

जयशंकर प्रसाद के नाटक 'चन्द्रगुप्त' का नाट्य मंचन

हिंदी अकादमी, दिल्ली ने अपनी गतिविधियों की कड़ी में जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक 'चन्द्रगुप्त' का मंचन कमानी सभागार, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली में किया। यह प्रस्तुति श्री नवरत्न गौतम के निर्देशन में शौर्य नाट्य संस्था ने की। नाटक आरंभ होने से पहले अकादमी के उपाध्यक्ष श्री जनार्दन द्विवेदी ने कहा की नाटक रंगमंच के लिए है रंगमंच नाटक के लिए नहीं और इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद के नाटक को प्रस्तुत करना कठिन एवं असंभव कार्य है किन्तु इस कठिन कार्य को हिंदी अकादमी ने प्रस्तुत कर संभव बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि नाटक में कथानक और समायोजन ही प्रस्तुति को सिद्ध करता है।

दो घंटे तक चले इस नाटक में इतिहास के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित किया गया है। इस युग में देश की राजनीतिक अवस्था विखंडित थी। बाहरी शक्तियां देश पर आक्रमण कर सभी शक्तियों को अपने अधीन करने के अभियान में निरंतर सफल होती जा रही थीं और महाराज नंद की विलासिता, क्रूरता, कर्त्तव्य विमुखता की पराकाष्ठा से जनता दु:खी थी। प्रस्तुति में इस युग की राजनीति के सूत्रधार चाणक्य ने संगठित राष्ट्र का संकल्प लेकर बिखरे हुए साम्राज्य की शक्तियों को संगठित किया और चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना समस्त आर्यवर्त के उत्थान हेतु कूटनीति, दूरदृष्टि और दृढ़ता का परिचय दिया। यवन आक्रांता अलक्षेन्द्र का भारत विजय का स्वप्न चूर-चूर करके अंतत: नंद वंश का समूल नाश किया और गौरवमय स्वर्णिम इतिहास को जीवंत किया। इस नाटक में चन्द्रगुप्त की तेजस्विता एवं कठोरता उभरकर सामने आती है। चाणक्य का चरित्र उसे एक मुश्किल चरित्र बनाता है। वह एक साथ नीति कौशल, संकल्प शक्ति और उदात्त भी है। इस नाटक में एच.एस. हर्ष ने प्रस्तुति में 'चाणक्य' के चरित्र को एक अविस्मरणीय अभिव्यक्ति दी है। नाटक के बीच-बीच में गायन-वादन प्रस्तुति को और अधिक जीवंतता प्रदान करता है।

नाटक में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, कर्त्तव्य एवं राजधर्म की स्थापना चन्द्रगुप्त द्वारा की गई। नाटक ऐतिहासिक होने के साथ-साथ समसामयिक हो जाता है। राज धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म सभी का संयोजन इस नाटक में मिलता है।

इस नाटक में चाणक्य की भूमिका में एच.एस. हर्ष, चन्द्रगुप्त की भूमिका में नवरत्न गौतम , सिंहरण की भूमिका में दिलीप, कल्याणी की भूमिका में बबिता मिश्रा, महाराज नंद एवं ऋषि दाण्डयायन की भूमिका में भूषण कुलश्रेष्ठ, सुवासिनी की भूमिका में भारती, अमात्य राक्षक की भूमिका में रजत, अलक्षेन्द्र एवं शकटार की भूमिका में जितिन, पर्वतेश्वर की भूमिका में विनीत, अलका की भूमिका में ममता बिष्ट, जननी की भूमिका में सरोज पटनी, सैल्यूकस की भूमिका में यशपाल, कार्नेलिया की भूमिका में निधि और प्रतिहारी की भूमिका में सागर, राजदीप मान थे। इसके साथ नाटक में ध्वनि एवं प्रकाश परिकल्पना अमन बत्रा एवं रेखा बत्रा की थी। मंच परिकल्पना एच.एस. हर्ष, नवरत्न गौतम एवं भूषण कुलश्रेष्ठ द्वारा की गई। वस्त्र विन्यास केतकी पुजारी चोपड़ा का था। गायन एवं संगीत निर्देशन भावना एवं नवल सिंह ने किया।

राजभाषा व जनसंपर्क विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, आनंद भवन, चतुर्थ तल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर

हिंदी जनसंपर्क का सशक्त माध्यम— श्री शेणॉय

"हिंदी जनसंपर्क का सशक्त माध्यम है इसलिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी अपने कारोबार विकास के लिए हिंदी का प्रयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमें इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें ग्राहकों को अपनी योजनाओं की जानकारी उनकी भाषा में ही बतानी पड़ेगी तभी हम प्रतिस्पर्धा में रह पाएंगे। इस कार्य के लिए हिंदी से अधिक उपयोगी भाषा कोई और नहीं हो सकती"। ये उद्गार बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी एस शेणॉय ने बैंक के राजस्थान अंचल द्वारा आयोजित वार्षिक राजभाषा समारोह में व्यक्त किये।

समारोह के प्रारंभ में राजस्थान अंचल के उप महाप्रबंधक श्री आर के भल्ला ने अंचल की राजभाषा गतिविधियों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान अंचल में हिंदी का प्रयोग केवल संवैधानिक आवश्यकता ही नहीं हैं अपितु यह कारोबार वृद्धि के लिए भी एक अनिवार्यता है। आपने अंचल में हिंदी की उपलब्धियों के साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर के दायित्वों का भी उल्लेख किया। समारोह को संबोधित करते हुए कार्पोरेट कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा एवं जनसंपर्क) श्री उमाकांत स्वामी ने कहा कि राजस्थान अंचल को समूचे बैंकिंग उद्योग के प्रथम हिंदी अंचल होने का गौरव रहा है। आपने कार्पोरेट कार्यालय द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

इस अवसर पर राजस्थान अंचल द्वारा वर्ष भर आयोजित राजभाषा एवं अन्य प्रतियोगिताओं के पुरस्कार अंचल के विभिन्न क्षेत्रों से आये कर्मचारियों को प्रदान किये गये। कार्यक्रम में भारतीय बैंक संघ द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर शोध छात्रवृत्ति हेतु चयनित, अंचल प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के प्रबंधक श्री प्रदीप बाफना को स्वयं सहायता समूह हेतु हिंदी में शोध कार्य हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन अंचल के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा एवं जनसंपर्क) डॉ० जवाहर कर्नावट ने किया। अंत में जयपुर क्षेत्र के सहायक महाप्रबंधक श्री नन्दन श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बॉब हाउसिंग के प्रबंध निदेशक श्री केलकर, अंचल निरीक्षण केन्द्र के सहायक महाप्रबंधक श्री आर एन अवस्थी विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं अन्य स्टाफ भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

स्पाइसेस बोर्ड सुगंध भवन एन०एच० बै-पास पी०बी० नं० 2277, पालारिवट्टम पी०ओ०, कोचीन-682 025

स्पाइसेस बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य कार्य अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले 52 मसालों का विकास है। साथ ही, बोर्ड राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी पर्याप्त निष्ठा एवं रुचि रखता है और नए-नए कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा इस दिशा के प्रयासों को प्रभावी एवं गतिशील बनाए रखता है।

बोर्ड के मुख्यालय में हर साल की तरह वर्ष 2003 में भी हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन सुचारू ढंग से किया गया। पखवाड़ा के भाग के रूप में केरल के कालेजों के विद्यार्थियों के लिए 'राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीयता' विषय पर एक राज्यस्तरीय हिंदी नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया रही और 350 से भी अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। इनमें से मूल्याँकन-समिति ने, विषय के सन्देश और प्रतियोगिता के उद्देश्य को समग्रतः स्पष्ट करने वाले इक्कीस नारों का चयन किया।

'राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीयता' विषय पर चुने गए नारे

1. सबसे प्यारा मेरा भारत
   जग में न्यारा मेरा भारत।
2. जाग रहे हम, धर्म निभाएं
   देश प्रेम का दिया जलाएं।
3. एकता में अभिमान है
   यही हमारी शान है।

4. भारत है प्यारा, देश है न्यारा
मानव है प्यारा, एकता है नारा।

5. भाषा अनेक, भावना एक
भेष अनेक, तमन्ना एक।

6. वह धर्म धर्म नहीं,
जिसमें प्रेम नहीं।

7. जहां जहां जाएं हम
रहेंगे हरदम में हिंदुस्तानी।

8. भिन्न भिन्न हैं धर्म हमारे,
अभिन्न है भारत हमारा।

9. सौ करोड़ कण्ठों से निकले
यह है भारत देश हमारा।

10. हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हम सारे हैं भाई भाई।

11. प्रीत यहां की रीत है
इन्सानियत यहां की परंपरा है।

12. विभिन्नता हो जब जन में
एकता हो तब मन में।

13. अलग अलग अस्तित्व हमारा
फिर भी स्रोत एक ही हमारा।

14. एक धर्म, एक जाति,
एक भाव भूलो मत भाई।

15. हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाई
हम सब हिन्दुस्तानी हैं।

16. देश प्रेम की अमर भावना
मर कर भी है हमें निभाना।

17. भेद-भाव भुलायेंगे
राष्ट्रीय एकता लायेंगे।

18. थक न जावे तन और मन,
गूँज उठावें 'जन-गण-मन'।

19. हम भारत की जान
भारत हमारी शान।

20. रीति-रिवाज़ और भाषाएं भिन्न
लेकिन हम नहीं हैं विभिन्न।

21. जियो भारत के लिए,
मरो भारत के लिए।

शायद संसार में भारत ही एक ऐसा देश है, जिसकी अपनी कौमी ज़बान नहीं है। आज एक बलवान केंद्रीय शासन के सिवा हमें एकता में बांधनेवाली क्या चीज है। धर्म में शक्ति नहीं, वह चीज राष्ट्रभाषा ही हो सकती है।

—प्रेमचंद

प्रेमचंद के विचार, भा. 3, पृ.290, बे-राष्ट्रभाषा का राष्ट्र, 9-4-1934

पाठकों के पत्र

''राजभाषा भारती'' जुलाई-दिसंबर, 2003 अंक में हिंदी तकनीकी लेख बहुत उपयोगी है। ''अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल'' लेख पढ़ने योग्य है। इसमें भारतीय पौराणिकता का परिचय मिलता है। राष्ट्रभाषा हिंदी का बढ़ावा देखकर आनंद हुआ। पत्रिका उत्तरोत्तर बढ़े।

—पी०एस० शांताबाई
प्रधान सचिव,
कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, 178, IV मेन रोड,
चामराजपेट, बेंगलूर-18

''राजभाषा भारती'' के जुलाई-दिसंबर, 2003 संयुक्तांक : 102-103 अंक में नई हवा के ताज़ा झोकों की तरह सामग्री संकलित है। संयुक्त सचिव गुप्ता साहब का लेख सचमुच बहुत चिंतनपूर्ण है। मिथकीय संदर्भों से भाषा को लेकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण, उसको लेकर छाए हुए धुंध को दूर करने का प्रयास वहां देखा जा सकता है। डॉ० छंगाणी साहब सुधी व्यक्ति हैं और ''वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी लेखन का विकास और संभावनाएं'' शीर्षक लेख से मनस्वी व्यक्तित्व का पता चलता है। मेरी दृष्टि में ''राजभाषा भारती'' भाषा ही नहीं, विचारों की सरस्वती की प्रवाहिका भी है, अर्थात् सच्चे अर्थों में भारत भारती। मेरा मानना है कि ''भारती'' शब्द सरस्वती का पर्यायवाची होने के साथ-साथ भारतीय चिंतन और भारतीय मनीषा, तत्संबंधी जीवन-दर्शन की मुखर अभिव्यक्ति को रूपायित करने वाला है।

—ईश्वरचंद्र मिश्र
अनुवाद प्रशिक्षण अधिकारी,
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय सदन, 5वां तल, ''डी'' विंग,
11 ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034

''राजभाषा भारती'' त्रैमासिकी के जुलाई-दिसम्बर, 2003 अंक में प्रकाशित सामग्री बड़ी ही उपादेय और संग्रहणीय बन पड़ी है। राजभाषा संबंधी लेखों और गतिविधियों के अतिरिक्त आपका ध्यान संस्कृति, स्वास्थ्य और विज्ञान की ओर भी गया है। तदर्थ, आप बधाई के पात्र हैं।

—डॉ० मोतीलाल जोतवाणी
बी-14, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर,
नई दिल्ली-110024.

यह अंक ''चिंतन'' स्तंभ में ''वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी लेखन का विकास और संभावनाएं'', ''वैश्वीकरण और हिंदी का बदलता स्वरूप'', ''सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा'' संबंधी आलेखों में हिंदी के उत्तरोत्तर विकास एवं उसके बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। 'संस्कृति' स्तंभ में डॉ० दिनेश मणि ने अपने लेख में अंधविश्वास के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। 'स्वास्थ्य' स्तंभ में 'मोतियाबिंद का आधुनिक इलाज', 'परमाणु औषधि से कैंसर की आधुनिक चिकित्सा' आलेख ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है। 'विविधा' में अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल की बहुत ही रोचक जानकारी दी गई है।

—मनोज कुमार शर्मा
सहायक निदेशक,
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, डाकघर : भापासं
कॉलोनी, तूतीकोरिन-628007

'राजभाषा भारती' जुलाई-दिसंबर, 2003 प्राप्त हुआ। पत्रिका में दी गई विभिन्न सामग्री पठनीय व अनुकरणीय है। दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र, बीकानेर के हिंदी पखवाड़े की गतिविधियों की समीक्षात्मक रपट का प्रकाशन आहलादित करने वाला रहा। इस प्रोत्साहन से भविष्य में अपनी राष्ट्रभाषा के लिये अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा।

—यू०सी० श्रीवास्तव
सहा० अभि० हिंदी अधिकारी एवं केंद्राध्यक्ष,
प्रसार भारती, दूरदर्शन अनुसंधान केंद्र, बी-42,
सादुलगंज, बीकानेर

'राजभाषा भारती' 102-103 के नवीनतम अंक में डॉ० दिनेश चमोला का आलेख "हिंदी विज्ञान, लेखनः पठन, प्रकाशन तथा परिचालन" में विज्ञान लेखन पर सम्यक् प्रकाश पड़ा है। विदित ही होगा, अमेरिका से विज्ञान लेखन पर शोधपत्रिका प्रकाशित होने लगी है। हिंदी में विज्ञानपरक आलेखों को प्रकाशित कर आपने हिंदी के विस्तृत परिवेश पर प्रकारांतर से बल दिया है । सूचना -प्रौद्योगिकी पर अधिक विस्तार की आवयकता है। जैसा कि आपको विदित ही है कि 'भाषा' (भा०सं०वि०मं०) तथा 'अनुवाद' (भारतीय अनुवाद परिषद) के इस विषय पर विशेषांक जा चुके हैं। राजभाषा के संदर्भ में आप भी पत्रिका का विशेषांक सितम्बर, 2004 में प्रकाशित करें, जिसमें विविध मंत्रालयों का सहयोग लिया जाए। यह स्पष्ट है कि आप पत्रिका में विविध विषयों—दर्शन, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि विविध विषयों पर आलेख भी प्रकाशित करने लगे हैं।

—डॉ० कैलाश चंद्र भाटिया
नंदन, भारती नगर, मैरिस रोड, अलीगढ़-202001

"राजभाषा भारती" अंक 102-103 पत्रिका में विभिन्न प्रकार के पाठकों के लिए उनकी अभिरुचि के अनुरूप विज्ञान, स्वास्थ्य से लेकर साहित्य तक विभिन्न पहलुओं पर सारगर्भित सूचना प्रदान कर अच्छा कार्य किया है। इससे अनेक विभागीय पत्रिकाएं प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। विभिन्न कार्यालयों की राजभाषा विषयक गतिविधियां भी राजभाषा में व्यावहारिक कार्यान्वियन में उपादेय सिद्ध होंगी। आशा है भविष्य में 'राजभाषा भारती' किन्हीं विशेष विषयों पर विशेषांक प्रकाशित करने की योजना भी बनाएगी जो विज्ञान लेखन के साथ-साथ कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी के संकोच को भी दूर करेगी।

—डॉ० दिनेश चमोला
संपादक 'विकल्प',
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक
अनुसंधान परिषद, हरिद्वार रोड, मोहकपुर,
देहरादून-248001

'राजभाषा भारती' के संयुक्तांक 102-103 पत्रिका में चिंतन, संस्कृति, साहित्यकी, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि पहलुओं पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न कार्यालयों की राजभाषा संबंधी गतिविधियां प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय हैं। आदेश-अनुदेश संग्रहणीय हैं। पत्रिका समय पर प्रकाशित हो तो और अच्छा होगा। कुशल संपादन हेतु हार्दिक बधाई।

—डॉ० प्र०श्री० मूर्ति
हिंदी अधिकारी,
राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, पोस्ट बैग नं० 1779,
बेंगलूर-560017

"राजभाषा भारती" का जुलाई-दिसंबर, 2003 अंक अत्यंत सूचनापरक एवं ज्ञानवर्धक है। इसमें कई वैज्ञानिक विषयों पर सुन्दर लेख प्रकाशित किए गए हैं जो राजभाषा की आधुनिक मांग और अपेक्षा के अनुरूप हैं। साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य आदि विधाओं के लेख पठनीय और मननीय हैं। राजभाषा संबंधी गतिविधियों का विवरण पत्रिका के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। राजभाषा के बहुआयामी स्वरूप के संवर्धन के साथ-साथ इसकी वर्तमान स्थिति, विकास एवं प्रसार संबंधी कार्यकलापों के विश्वव्यापी परिवेश को समाविष्ट करना तथा उसका प्रचार करना भी आवश्यक है। आशा है भविष्य में इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। सुंदर संकलन एवं संपादन के लिए समस्त संपादकीय परिवार बधाई का पात्र है।

—राजमणि तिवारी
प्रथम संपादक, राजभाषा भारती,
श्रीनिकेतन, सी-26, सैक्टर-19, नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर-201201

MGIPRRND—2374 HA/04—3,000 Copies.

नराकास, इटारसी के अध्यक्ष श्री के० चंद्रन बैठक को संबोधित करते हुए, साथ में हैं मंचासीन अधिकारीगण श्री एस०डी० अहिरवार, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, समिति के सचिव श्री सी०पी० गुप्ता, अपर महाप्रबंधक, आ०नि०इ०, श्री महेश शुक्ल, महाप्रबंधक, बी०एस०एन०एल० एवं श्री आर०सी० सिंह, उप महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भुवनेश्वर में राजभाषा पुरस्कार समारोह में बैठे अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

पं. सं. 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

निज भाषा उन्नति अहै. . .

अंग्रेजी अरु फारसी अरबी संस्कृत ढेर।
खुले खजाने तिनहिं क्यों लूटत लावहु देर॥

बैठिनि, बोलनि, उठनि पुनि हंसनि मिलनि बतरान।
बिना पारसी आवही यह जिय निश्चय जान॥

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन॥

करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल।
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल॥

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥

पढ़ो, लिखो कोउ लाख बिध, भाषा बहुत प्रकार।
पै जबहीं कुछ सोचिहो निज भाषा अनुसार॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भारत सरकार राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ राजेन्द्र प्रताप सिंह, उप सम्पादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।